भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

संख्या 3

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तरप्रदेश सरकार

भारत

के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

प्रतिवेदन

संख्या 3

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना		VII
विहंगावलोकन		IX
अध्याय- 1 सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	1.2	6
संग्रह की लागत	1.3	8
कर निर्धारण के बकाया मामले	1.4	9
संग्रह का विश्लेषण	1.5	13
असंग्रहीत राजस्व	1.6	14
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.7	16
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियां	1.8	17
अध्याय- 2 बिक्रीकर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	2.1	21
पूर्णकर मुक्ति एवं रियायती दर के घोषणा -प्रपत्रों के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण	2.2	22
केन्द्रीय बिक्रीकर का अवनिर्धारण	2.3	32
अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना	2.4	34
अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	2.5	36
अनियमित छूट	2.6	42
क्रयकर का आरोपित न किया जाना	2.7	44
गलत दर से कर का लगाना	2.8	45
गलत वर्गीकरण के कारण कम कर आरोपित होना	2.9	48

2 A.G.

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
कच्चे माल का दुरूपयोग करने पर अर्थदण्ड का न लगाया जाना	2.10	50
घोषणा पत्रों का दुरुपयोग	2.11	51
गणना की त्रुटि	2.12	52
केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरुप राजस्व की हानि	2.13	53
विक्रय धन का कर निर्धारण से छूट जाना	2.14	54
ब्याज का न / कम आरोपित किया जाना	2.15	56
अध्याय - 3 राज्य आबकारी		
लेखा परीक्षा के परिणाम	3.1	58
आसवनियों एवं यवासवनियों के कार्यकलाप में आंतरिक नियंत्रण	3.2	59
नियमों का अनुपालन न करने से राजस्व की हानि	3.3	74
परिशोधित स्प्रिट के निर्यात पर पास फीस का न लगाया जाना	3.4	75
अनुज्ञापन शुल्क की अधिक वापसी	3.5	76
अतिरिक्त अभिकर की वसूली न करना	3.6	77
विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न लगाया जाना	3.7	77
अध्याय- 4 वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	4.1	80
सरकारी अधिसूचना के प्रसारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	4.2	80
प्रक्रम वाहन पर यात्री कर का न लगाया जाना	4.3	81
न्यूनतम किराये का न अपनाया जाना	4.4	81
पंजीयन चिन्ह आवंटित न करने के कारण राजस्व हानि	4.5	82
यात्री कर का निर्धारण से छूट जाना	4.6	83
कम आरोपण / अनिर्धारण / गलत संगणन	4.7	83
शासन द्वारा मेला एवं अन्य विशेष प्रयोजनों हेतु निर्धारित न्यूनतम किराये का न अपनाया जाना	4.8	87

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
फिटनेस प्रमाण पत्र का अनियमित रुप से जारी किया जाना	4.9	87
ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए परमिट फीस वसूल न किया जाना	4.10	88
मार्गकर का अनिर्धारण / अवनिर्धारण	4.11	88
अनुबन्धित वाहनों पर यात्रीकर का कम लगाया जाना/न लगाया जाना	4.12	90
अध्याय - 5 स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	92
संपत्तियों के अवमूल्यन के फलस्वरुप स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का अवनिर्धारण	5.2	92
कृषि इतर भूमि का अवमूल्यन के परिणामस्वरुप स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	5.3	93
अध्याय - 6 भू - राजस्व		
लेखा परीक्षा के परिणाम	6.1	97
संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	6.2	97
अध्याय - 7 अन्य कर प्राप्तियां		
क - विद्युत शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	99
विद्युत शुल्क की वसूली न किया जाना	7.2	99
ख - गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क		
लेखा परीक्षा के परिणाम	7.3	100
गन्ने की खरीद पर क्रय कर के स्थगन की शर्तों को लागू न करना	7.4	101

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय - 8 वन प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	102
वन भूमि का पट्टा	8.2	103
लीसा के कम एकत्रीकरण से राजस्व की अनुमानित हानि	8.3	105
वृक्षों का अवैध कटान	8.4	106
अवधि विस्तार शुल्क की वसूली न किया जाना	8.5	107
रायल्टी की कम वसूली	8.6	107
अध्याय - 9 अन्य विभागीय प्राप्तियां		
क - सिंचाई विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.1	109
स्टाम्प शुल्क की वसूली न /कम किया जाना	9.2	110
विभागीय प्राप्तियों का अनियमित लेखांकन	9.3	111
नहर के पानी के अनधिकृत प्रयोग के लिए दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना	9.4	111
विभागीय प्राप्तियों का अनियमित उपयोग	9.5	112
ख - लोक निर्माण विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.6	112
अंशदान कार्यों पर परसेन्टेज प्रभारों का न लगाया जाना	9.7	113
पट्टा अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना	9.8	114
पूर्व संशोधित दरों पर निविदा प्रपत्रों की बिक्री	9.9	114
अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना	9.10	115
पट्टा किराये के भुगतान में विलम्ब के प्रतिकर की वसूली न किये जाने और पथकर की किस्तों की कम वसूली किये जाने के कारण हानि	9.11	115

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ग - सहकारिता विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.12	116
संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना / कम जमा किया जाना	9.13	116

प्रस्तावना

31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये है ।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है । प्रतिवेदन में बिक्रीकर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, भू-राजस्व और अन्य कर प्राप्तियों, वन एवं राज्य की अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों को समाहित करते हुए निरुपित किया गया है ।

प्रतिवेदन में वर्णित प्रसंग उनमें से है जिन्हें वर्ष 1993-94 में अभिलेखों के जांच परीक्षण के दौरान देखा गया या पूर्ववर्ती वर्षों में देखा गया, किन्तु विगत प्रतिवेदनों से अनाच्छादित रहे ।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि से संबंधित 50.87 करोड़ रुपए के 2 समीक्षाओं सहित 51 प्रस्तर सम्मिलित किए गए हैं ।

कुछ प्रमुख तथ्य नीचे दिए जा रहे हैं:-

1. सामान्य

(i) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाही गई कुल प्राप्तियां 12,131.42 करोड़ रुपए थी। कुल प्राप्तियों में से 4,132 करोड़ रुपए (34 प्रतिशत) कर राजस्व तथा 1717.51 करोड़ रुपए (14 प्रतिशत) कर भिन्न राजस्व से संबंधित है । भारत सरकार से अनुदान तथा संघीय करों के भाग के रुप में कुल प्राप्तियां 62[illegible].91 करोड़ रुपए (52 प्रतिशत) थी । कर प्राप्तियों की वृद्वि दर, विगत वर्ष के 11 प्रतिशत के विरुद्व वर्ष 1993-94 में केवल 6 प्रतिशत थी ।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.2)

(ii) बिक्रीकर निर्धारणों को उनके कालातीत होने के ठीक पहले अन्तिम रुप देने की सुस्पष्ट प्रकृति दृष्टिगोचर हुई । वर्ष 1993-94 में अन्तिम रुप दिए गए 3.94 लाख रुपए के बिक्री कर निर्धारणों में से 55 प्रतिशत वे मामले थे जो आगामी वित्तीय वर्ष में कालातीत हो गए होते । 1993-94 के दौरान कर निर्धारण के 50 प्रतिशत मामलों को वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान अंतिम रुप दिया गया ।

(प्रस्तर 1.4 (क)(i), (ii) तथा (iii))

(iii) वर्ष 1993-94 के दौरान बिक्रीकर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, वन, विभागीय कार्यालयों आदि के अभिलेखों की नमूना जांच से 2786 मामलों में 68.46 करोड़ रुपए के अवनिर्धारण/राज़स्व हानि का पता चला । संबंधित विभागो ने 17.92 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किया । इसमें से 15.09 करोड़ रुपए की धनराशि वर्ष 1993-94 से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थी ।

(प्रस्तर 1.7)

(iv) जून 1994 की समाप्ति तक 271.99 करोड़ रुपए के राजस्व से सम्बद्व 8964 प्रस्तरों के 2746 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो कि दिसम्बर 1993 तक जारी किए गए थे, समाधान हेतु लम्बित थे । 829 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में तो प्रथम उत्तर भी नहीं प्राप्त हुआ था (जनवरी 1995) ।

(प्रस्तर 1.8)

2. बिक्रीकर

(1) घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध करमुक्तियों / रियायतों के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण" पर समीक्षा से ज्ञात हुआ कि -

(क) उपायुक्त (प्र), बिक्रीकर परिक्षेत्र "ए" कानपुर के कार्यालय में राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त घोषणा-प्रपत्र कम पाये गये किन्तु इस तथ्य को न तो सहायक आयुक्त (प्रवर्तन) इलाहाबाद को और न ही राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को प्रतिवेदित किया गयाः यद्यपि ऐसा किया जाना चाहिए था। इन घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु इनका प्रयोग अवैध घोषित करने के लिए आयुक्त, बिक्रीकर को इसकी सूचना नहीं दी गयी ।

(प्रस्तर 2.2.5 (क))

(ख) परिक्षेत्रीय उपायुक्तों (प्र0) तथा कर निर्धारण अधिकारियों के कार्यालयों के मध्य सामंजस्य हेतु कोई तंत्र (सिस्टम) नहीं है जिससे कि प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारियों को जारी किये गये प्रपत्रों को उनके स्टाक खाते में सही सही दर्ज किया जा सके । इसके परिणामस्वरुप लखनऊ तथा गा.जियाबाद मंडलों में रियायतों/ कर मुक्तियों का दावा करने वाले 10200 प्रपत्रों का कम लेखांकन हुआ ।

(प्रस्तर 2.2.5 (ख))

(ग) अन्य राज्यों के स्टाक के स्थानान्तरण के प्रति सत्यापन के संबंध में आयुक्त के विशेष निर्देशों के बावजूद 229.58 करोड़ रुपए के घोषणा प्रपत्र "एफ" के विरुद्ध 4673 मामले विभिन्न उपायुक्तों (एस0 आई0 बी0) को सत्यापन हेतु संदर्भित किये गये किन्तु 1991-92 से 1993-94 की अवधि में इनका सत्यापन नहीं हुआ ।

(प्रस्तर 2.2.6 (क))

(घ) जालसाजी एवं करापवंचन को रोकने के जिए विभागीय निर्देशों में यह प्रावधान है कि 25000 रुपए तथा अधिक के अन्तर्राज्यीय बिक्री के मामले प्रति सत्यापन हेतु आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने चाहिए । किन्तु आयुक्त के कार्यालय में, क्षेत्रीय कार्यालयों से इस प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति पर निगहबानी हेतु कोई निकाय (तंत्र) स्थापित नहीं हुआ था । लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि इस प्रकार के किसी निकाय के अभाव में आयुक्त का कार्यालय यह नहीं देख पाया कि क्षेत्रीय कार्यालयों ने 418 मामलों में 8.62 करोड़ रुपए के संव्यवहारों की सूचना उन्हे सत्यापन हेतु नहीं प्रेषित की तथा ये मामले

असत्यापित ही रहे । इन संव्यवहारों में करापवंचन / जालसाजी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

(प्रस्तर 2.2.7)

(ड.) संव्यवहारों की सत्यता को सुनिश्चित करने हेतु , कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा घोषणा प्रपत्रों से आच्छादित बिक्री तथा खरीद का प्रति सत्यापन अपेक्षित है । इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरुप 3.75 करोड़ रुपए के 335 मामले असत्यापित ही रहे ।

(प्रस्तर 2.2.8 (क) तथा (ख))

(ii) कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा फार्म "सी" अथवा "डी" से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 27.34 लाख रुपए का कर नहीं आरोपित किया गया ।

(प्रस्तर 2.3)

(iii) राज्य के अन्तर्गत 4 व्यापारियों द्वारा 42.46 लाख रुपए की अवैध खरीद पर जो कि बिना घोषणा प्रपत्र XXXI प्रस्तुत किये ही की गयी थी 16.99 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोप्य था किन्तु आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.5 क (i))

(iv) वर्ष 1983-84 से 1988-89 के दौरान 7 व्यापारियों द्वारा 702.36 लाख रुपए का टर्नओवर छिपाने के लिए अर्थदण्ड की धनराशि 18.43 लाख रुपए आरोपित नहीं की गई ।

(प्रस्तर 2.5 क (ii))

(v) राज्य के बाहर से माल के अनियमित खरीद के 8 मामले , जो पंजीयन प्रमाण पत्र से समर्थित नहीं थे, में निहित धनराशि 135.46 लाख रुपए पर यद्यपि 20.58 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोप्य था किन्तु आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.5 ख (i))

(vi) कर योग्य मालों की बिक्री पर कर की गलत दर लगाए जाने से 9 मामलों में निहित 29.36 लाख रुपए की हानि हुई ।

(प्रस्तर 2.8 (i) एवं (ii))

3. **राज्य आबकारी**

(i) "आसवनियों एवं यवासवनियों की कार्य कलाप में आंतरिक नियंत्रण " पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाये गये :-

(क) यद्यपि अनुज्ञापियों ने अपने नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र समय के भीतर अनुज्ञापन शुल्क के साथ प्रस्तुत कर दिए थे, परंतु उनके अनुज्ञापन या तो नवीनीकृत नहीं किए गये या 1 से 35 माह के विलम्ब के पश्चात नवीनीकृत किए गये ।

(प्रस्तर 3.2.5)

(ख) वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान, अल्कोहल का उत्पादन 1990-91 में 343.63 मिलियन लीटर से बढ़कर 1991-92 में 359.26 मिलियन लीटर हुआ परन्तु 1992-93 तथा 1993-94 में घट गया । वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का क्रमशः 46.2 तथा 63.7 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 3.2.6)

(ग) नियमों के अनुसार, चीनी मिलों से आसवनियों तक परिगमन में शीरे की हानि 1 प्रतिशत तक अनुमन्य है तथा 1 प्रतिशत से अधिक हानि प्रत्येक मामले में 5000 रुपए तक अर्थदण्ड आरोपित करते हुए प्रशमित की जा सकती है । दोनों स्थानों पर शीरे की मात्रा आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा जांची तथा प्रमाणित की जाती है । यह देखा गया कि 53 मामले में अधिकतम आरोप्य अर्थदण्ड 2.65 लाख रुपए के विरुद्ध केवल 2500 रुपए की कुल धनराशि पर प्रशमित किए गये । 400 मामले आयुक्त के पास आदेश के लिए लम्बित थे तथा 355 ऐसे मामलों में कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी । शीरे के परिगमन में अधिक हानि से शासन को 13.25 लाख रुपए अतिरिक्त आबकारी राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

(प्रस्तर 3.2.6 (i) (क))

(घ) 13 आसवनियों में, शीरे से स्प्रिट उत्पादन के मानक को लागू किए जाने में विफल रहने के कारण 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान शासन को 32.21 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबकारी राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

(प्रस्तर 3.2.6 (ii) (ख))

(ङ.) बन्ध के अन्तर्गत परिशोधित स्प्रिट जिसमें 112.53 लाख रुपए आबकारी राजस्व निहित था, प्राप्तकर्ताओं द्वारा पावती नहीं दी गयी ।

(प्रस्तर 3.2.8)

(च) निर्यात शुल्क की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप 71.05 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 3.2.9)

(छ) 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक शक्ति न अपनाए जाने के फलस्वरूप 19.75 लाख रुपए शुल्क का अवनिर्धारण हुआ ।

(प्रस्तर 3.2.11)

(ज) 1990-91 से 1993-94 के दौरान आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित, यवासवनियों/आसवनियों का निरीक्षण विभागीय प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 3.2.13)

(ii) वर्ष 1992-93 के दौरान एक जिले की शहर ग्रुप की 35 देशी शराब की दुकानों की पुनः नीलामी के लिए नियमों का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप .64 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 3.3)

4. **वाहनों, मालों तथा यात्रियों पर कर**

एक मुश्त यात्रीकर बढ़ाये जाने के लिए दिनांक 2 सितम्बर 1992 की सरकारी अधिसूचना के विलम्बित संचार के फलस्वरूप वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 की अवधि के दौरान चेक पोस्ट से होकर गुजरने वाले 2479 वाहनों से संबंधित 7.52 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 4.2)

5. **स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस**

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि का मूल्यांकन न किए जाने के फलस्वरूप 14 मामलों में 13.92 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित की गई ।

(प्रस्तर 5.3)

6. **भू-राजस्व**

4 जिलों की 4 तहसीलों में 1991-92 से 1993-94 के दौरान अशासकीय संस्थाओं से, उनके देयों की भू-राजस्व की तरह वसूली किए जाने से संबंधित 17.26 लाख रुपए, संग्रह प्रभार नहीं वसूल किया गया ।

(प्रस्तर 6.2)

7. **अन्य कर प्राप्तियां**

1984-85 से 1988-89 के दौरान एक चीनी मिल द्वारा गन्ना के क्रय पर 51.23 लाख रुपए कर के स्थगन पर शासन के आदेश को लागू नहीं किया गया और न ही चीनी मिल से कर की वसूली की गई ।

(प्रस्तर 7.4)

8. **वन प्राप्तियां**

(i) पट्टा धारकों से पेड़ों की कीमत 207.77 लाख रुपए तथा पट्टा किराया 438.19 लाख रुपए की वसूली नही की गई ।

(प्रस्तर 8.2 (i) एवं (ii))

(ii) लीसा एकत्रित करने के लिए खाली टिनों की आपूर्ति में विलम्ब से 1992 सीजन के दौरान 2 वन प्रखण्डों में लीसा के कम एकत्रित करने के कारण 31.14 लाख रुपए की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.3)

(iii) एक वन प्रखण्ड में पेड़ों के अवैध कटान के फलस्वरूप 16.83 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.4)

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान उगाहा गया कर एवं गैर कर राजस्व वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दिए गए हैं ;

		1991-92	1992-93	1993-94
I.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**			
			(करोड़ रुपये में)	
(क)	कर-राजस्व	3497.39	3886.34	4132.00
(ख)	गैर कर राजस्व	1083.48	1420.89	1717.51
		4580.87	5307.23	5849.51
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**			
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	2731.35	3398.61	3552.07 •
(ख)	सहायक अनुदान	2362.39	2970.34	2729.84
		5093.74	6368.95	6281.91
III.	**राज्य की कुल प्राप्तियां** (I + II)	9674.61	11676.18	12131.42 ••
IV.	**I से III की प्रतिशतता**	47	45	48

• विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1993-94 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण संख्या 11 देखें । इस विवरण में वित्त लेखे में, लेखाशीर्ष क: कर राजस्व के अंतर्गत 10021 - निगम कर से भिन्न आय पर कर-राज्यों समनुदेशित निवल प्राप्तियों के हिस्से के आंकड़े से राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व को निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है ।

•• विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1993-94 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वाराराजस्व के वित्त लेखों का विवरण संख्या - 11 देखें ।

वर्ष 1993-94 के लिए कर राजस्व का विवरण साथ ही पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं तथा रेखाचित्र-। में भी दर्शाये गए हैं।

वृद्धि/कमी

राजस्वशीर्ष	1991-92	1992-93	1993-94	1992-93 के संदर्भ में 1993-94 में वृद्धि (+) या कमी(-)	1992-93 के संदर्भ में की प्रतिशतता में परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़ रुपए में)			
1. बिक्रीकर	1641.83	1654.35	1755.26	(+) 100.91	6.00
2. राज्य आबकारी	715.62	884.72	957.04	(+) 72.32	8.00
3. स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क	445.19	460.47	531.62	(+) 71.15	15
4. मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	188.22	300.97	336.58	(+) 35.61	12
5. माल एवं यात्रियों पर कर	161.42	195.12	194.55	(-) 00.57	(-) 0.3
6. वाहनों पर कर	92.99	102.96	98.49	(-) 4.47	(-) 4
7. गन्ने के क्रय पर कर	68.42	65.71	57.40	(-) 8.31	(-)13
8. विद्युत पर कर और शुल्क	57.13	63.58	56.43	(-) 7.15	(-)11

कर-राजस्व की बढ़ोत्तरी

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक

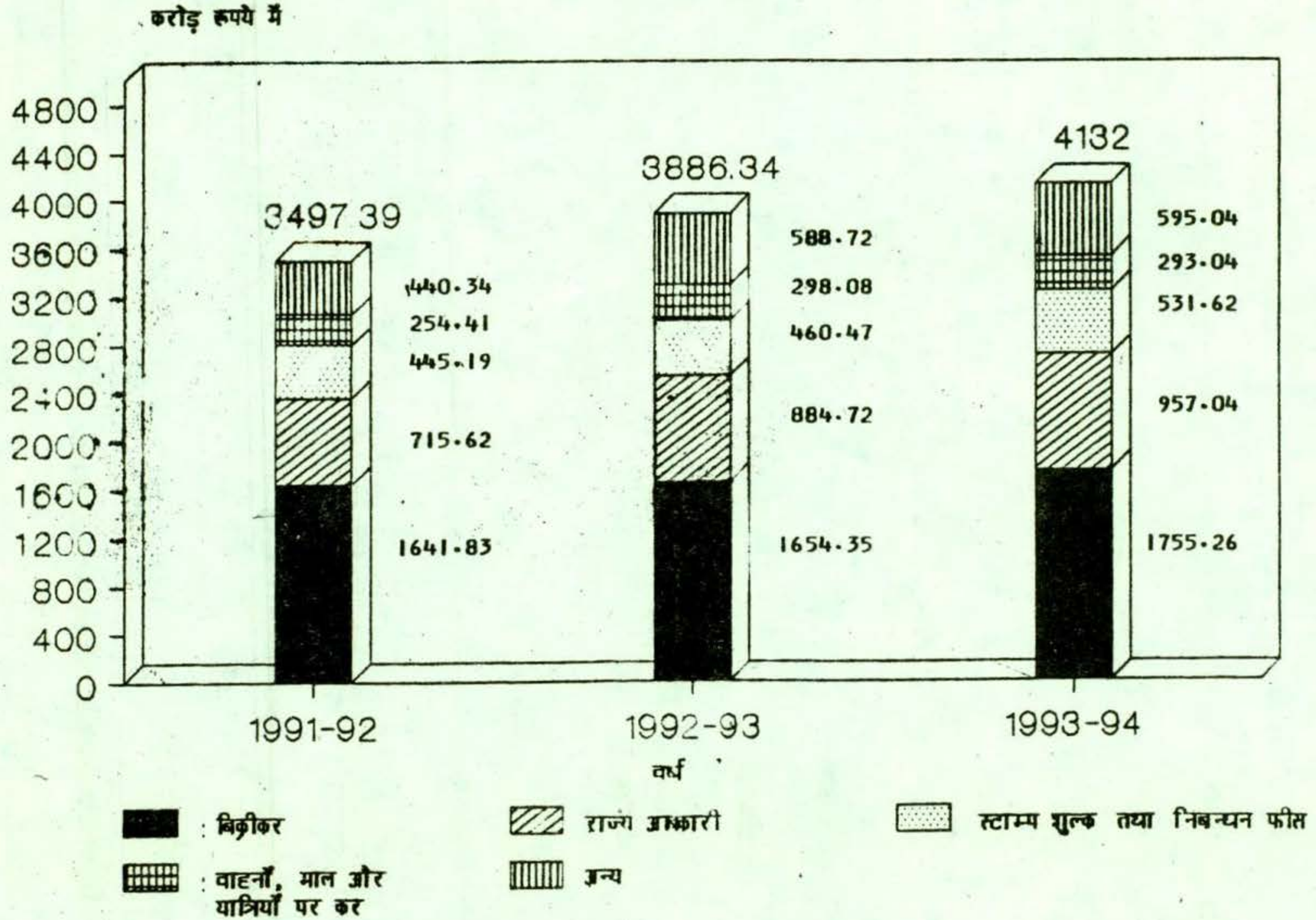

(संदर्भ प्रस्तर 1.1 (1) पृष्ठ संख्या- 2)

रेखा चित्र - 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. भू-राजस्व	42.21	60.32	47.76	(-) 12.56	(-)21
10. आय तथा व्यय पर अन्य कर	-	1.78	00.001	(-) 1.78	(-)100
11. कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	0.78	1.79	00.06	(-) 1.73	(-)97
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	83.58	94.57	96.81	(+) 2.24	2
योग	3497.39	3886.34	4132.00	(+) 245.66	6

(II) वर्ष 1993-94 के लिए गैर कर राजस्व का विवरण साथ ही उन विभागों के सम्बन्ध में पूर्व के दो वर्षों के आँकड़े नीचे दिए गए हैं तथा रेखा- चित्र ।। में दर्शाये गए हैं ।

राजस्व शीर्ष	1991-92	1992-93	1993-94	1992-93 के संदर्भ में 1993-94 में वृद्धि (+) या कमी (-)	1992-93 के संदर्भ में प्रतिशतता में परिवर्तन
		(करोड़ रुपए में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. विविध सामान्य सेवायें	390.17	513.30	778.94	(+)265.64	52
2. ब्याज प्राप्तियां	298.93	317.70	354.78	(+) 37.08	12
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	85.43	106.88	121.16	(+) 14.28	13
4. वृहत और मध्यम सिंचाई	36.84	45.97	161.23	(+)115.26	251
5. शिक्षा, खेल,कला और संस्कृति	34.73	55.92	29.94	(-) 25.94	(-) 46
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	29.20	32.52	20.72	(-) 11.80	(-) 36
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	20.77	24.99	61.16	(+) 36.17	145
8. पुलिस	19.54	27.77	27.41	(-) 0.36	(-) 1.3
9. क्राप हसबेण्ड्री	16.93	12.58	15.61	(+) 3.03	24
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	16.01	44.59	4.45	(-) 40.14	(-) 90

कर-भिन्न राजस्व की बढ़ोत्तरी

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक

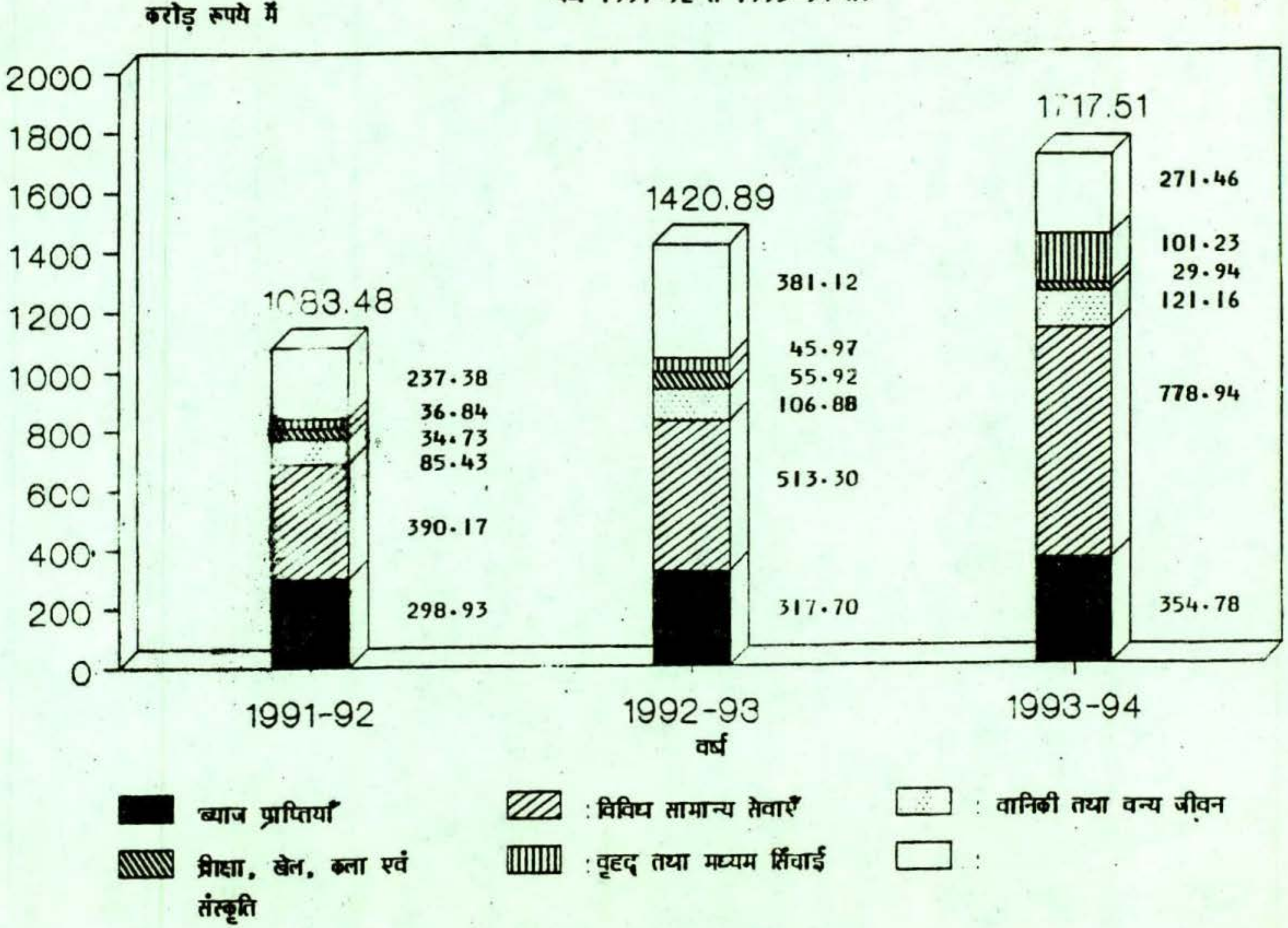

(संदर्भ प्रस्तर 1.1 (II) पृष्ठ संख्या - 4)

रेखा चित्र - II

(क-5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	14.45	18.61	14.77	(-)3.84	(-) 21
12. लघु सिंचाई	14.33	46.01	21.91	(-)24.10	(-) 52
13. सड़क एवं सेतु	11.43	11.13	17.32	(+) 6.19	56
14. लोक निर्माण	10.59	9.31	14.92	(+) 5.61	60
15. सहकारिता	6.95	53.33	5.98	(-)47.35	89
16. अन्य	77.18	100.28	67.21	(-)33.06	33
योग	1083.48	1420.89	1717.51	(+)296.62	21

वर्ष 1993-94 में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण अन्तर रहा :

(क) वर्ष 1992-93 की प्राप्तियों की तुलना में संबंधित शीर्ष "आय तथा व्यय पर अन्य कर" के अन्तर्गत (100 प्रतिशत), "कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर" (97 प्रतिशत), "सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" (90 प्रतिशत) "लघु सिंचाई" (52 प्रतिशत), "शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति" (46 प्रतिशत), "अन्य प्रशासनिक सेवायें" (36 प्रतिशत) और "भू-राजस्व" के अन्तर्गत (21 प्रतिशत) की असामान्य गिरावट आयी ।

(ख) वर्ष 1992-93 की प्राप्तियों की तुलना में शीर्ष "वृहत और मध्यम सिंचाई" (25 प्रतिशत) "अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग" (145 प्रतिशत), "लोक निर्माण" (60 प्रतिशत), "सड़क एवं सेतु" (56 प्रतिशत) "विविध सामान्य सेवाये" (52 प्रतिशत), "क्राप हसबैण्ड्री" (24 प्रतिशत) तथा "स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क" के अन्तर्गत (15 प्रतिशत) की पर्याप्त बृद्धि हुई ।

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था (अक्टूबर 1994) और दिसम्बर 1994 में अनुस्मारक भी भेजा गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं :-

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि(+) कमी(-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए में)			
क. कर राजस्व	4214.14	4132.00	(-)82.14	(-)2
ख. गैर कर राजस्व	1608.97	1717.51	(+)108.54	(+)7

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर का विभाजन निम्नवत् है :

प्राप्ति शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(करोड़ रुपए में)			
क. कर राजस्व				
1. बिक्रीकर	1820.00	1755.26	(-) 64.74	(-)3.6
2. राज्य आबकारी	955.51	957.03	(+) 1.52	0.2
3. स्टाम्प एवं पंजीयन	516.98	531.62	(+) 14.64	3
4. मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	329.49	336.58	(+) 7.09	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. माल एवं यात्रियों पर कर	195.76	194.55	(-) 1.21	(-)0.6
6. वाहनों पर कर	121.51	98.49	(-) 23.02	(-)19
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क मनोरंजन कर	101.48	96.81	(-) 4.68	(-)4.6
8. गन्ने के क्रय पर कर	68.34	57.40	(-) 10.94	(-)16
9. विद्युत पर कर और शुल्क	66.52	56.43	(-) 10.09	(-)15
10. भू-राजस्व	35.01	47.75	(+) 12.74	36.4
ख गैर कर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवायें	776.82	778.94	(+) 2.12	0.3
2. ब्याज प्राप्तियां	414.75	354.78	(-) 59.97	(-)14.5
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	100.28	121.16	(+) 20.88	21
4. वृहत एवं मध्यम सिंचाई	60.80	161.23	(+)100.43	165
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	43.85	29.94	(-) 13.91	(-)32

बजट अनुमानों के ऊपर वास्तविक प्राप्तियों में प्राप्ति शीर्ष "वृहत एवं मध्यम सिंचाई" (165 प्रतिशत), "भू-राजस्व" (36 प्रतिशत), "वानिकी एवं वन्य जीवन" (21 प्रतिशत) के अन्तर्गत पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई । फिर भी, शीर्ष "शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति" (32 प्रतिशत), "वाहनों पर कर" (19 प्रतिशत), "गन्ने के क्रय पर कर" (16 प्रतिशत) और "विद्युत पर कर व शुल्क के अन्तर्गत (15 प्रतिशत) तक की कमी आयी ।

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी एवं कमी के कारणों को सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था (अक्टूबर 1994); और दिसम्बर 1994 में अनुस्मारक भी भेजा गया था, उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 1995)।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के तीन वर्षों के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुये व्यय तथा सकल संग्रह पर हुये व्यय के प्रतिशत के साथ साथ वर्ष 1992-93 के दौरान सकल संग्रह पर हुये व्यय की अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1992-93 के आधार पर अखिल भारतीय औसत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़ रुपए में)			
1. बिक्रीकर	1991-92	1641.83	32.68	2	
	1992-93	1654.35	39.28	2.4	
	1993-94	1755.26	42.85	2.4	1.5
2. वाहनों पर कर	1991-92	92.99	3.55	3.8	
	1992-93	102.96	4.25	4.1	
	1993-94	98.49	4.80	4.9	2.9
3. माल तथा यात्रियों पर कर	1991-92	161.42	2.12	1.3	
	1992-93	195.12	2.43	1.2	
	1993-94	194.55	2.70	1.4	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. विद्युत कर	1991-92	57.13	1.81	3.2	
	1992-93	63.58	2.13	3.4	
	1993-94	56.43	2.39	4.2	
5. मनोरंजन कर	1991-92	83.58	13.58	16.2	
	1992-93	94.57	20.57	21.8	
	1993-94	96.81	9.29	10	
6. राज्य आबकारी	1991-92	715.62	7.48	1	
	1992-93	884.72	12.03	1.4	
	1993-94	957.04	10.85	1.1	2.2
7. स्टाम्प एवं पंजीयन	1991-92	445.19	8.45	1.9	
	1992-93	460.47	6.41	1.4	
	1993-94	531.62	1.98	0.4	4.9

"वाहनों पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत संग्रह पर हुए व्यय में वृद्धि वर्ष 1992-93 में सकल संग्रह की 4.1 प्रतिशत से बढकर वर्ष 1993-94 में 4.9 प्रतिशत हो गयी ।

राजस्व संग्रह पर बढ़े हुए व्यय की प्रवृत्ति के कारणों एवं उसमें कमी करने हेतु अपनाये गए उपायों के बारे में अवगत कराने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था (अक्टूबर 1994) अनुस्मारक भी भेजा गया था (दिसम्बर 1994); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।

1.4 कर निर्धारण के बकाया मामले

(क) बिक्रीकर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(i) कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान वर्षों के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु अपेक्षित मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्नवत है :-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु अपेक्षित मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 का 4 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1989-90	815564	336860	1152424	409782	742642	35.6
1990-91	812978	360130	1173108	527962	645146	45.0
1991-92	718433	376111	1094544	450354	644190	41.0
1992-93	710790	387506	1098296	416982	681314	38.0
1993-94	741996	394868	1136864	394101	742763	35.0

वर्ष 1989-90 से 1992-93 के लिए अन्तशेष में आदि शेष से भिन्नता है विभाग ने बताया कि यह स्थिति मामलों की संवीक्षा त्रुटि सुधार तथा पिछली तिथि से पंजीयन देने के कारण है । यह आवश्यक है कि विभाग अभिलेखों के रख रखाव की व्यवस्था को ठीक करे जिससे कि आंकड़ों की संगतता एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके ।

अवलोकनीय है कि वर्ष 1993-94 के अन्त में 65 प्रतिशत मामले निर्धारण के लिए लंबित थे । इसके अतिरिक्त, मामलों के निस्तारण में हुयी गिरावट की प्रतिशतता जो वर्ष 1991-92 में 41 थी, वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में क्रमशः 38 व 35 हो गई ।

31 मार्च 1994 को लम्बित कर निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन निम्न तालिकानुसार था:

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1988-89 तक	2013
1989-90	20868
1990-91	174892

1991-92	240145
1992-93	300636
पुनर्कर निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा प्रति प्रेषित मामले	4209
योग	742763

(II) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के प्रथम नौ माह के दौरान तथा अंतिम तीन माह के दौरान निष्पादित कर निर्धारणों की तुलनात्मक स्थिति भी नीचे दी गयी है :

	1992-93			1993-94		
अवधि	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़ रुपए में)	निष्पादित निर्धारण के मामलों की प्रतिशतता	निष्पादित कर निर्धारण मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़	निष्पादित निर्धारणों की प्रतिशतता
अप्रैल से दिसम्बर	2,35,531	211.78	56	1,97,192	175.83	50
जनवरी से मार्च	1,81,451	564.85	44	1,96,909	615.25	50
योग	4,16,982	776.63		3,94,101	791.08	

यह स्पष्टत: परिलक्षित है कि माह अप्रैल से दिसम्बर के मध्य मामलों का निस्तारण वर्ष के अन्तिम तिमाही से कमोवेश बराबर ही रही। प्रथम तीन तिमाही में उठाई गई अतिरिक्त मांग 175.83 करोड़ रुपए थी जबकि अन्तिम तिमाही के दौरान उठायी गई मांग 615.25 करोड़ रुपए थी जो 250 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाती है । अन्तिम तिमाही में निस्तारित वादों की प्रतिशतता वर्ष 1992-93 में 44 से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 50 हो गयी ।

(III) नीचे दिए गए निष्पादित मामलों के विभाजन से स्पष्ट है कि प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति रही है । विभाजन से प्रकट होता है कि निपटाए गए मामलों में से 55 प्रतिशत से अधिक मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने थे जो यदि उसी वर्ष के दौरान निस्तारित न किए गए होते तो वे कालातीत हो जाते ।

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष	जिस वर्ष से सम्बन्धित है उन वर्षों के अनुसार निस्तारित मामलों का विभाजन		
	वर्ष	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
1993	1987-88 तक	41491	10
	1988-89	177462	43
	1989-90	46569	11
	1990-91	43038	10
	1991-92	100374	24
	प्रति प्रेषित मामले	8048	2
	योग	416982	
1994	1988-89 तक	31353	8
	1989-90	186776	47
	1990-91	46644	12
	1991-92	39305	10
	1992-93	81595	21
	प्रति प्रेषित मामले	8428	2
	योग	394101	

प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति से हड़बड़ी में किये गये कर-निर्धारण, अभिलेखों की अपर्याप्त जांच तथा समय व्यपगत के साथ व्यापारियो के दिवालिया या गुम हो जाने का खतरा रहता है ।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक के अपील एवं पुनरीक्षण के मामले जो बिक्री कर विभाग द्वारा निस्तारित किये जाने थे, तथा जो मामले निस्तारित किये गये, की संख्या तथा साथ ही साथ वर्ष 1993-94 के अन्त में अपील एवं पुनरीक्षण के निष्पादन हेतु लम्बित तथा विभाग द्वारा सूचित मामलों की संख्या नीचे प्रदर्शित है :

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपील की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपील की सं०	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या में से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपील के मामले						
1989-90	78325	50979	129304	45258	84046	35
1990-91	84046	44282	128328	49206	79122	38
1991-92	79122	45957	125079	57103	67976	46
1992-93	67976	45219	113195	48765	64430	43
1993-94	64430	45017	109447	46775	62672	43
पुनरीक्षण के मामले						
1989-90	53547	16089	69636	17980	51656	26
1990-91	51656	21369	73025	18848	54177	26
1991-92	54177	25087	79264	18837	60427	24
1992-93	60427	23537	83964	19324	64640	23
1993-94	64640	22212	86852	19483	67369	22

अवलोकनीय है कि लम्बित अपील के मामलों की संख्या 78325 से घट कर वर्ष 1993-94 के अन्त में 62672 हो गयी तथा उसी समय के दौरान निस्तारण हेतु लम्बित पुनरीक्षण के मामलों में 53547 से 67369 होने पर 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी ।

1.5 संग्रह का विश्लेषण

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1993-94 के दौरान बिक्रीकर के सकल संग्रह का विभाजन (पूर्व निर्धारण की अवस्था तथा नियमित निर्धारण के पश्चात) पूर्व के दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़ों के साथ नीचे दिया जा रहा है ।

करशीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था में संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत धनराशि	अन्य प्राप्तियां	प्रत्यार्पित धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	कालम 3 की 7 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(	करोड़	रुपए	में		)
बिक्रीकर	1991-92	1460.26	83.93	39.16	5.84	1577.51	93
	1992-93	1526.46	101.41	22.77	8.15	1642.49	93
	1993-94	1699.74	121.32	23.48	7.49	1837.05	93

मार्च 1994 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की बिक्रीकर विभाग द्वारा दी गयी राजस्व वसूली की स्थिति यह बताती है कि पूर्व निर्धारण अवस्था का राजस्व संग्रह का प्रतिशत 93 था यह करदाताओं की स्वेच्छिक अनुपालन की जागरुकता तथा आय के उच्च लक्ष्य प्राप्ति में संलग्न बिक्रीकर विभाग के कर संग्रह साधनों के सीमित कर्तव्यों को प्रकट करती है ।

1.6 असंग्रहीत राजस्व

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 1994 को राजस्व बकाए का लम्बित संग्रह, जैसा विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्नवत था :-

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
	(करोड़ रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बिक्रीकर	1943.09	432.15	1943.09 करोड़ रुपए में से 406.72 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 263.38 करोड़ रुपए तथा 31.29 करोड़ रुपए की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित

			कर दी गयी थी । प्रार्थना पत्रों की समीक्षा/ परिशोधन के कारण 82.46 करोड़ रुपए की वसूली रुक गयी थी। 82.85 करोड़ रुपए की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र अन्य राज्यों को निर्गत किये गये थे । 113.34 करोड़ रुपए के लिए मांग के अपलिखित होने की संभावना थी । 963.05 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा उठाये गये विशिष्ट कदमों का विवरण मांगा गया था (अप्रैल 1994) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नही दी है (जनवरी1995) ।
2. गन्ने पर क्रयकर (चीनी मिलें)	11.34	8.51	11.34 करोड़ रुपए में से 2.66 करोड़ रुपए के बकाये की भू राजस्व की भांति वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था और 2.60 करोड़ रुपए की किस्तों में वसूली करने का निर्णय लिया गया था। 5.70 करोड़ रुपए की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.38 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये का निर्दिष्टीकरण विभाग द्वारा मांगा गया था (अप्रैल 1994) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (जनवरी 1995) ।
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	8.99	7.19	8.99 करोड रुपए में से 6.12 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 64 लाख रुपए की वसूली न्यायलयों तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 8 लाख रुपए की एक मांग को हस्तगत जमानत के विरुद्ध समायोजित किया जाना, बताया गया । 12 लाख रुपए की मांग अपलिखित होने की संभावना थी । 2.03 करोड़ रुपए के सम्बन्ध में निर्दिष्टीकरण विभाग द्वारा मांगा गया (अप्रैल 1994), जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (जनवरी 1995) ।

4.	मनोरंजन कर	5.33	3.59	5.33 करोड़ रुपए में से 0.76 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 4.36 करोड़ रुपए की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.21 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में निर्दिष्टीकरण विभाग द्वारा मांगा गया था (अप्रैल 1994) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (जनवरी 1995) ।
5.	विद्युत कर	25.49	कोई नही	25.49 करोड़ रुपए में से 24.94 करोड़ रुपए की मांग जो यू0पी0 सीमेण्ट कार्पोरेशन चुर्क द्वारा देय थी, को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था और 0.42 करोड़ रुपए की मांग को भू राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 0.13 करोड़ रुपए का अवशेष वसूली की प्रक्रिया में है ।
6.	राज्य आबकारी	67.85	59.56	67.85 करोड़ रुपए में से 15.36 करोड़ रुपए के के लिए मांग को भू राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 50.91 करोड़ रुपए तथा 0.84 करोड़ रुपए की मांग क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी । 0.74 करोड़ रुपए की मांग आयातियों के दिवालिया हो जाने के कारण वसूल नहीं की जा सकी ।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि मांगी गयी थी (अक्टूबर 1994) किन्तु प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 1995) ।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान बिक्रीकर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण से 2786 मामलों में 68.46 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण/ कम आरोपण / राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये । 1993-94 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 1083 मामलों में 17.92 करोड़ रुपए के

कर अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिसमें से 15.09 करोड़ रुपए के 229 मामले वर्ष 1993-94 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये और शेष विगत वर्षों से सम्बन्धित थे । इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने 7 लेखा परीक्षा आपत्तियों पर 8.51 लाख रुपए की वसूली की ।

इस प्रतिवेदन में दो सभी क्षेत्रों सहित कर का कम आरोपण, अनारोपण, शुल्क, ब्याज , अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 2 समीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए 51 प्रस्तर है जिनमें 58.87 करोड़ रुपए की राशि सन्निहित हैं। विभाग / सरकार ने 8.33 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है जिसमें से जनवरी 1995 तक 8.77 लाख रुपए की वसूली कर ली गयी थी । अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

(i) त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, कर के कम आरोपण , शुल्क, फीस आदि पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां और साथ ही लेखापरीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गयी कमियाँ जिनका स्थल पर समाधान न हो सका , को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है । अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है । कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(ii) राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 1993 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या तथा जिनके निस्तारण 30 जून 1994 तक विभागों द्वारा लम्बित रहे, साथ ही पूर्व के दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़ों सहित नीचे दिए गए है :-

	माह जून के अन्त में		
	1992	1993	1994
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2582	3407	2746
2. अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	6112	8100	8964
3. निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपयें में)	109.91	182.77	271.99

(iii) लेखा परीक्षा आपत्तियों तथा अनिस्तारित (30 जून 1994 को) निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्षवार विभाजन नीचे दिया गया है -

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये)	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	निहित राजस्व (करोड़ रुपए में)
1989-90 तक	635	2533	78.82
1990-91	309	1120	53.46
1991-92	649	1770	48.01
1992-93	603	2085	63.69
1993-94	550	1456	28.01
योग	**2746**	**8964**	**271.99**

(iv) 30 जून 1994 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग वार विभाजन नीचे दिया गया है :-

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की राशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नही हुए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	449	1516	169.76	1981-82 से 1993-94	191

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. बिक्रीकर	561	2640	35.25	1983-84 से 1993-94	231
3. सिंचाई	157	522	12.05	1985-86 से 1993-94	26
4. राज्य आबकारी	308	447	10.15	1984-85 से 1993-94	40
5. भू-राजस्व	217	658	10.93	1984-85 से 1993-94	52
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	183	1113	7.73	1984-85 से 1993-94	65
7. लोक निर्माण	155	420	9.73	1984-85 से 1993-94	39
8. गन्ने के क्रय पर कर	93	105	5.79	1981-82 से 1993-94	14
9. स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	349	1082	5.59	1984-85 से 1993-94	113
10. अन्य विभाग (क्राप हस्बेन्ड्री, कृषि, विद्युत शुल्क खाद्य् एवं रसद, सहकारिता एवं मनोरंजन कर)	274	461	5.01	1985-86 से 1993-94	40
योग	2746	8964	271.99		829

प्रकरण , शासन के मुख्य सचिव के संज्ञान में अप्रैल 1994 में लाया गया था अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु शासन द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुयी (जनवरी 1995) ।

अध्याय - 2

बिक्री कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान किए गए बिक्रीकर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण में 1330 मामलों में 1138.15 लाख रुपए के कर अवनिर्धारण तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगाए जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. ब्याज/अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	378	432.23
2. अनियमित छूटें	150	122.38
3. कर की गलत दर का लगाया जाना	199	59.33
4. माल का गलत वर्गीकरण	131	57.57
5. कर योग्य विक्रय धन का कर निर्धारण से छूट जाना	50	76.73
6. केन्द्रीय बिक्रीकर से सम्बन्धित अनियमिततायें	54	94.13
7. कर/अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण	111	28.94
10. अन्य अनियमिततायें	257	266.84
योग	1330	1138.15

वर्ष 1993-94 के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 739 प्रकरणों में निहित 185.46 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें से 54 प्रकरणों में निहित 54.10 लाख रुपए 1993-94 के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए गए थे । कुछ निदर्शी मामले तथा "पूर्ण कर-मुक्ति

एवं रियायती दर के घोषणा प्रपत्रों के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण" पर की गयी समीक्षा जिनमें 157.96 लाख रुपए सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये जा रहे है :-

2.2 पूर्ण कर-मुक्ति एवं रियायती दर के घोषणा-प्रपत्रों के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण

2.2.1 प्रस्तावना

आन्तरिक नियंत्रणों का अभिप्राय करों एवं शुल्कों के अपवंचन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा, त्वरित एवं प्रभावोत्पादक सेवा हेतु युक्ति संगत विश्वास प्रदान करना होता है । इनका आशय नियमों एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन को लागू करने के लिए बढ़ावा देता है और विभिन्न अनियमितताओं एवं धोखा-धड़ी को पता लगाने एवं रोकने में सहायता करता है । ये विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबन्ध सूचना व्यवस्था के निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं ।

अतः विभाग का यह दायित्व है कि एक उचित आन्तरिक नियंत्रण का ढ़ाँचा स्थापित करे तथा इसे प्रभावशाली बनाने हेतु पुनरीक्षित एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करे ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 (अधिनियम) एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन बिक्रीकर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को कर-मुक्ति एवं रियायती दर की सुविधाये अनुमन्य होती है । इसी प्रकार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 (के0वि0क0 (अधि0))एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कर-मुक्ति तथा रियायतों का लाभ अनुमन्य होता है । एक पंजीकृत व्यापारी क्रेता व्यापारी द्वारा प्रदत्त घोषणा पत्रों के आधार पर कर-मुक्ति एवं रियायत का दावा कर सकता है । पूर्ण कर मुक्ति / रियायती दर की सुविधा के इच्छुक व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर विभाग द्वारा सभी प्रकार के घोषणा पत्र निर्गत किये जाते हैं ।

विभाग की अपनी एक नियमावली है जिसमें कार्यालयों के कार्य, कर्तव्य एवं कार्यप्रणाली दी गयी है। तथापि घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध दी जाने वाली कर-मुक्ति एवं रियायतों के सम्बन्ध में नियंत्रण समय समय पर निर्गत प्रशासनिक निर्देशों द्वारा किया जाता है जिन्हें अभी भी नियमावली में समाहित नहीं किया गया है ।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण एवं निर्गमन के संबध में सम्पूर्ण संचालन, नियंत्रण एवं दिशानिर्देशन का अधिकार कमिश्नर बिक्रीकर का है । राज्य को 22 प्रशासनिक परिक्षेत्रों में बांटा गया है जिनमें प्रत्येक का प्रमुख उपायुक्त बिक्रीकर (शासकीय)(उपा0) (शा0) होता है । पुनः इन परिक्षेत्रों को खण्डों में विभाजित किया गया है जिनका प्रभारी विभागीय कर निर्धारण अधिकारी यथा सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण), (स0आ0) (क0नि0) बिक्रीकर अधिकारी (बि0 अ0) श्रेणी- 1/2 होता है ।

2.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

बिक्रीकर विभाग में घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध पूर्ण कर मुक्ति एवं रियायती दर के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण की यथेष्ठता एवं प्रभाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समीक्षा मार्च 1994 से मई 1994 की अवधि में की गयी, जिसमें वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक की अवधि आच्छादित की गयी । समीक्षा में कमिश्नर , बिक्रीकर (क0 बि0 क0), 22 उपा0 (शा0) बिक्रीकर में से 8 उपा0 (शा0) तथा सभी 6 उपायुक्त (विशेष अनुसन्धान शाखा) एवं 45 कर निर्धारण अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी ।

2.2.4 मुख्य अंश

(i) (उपा0) (शा0) बिक्रीकर परिक्षेत्र "ए" कानपुर द्वारा मुद्रणालय से लाये गये घोषणा पत्रों में से 204 घोषणा पत्र कम पाये गये जिसकी सूचना न तो सहायक आयुक्त (प्रवर्तन) (स0 आ0) (प्र0) इलाहाबाद को और न ही राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को दी गयी यद्यपि अपेक्षित था इन प्रपत्रों को दुरुपयोग से रोकने हेतु तथा उनका उपयोग अवैध घोषित करने हेतु कमिश्नर बिक्रीकर को सूचित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर - 2.2.5 (क))

(ii) परिक्षेत्रों के उपायुक्त (प्रवर्तन) के कार्यालयों एवं कर निर्धारण अधिकारियों के बीच पुनः मिलान (रिकंसिलिएशन) की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह सुनिश्चत किया जा सके कि कर निर्धारण अधिकारियों को जो प्रपत्र निर्गत किए गए थे उनकी प्रविष्टि सही ढंग से स्टाक लेखों में कर ली गई है । परिणामस्वरूप लखनऊ एवं गाजियाबाद परिक्षेत्रों में पूर्ण कर मुक्ति / आंशिक कर मुक्ति के 10200 प्रपत्रों को लेखांकित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.2.5 (ख))

(iii) दूसरो राज्यों को माल के हस्तांतरण के विषय में क्रास वेरीफिकेशन हेतु आयुक्त के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद घोषणा प्रपत्र "च" के विरुद्ध 4673 ऐसे मामले जिनमें 229.58 करोड़ रुपए सन्निहित थे उपायुक्तों (बि0 अनु0 शा0) को सत्यापन हेतु संदर्भित किए गए थे परन्तु वर्ष 1991-92 से 1993-94 के मध्य उनका सत्यापन नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.2.6 (क))

(iv) कर की धोखा धड़ी एवं अपवंचन को रोकने हेतु विभागीय अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि 25000 रुपए एवं उससे ऊपर की अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में आयुक्त को इसकी

सूचना दी जानी चाहिए जिससे उनका सत्यापन किया जा सके (क्रास वेरीफिकशन) । क्षेत्रीय कार्यालयों से आयुक्त के कार्यालय में ऐसी सूचना की प्राप्ति को सुनिश्चत करने के लिये कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 418 ऐसे मामले जिनमें 8.62 करोड़ रुपए का संव्यवहार निहित था और उनका सत्यापन किया जाना था, परन्तु उनका सत्यापन नहीं किया गया क्योंकि आयुक्त के कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालयों ने सूचित ही नहीं किया । ऐसा उक्त व्यवस्था के लागू न होने के कारण हुआ । ऐसे समव्यवहारों में अपवंचन/धोखाधड़ी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(प्रस्तर 2.2.7)

(v) संव्यवहारों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि घोषणा पत्रों से आच्छादित खरीद/बिक्री का सत्यापन उस स्थान से कर लें जहां से ये प्रप्रत्र निर्गत किये गये थे । इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया परिणामस्वरुप 335 ऐसे मामलों में, जिनमें 3.75 करोड़ की धनराशि निहित थी, सत्यापन नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.2.8(क) एवं (ख))

(vi) आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन द्वारा आंतरिक नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था की यथेष्ठता का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण का कार्य नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.2.10)

2.2.5 घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन तथा उचित लेखा जोखा पर नियंत्रण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर नियमावली 1948 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा प्रपत्र और केन्द्रीय बिक्रीकर (रजि0 तथा टर्नोवर) 1957 नियमावली में निर्धारित प्रपत्र संख्या ई - I, ई- II की छपाई तथा भंडारण की व्यवस्था विभाग द्वारा राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद के माध्यम से की जाती है । इसी प्रकार, केन्द्रीय बिक्रीकर (रजि0 तथा टर्नोवर) नियमावली, 1957 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा प्रपत्रों (प्रपत्र ई- I एवं ई - II को छोड़कर) की छपाई एवं भण्डारण की व्यवस्था कानपुर स्थित प्राइवेट सिक्योरिटी प्रेस के माध्यम से की जाती है। तथापि जुलाई 1991 तक इन प्रपत्रों की आपूर्ति भारतीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड द्वारा की जाती थी । कर निर्धारण अधिकारियों को व्यापारियों को वितरित करने हेतु, प्राइवेट सिक्योरिटी प्रेस कानपुर के डिपों से घोषणा प्रपत्रों का निर्गमन, उपा0 (शा0) परिक्षेत्र "ए" कानपुर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जब कि राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद के डिपों से प्रपत्रों का राज्य के सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निर्गमन स0आ0 (प्र0), बिक्रीकर इलाहाबाद द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

विभागीय व्यवस्था के अनुसार, संबंधित परिक्षेत्र के उपा0 (शा0) से मांग प्राप्त होने पर, मुद्रणालय के डिपो से सादे घोषणा प्रपत्र जारी करने के लिए उपा0 (शा0) परिक्षेत्र कानपुर एवं स0 आ0 (प्र0) बिक्रीकर इलाहाबाद द्वारा अधिकृत किया जाता है । उपा0 (शा0) के कार्यालय में प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात इनकी गणना एवं जांच की जाती है । आयुक्त द्वारा जून 1991 में जारी निर्देशों के अन्तर्गत मुद्रणालय से घोषणा प्रपत्रों के प्राप्त करने पर उनकी तुरन्त जांच तथा गणना करनी चाहिए और यदि प्रपत्र खोया हुआ पाया जावे तो वस्तुस्थिति की जानकारी उपा0 (प्रवर्तन) अथवा सहायक आयुक्त (प्रवर्तन) को जिन्होने निर्गम प्राधिकृत किया है , तथा मुद्रणालय को देनी चाहिए। खोये गये प्रपत्रों की वास्तविकता से बिक्री कर मुख्यालय को भी सूचित करना चाहिए जहाँ कि खोये हुये प्रपत्रों का प्रयोग आयुक्त बिक्रीकर द्वारा अवैध घोषित करने की विज्ञप्ति जारी किया जाना अपेक्षित है ।

1990-91 से 1993-94 के दौरान मुद्रित तथा जारी किये गये घोषणा प्रपत्रों के विवरण की तालिका निम्नवत है :-

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
		मु0प्र0	वि0प्र0	मु0प्र0	वि0प्र0	मु0प्र0	वि0प्र0	मु0प्र0	वि0प्र0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	सहायक आयुक्त (प्रवर्तन)इलाहाबाद	1700000	1171324	शून्य	817100	800000	800638	600000	862524
2.	उपायुक्त (प्रवर्तन) परिक्षेत्र "ए" कानपुर	शून्य	शून्य	1129000	1129000	1017000	1017000	666000	666000

मु0प्र0- मुद्रित प्रपत्र

वि0प्र0- वितरित प्रपत्र

- अग्रेतर निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती है:-

(क) कार्यालय, उपा0 (प्र0).बिक्रीकर परिक्षेत्र (ए) कानपुर के अभिलेखों की 1990-91 से 1993-94 तक की नमूना जांच में राजकीय मुद्रणालय , इलाहाबाद से लाये गये 204 विभिन्न प्रकार के घोषणा-प्रपत्रों को प्रपत्रों की बही में नही पाया गया था, परन्तु उक्त तथ्य को न तो स0आ0(प्र0) इलाहाबाद, को और न ही राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद और आयुक्त बिक्रीकर को प्रतिवेदित किया गया। परिणामतः इन प्रपत्रों के प्रयोग को अवैध घोषित करने की कोई विज्ञप्ति जारी नही की गयी। इन प्रपत्रों के कपटपूर्ण उपयोग की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता ।

(ख) , व्यापारियों को सादे घोषणा पत्रों को निर्गत करने हेतु आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों का रख-रखाव

नियमतः केवल कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ही अपेक्षित है । दो बिक्रीकर मण्डलों में लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1994) कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपने अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के10200 घोषणा प्रपत्रों का लेखांकन कम किया गया था । लेखांकन में कम पाये गये प्रपत्रों के कारणों की न जो जांच की गयी और न ही तथ्य को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया । परिक्षेत्रीय कार्यालय में कर निर्धारण अधिकारियों वार लेजर नही रखा गया था, जिससे किसी कर निर्धारण अधिकारी को किसी विशेष अवधि में जारी किये गये विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की संख्या ज्ञात नही हो सकी । घोषणा प्रपत्रों के कम प्राप्ति के लेखांकन का पता इस लिए नही लगाया जासका क्योकि उपा0 (प्र0) द्वारा जारी किये गये तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की प्राप्ति के मिलान की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । घोषणा प्रप्रत्रों की कम प्राप्ति के लेखांकन का वर्षवार विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	परिक्षेत्र का नाम	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		योग		प्रतिशत
		निर्गत प्रपत्रों की संख्या	कम लेखाकित प्रपत्र	निर्गत प्रपत्रों की संख्या	कम लेखाकित प्रपत्र	निर्गत प्रपत्रों की संख्या	कम लेखाकित प्रपत्र	निर्गत प्रपत्रों की संख्या	कम लेखाकित प्रपत्र	निर्गत प्रपत्रों की संख्या	कम लेखाकित प्रपत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	लखनऊ	29500	2700	19300	850	20200	500	12900	800	81900	4850	5.9
2.	गाजियाबाद	20050	50	26010	500	31400	4000	32600	800	110060	5350	4.9
योग		49550	2750	45310	1350	51600	4500	45500	1600	191960	10200	5.3

दो परिक्षेत्रों में जहां नमूना जांच की गयी यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान कम लेखांकित प्रपत्रों का प्रतिशत 4.9 से 5.9 के बीच रहा । प्रपत्रों के कम लेखाकन के कारणों की जाच करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये और न ही उनके दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई उपचारात्मक कार्यवाही ही की गयी जिससे भविष्य में ऐसा न हो ।

दो बिक्रीकर मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 1994) के दौरान यह पाया गया कि घोषणा प्रपत्र वास्तविक आवश्यकता से कही अधिक प्राप्त किये गये थे। इन दोनो मण्डलों में प्रपत्रों की औसत वार्षिक खपत 20475 तथा 27515 थी जिनके विरुद्व बहुत अधिक संख्या में प्रपत्रों की मांग की गयी और उनकी मांग पर मण्डलों को उनकी आपूर्ति कर दी गयी । परिणामतः अप्रैल 1979 से बहुत अधिक संख्या में अप्रयुक्त विभिन्न प्रकार के घोषण-प्रपत्र पड़े हुये है (मई 1994) । ऐसा बताया गया कि बहुत अधिक संख्या में ये प्रपत्र नष्ट हो गये है । इन प्रपत्रों को न तो लखनऊ स्थित मुख्यालय को ही लौटाने का कोई प्रयास किया गया और न ही इन्हे दूसरे मण्डलों को भेजा गया जहां उनकी आवश्यकता थी । विभाग ने बताया (फरवरी 1995) कि उपा0 (शा0) परिक्षेत्र "ए" कानपुर तथा सहायक आयुक्त (प्र0) इलाहाबाद द्वारा बिना मांग के प्रपत्रों की आपूर्ति की गयी जिसके कारण स्टाक में बहुत अधिक प्रपत्र हो गये । 31.3.94 को घोषणा प्रपत्रों के अवशेष का विवरण

नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	परिक्षेत्र का नाम	10 वर्ष से अधिक के अवशेष	5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक के अवशेष	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक के अवशेष	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गाजियाबाद	164161	24105	10492	198758
2.	लखनऊ	16675	शून्य	8894	25569
	योग	180836	24105	19386	224327

2.2.6 अन्य राज्यों को किये गये स्टाक ट्रान्सफर का सत्यापन न किया जाना

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार व्यापारी द्वारा माल का संचलन (मूवमेन्ट) दूसरे राज्य में, जो कि बिक्री के लिये न होकर बल्कि स्टाक ट्रान्सफर के द्वारा अपने व्यापार के अन्य स्थानों अथवा अभिकर्ताओं अथवा निदेष्टाओं को किया जाता है, तो उस पर कर देयता नही होती है । व्यापारी द्वारा कर-मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रपत्र "एफ" में घोषणा पत्र को जो कि अन्य व्यापार स्थल के मुख्य अधिकारी अथवा अभिकर्ता अथवा निर्देष्टा द्वारा जैसा भी मामला हो, भरकर तथा हस्ताक्षर कर उस माल के प्रेषण से सम्बन्धित साक्ष्य के साथ, कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है ।

माल के पारेषण की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने तथा करापवंचन का पता लगाने के उद्देश्य से आयुक्त ने कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी किया था (नवम्बर 1991) कि एक तिमाही में 40000 रुपए तथा उससे अधिक मूल्य के माल के पारेषण का पूर्ण विवरण निस्तारित कर निर्धारणों के संबंध में निर्धारित प्रारुप में सम्बन्धित उपा0 (वि0 अ0 शा0) बिक्रीकर को तिमाही के बाद की 20 वीं तारीख को प्रस्तुत किये जायें। प्रत्येक उपा0 (बि0 अ0 शा0) (जिनकी संख्या 6 है), जिनको कुछ राज्य आवंटित किये गये थे, द्वारा व्यक्तियों को भेजकर अथवा पत्रों के माध्यम से स्टाक ट्रांसफर का सत्यापन करना था । प्रतिकूल निर्णय पर पहुचने वाले सत्यापन के विवरण को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों तथा आयुक्त को प्रेषित करना था । ये निर्देश उपा0 (वि0 अ0 शा0) पर जोर डालते हुये पुनः मई 1992 में दिये गये कि प्रत्येक अनुवर्ती माह की 15 तारीख को सत्यापन का विवरण आयुक्त को प्रस्तुत करें ।

(क) आयुक्त को प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार बहुत अधिक संख्या में (66 से 99 प्रतिशतक के बीच)

स्टाक ट्रान्सफर असत्यापित रह गया था, जैसा कि निम्नवत तालिका से स्पष्ट है:-

वर्ष	प्रारम्भ में अवशेष		सत्यापन हेतु प्राप्त मामले		सत्यापित मामले		मामले जिनमें प्रतिकूल निर्णय पर पहुंचा गया		वर्ष के अन्त में अवशेष	
	मामलो की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
	2 (क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)
1991-92 (12/91 से 3/92)	-	-	907	3929.99	07	30.12	03	3.82	900	3899.87
1992-93	900	3899.87	4624	26696.23	1892	14155.70	82	222.13	3632	16440.40
1993-94	3632	16440.40	1292	11324.16	251	4806.94	16	84.41	4673	22957.64

निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती हैं ।

1991-92 के दौरान 1 प्रतिशत से भी कम मामलों का सत्यापन किया गया, 1992-93 के दौरान मात्र 34 प्रतिशत तथा 1993-94 में मात्र 5 प्रतिशत मामलों का सत्यापन किया गया ।

1991-92 , 1992-93 तथा 1993-94 में संम्बन्धित उपायुक्तों (वि0 अ0 शा0) द्वारा प्राप्त एवं सत्यापित मामलों के विवरण की तालिका निम्नवत है ।

क्रम संख्या	वि0अ0शा0 का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		प्रकरणों की कुल संख्या	सत्यापित संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	सत्यापित संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	सत्यापित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आगरा	36	1	54	30	43	12
2.	बरेली	43	6	109	56	36	शून्य
3.	कानपुर	680	शून्य	797	1475	180	182
4.	लखनऊ	110	शून्य	301	112	93	8
5.	मेरठ	शून्य	शून्य	3014	156	24	17
6.	वाराणसी	38	शून्य	349	63	916	32
योग		907	7	4624	1892	1292	251

इससे स्पष्ट होता है कि 1993-94 के दौरान बरेली में संबंधित अधिकारियों द्वारा दूसरे राज्यों को स्टाक ट्रांसफर का एक भी मामला सत्यापित नहीं किया गया ।

(ख) 20 बिक्रीकर मण्डलों में वर्ष 1993-94 में निस्तारित कर-निर्धारण प्रकरणों की नमूना जांच में यह परिलक्षित हुआ कि 18.39 करोड़ रुपए के प्रान्त के बाहर किये गये 289 स्टाक स्थानान्तरण के मामलों के विवरण सम्बन्धित उपा० (बि० अ० शा०) को, आयुक्त द्वारा निर्देश जारी करने के बावजूद, सत्यापन हेतु नहीं भेजे गये ।

(ग) उपा० (बि० अ० शा०) आगरा द्वारा वर्ष 1992-93 में सत्यापित 30 मामलों में यह प्रकाश में आया (अप्रैल 1994) कि अन्य प्रान्तों को स्टाक स्थानान्तरण के चार प्रकरणों में से एक प्रकरण में यह पाया गया कि प्रासंगिक फार्म "एफ" आन्तरिती को जारी नही किया गया था, दूसरे प्रकरण में तीन फार्म "एफ" वास्तविक हस्तान्तरी के स्थान पर अन्य व्यापारियों को जारी किये हुये पाये गये, तीसरे प्रकरण में पारेषण पारेषिती की लेखा की किताबों में अंकित नही पाया गया तथा चौथे प्रकरण में पारेषक द्वारा प्रस्तुत किया गया फार्म "एफ" पारेषिती को जारी नही किया गया था । स्पष्टतया अंकन 9.26 लाख रुपए के स्टाक स्थानान्तरण के सभी चार संव्यवहार संदेहास्पद थे जिनमें 0.49 लाख रुपए के कर की राशि निहित थी । लेखा परीक्षा में इस संबंध में अग्रेतर जांच में यह देखा गया कि विभाग ने 15715 रुपए का कर आरोपित कर दिया है । दो मामलों में उपा० (बि० अनु० शा०) को गलत सूचना दी गयी और चौथे मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । दूसरे राज्यों को स्टाक ट्रांसफर के शेष मामलों में सत्यापन तथा अधिक तीव्रता से मॉनिटरिग हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया वास्तव में 1993-94 में 43 मामलों में से केवल 12 मामलों का सत्यापन किया गया ।

2.2.7 फार्म "सी" से आच्छादित अन्तर्राज्यीय बिक्री का सत्यापन न कराया जाना

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यापारी द्वारा जो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अन्य प्रान्त के पंजीकृत व्यापारी को जो माल बेचता है उस पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर देय है। रियायत प्राप्त करने वाले व्यापारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को एक घोषणा प्रपत्र "सी" में प्रस्तुत करना होता है जो कि उस पंजीकृत व्यापारी जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित हो । कर का अपवंचन रोकने के उद्देश्य से आयुक्त ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी किया है (सितम्बर 1986) कि वे प्रपत्र "सी" से आच्छादित अन्तर्राज्यीय बिक्रियों के संबंध में जिनमे 25000 रुपए तथा अधिक की धनराशि निहित हो, कर-निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण करने के तुरंत बाद उन्हे सूचना प्रेषित करे जिससे कि ऐसी बिक्रियों की प्रमाणिकता की जांच की जा सके तथा धोखा-धड़ी एवं अपवंचन का पता लगाया जा सके ।

(क) आयुक्त बिक्रीकर के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि फार्म "सी" से आच्छादित अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना नही प्राप्त हो

रही थी । आयुक्त कार्यालय में ऐसे संव्यवहारों के सत्यापन की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु कोई नियंत्रण पंजिका नही रखी जा रही थी । वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान प्रपत्र "सी" से आच्छादित अर्न्तप्रान्तीय बिक्री के केवल 1447 मामले 9 बिक्रीकर मण्डलों से प्राप्त हुये थे । विवरण नीचे दिया गया है :-

वर्ष	विवरण की संख्या	मण्डल की संख्या	मण्डल के नाम
1990-91	664	4	आगरा, फतेहगढ़, हाथरस, मथुरा
1991-92	312	2	हाथरस, मथुरा
1992-93	191	1	मथुरा
1993-94	280	2	हाथरस
योग	1447	9	

संबंधित राज्यों के बिक्रीकर विभाग को सत्यापन हेतु इन्हे भेजा गया था । मामलों के सत्यापन के परिणाम को प्राप्त करने हेतु कोई प्रभावी प्रयत्न नहीं किया गया ।

(ख) 31 बिक्रीकर मण्डलों में 1993-94 में निष्पादित कर निर्धारण की नमूना जांच पर यह परिलक्षित हुआ कि 25000 रुपए से अधिक के प्रपत्र "सी" से आच्छादित अन्तर्राज्यीय बिक्रियों के 8.62 करोड़ रुपए के 418 प्रकरणों के विवरण आयुक्त के कार्यालय को नही भेजे गये थे जिसके परिणामस्वरुप सम्बन्धित राज्यों से सत्यापन नही कराया जा सका । यह सुनिश्चित करने के लिये कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयुक्त के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, कोई मानिटरिंग नहीं की गयी ।

2.2.8 प्रान्त भीतर के संव्यवहारों के सत्यापन के संबंध में विभागीय निर्देशों का पालन न किया जाना

संव्यवहारों की वास्तविकता सुनिश्चित करने तथा करापवंचन का पता लगाने हेतु विभाग ने कर निर्धारण अधिकारियों को घोषणा-पत्रों से आच्छादित खरीद एवं बिक्री के संव्यवहारों को, उनकी द्वितीय प्रति निर्गतकर्ता कार्यालय को भेजकर एवं बिक्री का प्रति सत्यापन (क्रास वेरिफिकेशन) कराने का निर्देश जारी किया (जुलाई 1984, अक्टूबर 1992 तथा जून 1993) । यदि कोई घोषण पत्र फर्जी पाया जाये तो अर्थदण्ड/कर आरोपित करने के साथ ही पुलिस में प्रथमिकी भी दर्ज करायी जानी थी ।

(क) 5 बिक्रीकर परिक्षेत्रों में 219 संव्यवहारों के बारे में, जिसमें 1.63 करोड़ रुपए की राशि निहित थी, के प्रति सत्यापन के लिए अन्य बिक्रीकर परिक्षेत्रों को सूचना नही भेजी गयी ।

(ख) 7 बिक्रीकर परिक्षेत्रों की नमूना जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 116 मामलों में जिनमें 2.12 करोड़ रुपए की धनराशि सन्निहित थी सत्यापन हेतु घोषणा पत्रों की द्वितीय प्रति न भेज कर साधारण पत्रों के माध्यम से भेजी गयी । सभी मामलों में सत्यापन का परिणाम प्रतीक्षित है ।

(ग) विभाग द्वारा किये गये सत्यापन के फलस्वरुप बरेली के एक व्यापारी के मामले में यह पाया गया कि चार प्रपत्र "3 ख" से आच्छादित 2.75 करोड़ रुपए के सिन्थेटिक रबर की बिक्री जो उन्नाव के एक प्रतिष्ठान को की गयी थी, फर्जी पायी गयी । विभाग द्वारा करारोपण कर दिया गया किन्तु अधिनियम की धारा 15 ए (i) (एल) के अन्तर्गत 12.12 लाख रुपए का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1994) विभाग ने बताया (मई 1994) कि व्यापारी के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराने के संबंध में मामला उच्च अधिकारियों के स्तर पर विचाराधीन है ।

(घ) नोयडा (गाजियाबाद) में एक कार्यालय के कर निर्धारण वादों की नमूना जांच पर यह ज्ञात हुआ (अप्रैल 1994) कि एक व्यापारी द्वारा 30.79 लाख रुपए की आटो पार्टस की प्रपत्र "3-ख" से आच्छादित बिक्री पर 4.4 प्रतिशत की रियायती दर से कर निर्धारित किया गया, जिसमें वस्तु का विवरण, मात्रा, क्रय आदेश आदि सम्बन्धी सूचनाओं का पूर्ण उल्लेख नही था । फिर भी जारी करने वाले कार्यालय से बिना प्रति सत्यापन कराये, अपूर्ण फार्मों पर ही रियायती दर का लाभ दे दिया गया। परिणामस्वरूप 2.49 लाख रुपए का अनियमित लाभ दिया गया ।

2.2.9 अवैध फार्मो का प्रयोग

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों को विज्ञापित वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रुप में प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद पर कर-मुक्ति अथवा रियायती दर की सुविधा उपलब्ध है । कर मुक्ति/ रियायती दर की सुविधा लेने के लिए यह अपेक्षित है कि व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी को क्रेता व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं पूर्ण रुप से भरा हुआ एक घोषणा पत्र फार्म 3-ख में प्रस्तुत करें । पुनः आयुक्त विज्ञप्ति जारी करके यह घोषित कर सकता है कि किसी विशेष सिरीज, डिजाइन एवं रंग के घोषणा पत्र विज्ञप्ति में उल्लिखित तिथि से अप्रचलित एवं अवैध माने जायेंगे । जब भी विशेष सिरीज या रंग के फार्म अवैध अथवा अप्रचलित घोषित किये जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की जाती है, सभी पंजीकृत व्यापारी उस तिथि अथवा उसके पूर्व जिस तिथि से वे अप्रचलित अथवा अवैध घोषित किये जाते है, सभी ऐसे अप्रयुक्त फार्म जो उनके पास हों, कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर देंगे तथा अप्रचलित एवं अवैध फार्मो के बदले नये फार्म प्राप्त कर लेंगे ।

विज्ञापित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की खरीद पर करमुक्ति अथवा कर के रियायती

दर का लाभ लेने हेतु प्रारम्भ में केवल सफेद रंग का एक घोषणा पत्र III - ख निर्धारित था । भ्रम एवं करापवंचन बचाने के उद्देश्य से आयुक्त द्वारा दो विभिन्न रंगों के फार्म निर्धारित किये गये तथा निर्देश जारी किया गया (अप्रैल 1987) कि 16.5.87 से विभाग द्वारा सफेद रंग के फार्म रियायती दर तथा पीले रंग के फार्म पूर्ण कर मुक्ति हेतु जारी किये जायेगें और तद्नुसार पूर्ण कर-मुक्ति/ रियायती दर की सुविधा दी जायेगी ।

8 चुने हुये बिक्रीकर परिक्षेत्रों के अभिलेखों की अप्रैल/मई 1994 में नमूना जांच किये जाने पर ज्ञात हुआ कि 19 करदाताओं को सफेद रंग के घोषणा पत्रों के आधार पर पूर्ण कर मुक्ति प्रदान की गयी थी जब कि इनका प्रयोग कर की रियायती दर का लाभ पाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया था जिसके फलस्वरुप (1989-90 से 1991-92) 17.82 करोड़ रुपए के विक्रय टर्नओवर पर अनियमित छूट का लाभ दिया गया ।

2.2.10 आन्तरिक सम्प्रेक्षा

विभाग में आयुक्त के कार्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त (लेखा) की व्यवस्था है तथा परिक्षेत्रीय उपा0 (स्थापना) के नियंत्रण से लेखा परीक्षा दल, जिसमें लेखा परीक्षा अधिकारी , वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक सम्मिलत होते है, कार्यरत है । आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य मुख्यत: कर निर्धारण अभिलेखों की सामान्य जांच पड़ताल करना होता है । उन्हे आन्तरिक नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने का कार्य नही सौंपा गया है ।

उपरोक्त लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को विभाग तथा शासन को जुलाई 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर अभी प्राप्त नही हुये हैं (जनवरी 1995)।

2.3 केन्द्रीय बिक्रीकर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 8(5) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना पर दिनांक 13 सितम्बर 1990 (15 सितम्बर 1990 से प्रभावी) में यह प्रावधान है कि निर्धारित घोषणा अथवा प्रपत्र "सी" या "डी" में प्रमाण पत्र से समर्थित रेपसीड के तेल और सरसों के तेल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर 1 प्रतिशत तथा ट्रैक्टर के पुर्जों एवं सहायक सामग्री पर की अंतर्राज्यीय बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा । उक्त अधिनियम के अनुसार प्रपत्र "सी अथवा "डी" से असमर्थित अघोषित वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा बिक्रय पर लागू दर, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय होगा। न्यायीक रुप से यह प्रतिपादित किया गया * है कि अंतर्राज्यीय बिक्री के उपरोक्त वर्णित मामले में राज्य अधिनियम के अंतर्गत जो भी कर के रुप में देय है वही केन्द्रीय बिक्री कर के रुप में भी देय होगा । अग्रेतर 1 अक्टूबर 1983 से 31 अक्टूबर 1985 तक कर के 5 प्रतिशत तथा 1 नवम्बर 1985 से 31

---

* सत्यनारायण स्पिनिंग मिल्स बनाम कामर्शियल टैक्स आफिसर ए0 पी0 (एस0टी0आई0 -1988 - सी0एस0टी0) ए0डी0 - 29

जुलाई 1990 तक कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है । स्वीकृत रूप से देय कर यदि नियत तिथि तक भुगतान नही कर दिया जाता तो जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

7 बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 1993 से फरवरी 1994 के मध्य) कि प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से असमर्थित वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री के निम्नलिखित मामलों ने 27.34 लाख रुपए का कर आरोपणीय था जो कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया अथवा कम आरोपित किया गया । इसके अतिरिक्त व्यापारियों से कर के जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी वसूली योग्य था ।

क्रम संख्या	मंडल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	राज्य के बाहर बिक्रीत वस्तु	बिक्रीत वस्तु का मूल्य	अनारोपित/ कम आरोपित कर की धनराशि	टिप्पणी
				(लाख रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नोएडा (गाजियाबाद)	1985-86 तथा 1986-87	कम्प्यूटर	946.78	10.77	जून 1993 तथा जुलाई 1994 के मध्य प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किये गये थे । विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)
2.	झाँसी	1990-91	मटर	22.87	0.46	--तदैव--
3.	धामपुर (बिजनौर)	1990-91 तथा 1991-92	पेन्टिग ब्रश	84.50	7.61	--तदैव--
4.	आगरा	1990-91	सरसों का तेल	5.87	0.53	--तदैव--
5.	आगरा	1989-90	इलेक्ट्रोलिटिक निकिल कैथोड	29.20	2.28	--तदैव--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	गाजियाबाद	1990-91	ट्रैक्टर के पुर्जे	20.44	1.53	--तदैव--
7.	हापुड़ (मेरठ)	1991-92	सरसों का तेल	46.18	4.16	विभाग ने4.16 लाख रुपए की मांग सृजित किया (फरवरी 1994)
	योग				27.34	

मामले शासन को जून 1993 तथा मई 1994 के मध्य प्रतिवेदित किये गये पुनः मार्च 1994 व जुलाई 1994 के मध्य अनुस्मारक प्रेषित किए गए ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

2.4 अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना

6 सितम्बर 1981 तक उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 3-एफ के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी को, जिसे कर देना अपेक्षित था, अपने करयोग्य बिक्रय और क्रय टर्नओवर के 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का भुगतान करना था । अग्रेतर उपरोक्त अधिनियम की धारा-3-ई के अंतर्गत 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है । स्वीकृत देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता तो भुगतान करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आकर्षित होता है ।

5 बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (जुलाई 1992 तथा अगस्त 1993 के मध्य) कि 2.98 लाख रुपए का अतिरिक्त कर निम्नवत विवरण के अनुसार आरोपित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त कर के जमा किए जाने की तिथि तक ब्याज भी प्रभार्य है ।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	विक्रीत वस्तु	विक्रीत वस्तु का मूल्य	अनारोपित अतिरिक्त कर की धनराशि	टिप्पणी
				(लाख रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	झाँसी	1980-81	ट्रांसफार्मर	161.22	0.85	प्रकरण को जुलाई 1994 में विभाग को प्रतिवेदित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।
2.	लखनऊ	1981-82	बोतल तथा पैकिंग का सामान	50.00	0.50	विभाग ने 50,000 रुपए का अतिरिक्त कर आरोपित कर दिया है(जून 1993)।
3.	कानपुर	1988-89 तथा 1989-90	काटन वेस्ट यार्न	187.00	0.35	विभाग ने सत्यापन के पश्चात 34771 रुपए की मांग सृजित कर दी है (सितम्बर 1993)
4.	गाजियाबाद	1987-88 से 1989-90	-तदैव-	163.00	0.33	प्रकरणों को अगस्त अगस्त 1994 में विभाग को प्रतिवेदित किया गया था उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।
5.	लखनऊ	1987-88 तथा 1988-89	-तदैव-	464.00	0.93	--तदैव--
				योग	2.96	

मामले शासन को दिसम्बर 1992 तथा मई 1993 के मध्य प्रतिवेदित किए गए और अनुस्मारक मार्च 1993 तथा जुलाई 1994 के मध्य में निर्गत किए गए ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

2.5 अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना

(क) (i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत कोई पंजीकृत व्यापारी जो राज्य के बाहर से माल आयात करना चाहता है, कर निर्धारण अधिकारी से फार्म XXXI में घोषणा प्रपत्र प्राप्त करेगा । राज्य के बाहर से माल जब सड़क द्वारा लाया जाता है, तब चेक पोस्ट को पार करने के पूर्व वाहन प्रभारी घोषणा प्रपत्र XXXI की एक प्रति चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी को सौंपेगा और जहाँ इस प्रकार का माल राज्य के बाहर से रेल, नदी, वायु अथवा डाक द्वारा लाया जाये वहाँ आयातकर्ता से अपेक्षित है कि वह माल की सुपुर्दगी लेने के पूर्व निर्धारित घोषणा प्रपत्र दो प्रतियों में कर-निर्धारण अधिकारी को पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत करें । इन प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में कर-निर्धारण अधिकारी , अधिनियम की धारा 15 - ए (1) (0) के प्रावधानों के अन्तर्गत विनिर्दिशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रुप में ऐसी धनराशि का भुगतान करे जो माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अधिक न होगी ।

बिक्रीकर के 4 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 4 मामलों में (मई 1989 तथा जुलाई 1992 के बीच) व्यापारियों ने 1984-85 तथा 1987-88 के बीच 42.46 लाख रुपए का माल राज्य में बिना प्रपत्र XXXI के आयात किया । अतएव व्यापारी 16.99 लाख रुपए के अर्थदण्ड के दायी थे जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने उनपर आरोपित नहीं किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है ।

क्रमांक	मण्डल का नाम	आयातित माल	कर निर्धारण वर्ष	आयातित माल का मूल्य	सन्नहित अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि
				(लाख रुपए	में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेरठ	बोरे	1987-88	13.21	5.29
2.	आगरा	घड़ियाँ	1984-85	20.12	8.05
3.	मिर्जापुर	पांटरी का सामान तथा कोयला	1985-86	4.43	1.77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	वाराणसी	विद्युत के सामान	1987-88	4.70	1.88
		योग		42.46	16.99

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 1990 तथा दिसम्बर 1992 के बीच तथा पुनः नवम्बर 1993 तथा जुलाई 1994 के बीच) विभाग ने क्रम संख्या 1, 2 तथा 4 पर वर्णित 3 मामलों में 8.17 लाख की माँग सृजित की है जिसमें से 0.80 लाख की वसूली हो चुकी है । एक मामले में उत्तर तथा शेष मामलों में वसूली की पुनः सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 15-ए(1) (सी) के अंतर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी इस तथ्य से सन्तुष्ट होता है कि यदि किसी व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति ने टर्नओवर के विवरण छिपाये हैं अथवा जानबूझ कर टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त परिहार्य कर की धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत किन्तु उसके डेढ़ गुने से अनधिक , अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा ।

7 बिक्रीकर मण्डलों जिनका विवरण निम्नवत है, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 7 व्यापारियों ने 1983-84 से 1988-89 की अवधि तक विभिन्न मालों के विक्रय टर्नओवर को छिपाया/त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया । विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण विवरण/ छिपाये गये विक्रय टर्नओवर की धनराशि 702.38 लाख रुपए निर्धारित की गई तथा 36.85 लाख रुपए का कर आरोपित किया गया। व्यापारी 18.43 लाख रुपए के न्यूनतम , अर्थदण्ड के दायी थे जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

क्रम संख्या	मंडल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	विक्रय धन की छिपायी गयी धनराशि	आरोपित कर की राशि	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
			(लाख	रुपए	में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेरठ	1985-86	234.10	12.23	6.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	कानपुर	1985-86	70.00	2.80	1.40
3.	आगरा	1986-87	75.70	4.16	2.08
4.	बाराबंकी	1984-85से 1986-87	226.00	9.04	4.52
5.	झाँसी	1983-84से 1985-86	52.40	5.24	2.62
6.	गोरखपुर	1988-89	18.18	1.60	0.80
7.	बड़ौत (मेरठ)	1986-87	26.00	1.78	0.89
		योग	702.38	36.85	18.43

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 1991 तथा जुलाई 1992 के बीच तथा सितम्बर 1993 तथा जुलाई 1994 के बीच) विभाग ने सभी 7 मामलों में 24.67 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995) ।

(iii) उत्तर पदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 15-ए (i) (एल) के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी झूठा प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र जारी करता है अथवा प्रस्तुत करता है जिसके फलस्वरुप क्रय अथवा विक्रय पर कर लगने से रह जाता है , वह कर के अतिरिक्त ऐसे परिहार्य कर के न्यूनतम 50 प्रतिशत तक अर्थदण्ड का देनदार होगा ।

बिक्रीकर मण्डल गोरखपुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (सितम्बर 1992) कि एक व्यापारी ने कस्टम प्रमाण पत्र के विरुद्ध वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में 32.55 लाख रुपए मूल्य के किरानें का निर्यात किया । व्यापारी द्वारा प्रस्तुत कस्टम प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस विक्रय पर इन वर्षों में 2.86 लाख रुपए का कर आरोपित करते समय अर्थदण्ड की न्यूनतम धनराशि 1.43 लाख रुपए का आरोपण नही किया ।

लेखा परीक्षा में इंगित (सितम्बर 1992) किये जाने पर विभाग ने जुलाई 1993 में बताया कि वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में 1.43 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।• वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995) ।

मामला शासन को दिसम्बर 1993 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

(iv) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अपने टर्नओवर का विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा नियत समय के भीतर और निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा अधिनियम की अपेक्षानुसार विवरण पत्र में प्रस्तुत करने के पूर्व या विवरण पत्र के साथ अधिनियम के अधीन देय कर जमा नहीं किया है तो वह देयकर के कम से कम दस प्रतिशत परन्तु पचीस प्रतिशत से अधिक नही यदि देयकर दस हजार रुपए तक है और यदि देयकर दस हजार रुपये से अधिक है, तो देय कर के पचास प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा ।

बिक्रीकर मण्डल मुगलसराय, (वाराणसी) की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (दिसम्बर 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत न तो विवरण पत्र प्रस्तुत किया और न ही वर्ष का देयकर जमा किया । अतएव व्यापारी 69046 रुपए तक के अधिकतम अर्थदण्ड का देनदार रहा, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसें इंगित किये जाने पर (फरवरी 1992) विभाग ने मई 1993 मेंबताया कि 69215 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । अर्थदण्ड वसूली का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।

मामला शासन को फरवरी 1992 एवं पुनः अगस्त 1993 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

(ख)(i) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से कर के रियायती दर से किसी वस्तु का क्रय करते समय गलत ढंग से यह दर्शाता है कि उक्त वस्तु उसके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित है अथवा कर की रियायती दर पर राज्य केबाहर से क्रय किए हुए सामान का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए जिसके हेतु पंजीकरण स्वीकृत किया गया था अन्यथा करता है तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसे सामान की बिक्री पर अधिनियम की धारा 8 (2) के अन्तर्गत देय कर के डेढ गुने के बराबर अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है ।

बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 8 मामलों में व्यापारियों ने 135.46 लाख रुपए मूल्य की वस्तुएं जो उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं थी, का क्रय किया। अतः वे

20.58 लाख रुपए के अर्थदण्ड के दायी थे जिसे कर निर्धारण अधिकारियों ने कर निर्धारण के समय नहीं लगाया। विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	आयातित वस्तुएँ	आयातित वस्तुओं का मूल्य	अर्थदण्ड की निहित धनराशि
				(लाख रुपए में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रुड़की (हरिद्वार)	1989-90 तथा 1990-91	प्लेटिनमवॉयर, प्लास्टिक पाउडर, ग्रेन्यूलस तथा केबिलस	7.15	1.07
2.	आगरा	1987-88	मैंगो पल्प	72.62	10.89
3.	अलीगढ़	1987-88से 1989-90	रबर बेल्टिगं तथा ग्रीस	2.29	0.43
4.	देवरिया	1986-87	एस्बेस्टस, ब्रास ट्यूब तथा कास्टिक सोडा	4.90	0.74
5.	रायबरेली	1985-86	बैटरी तथा स्पेयर्स, इमर्सन हीटर्स	30.12	4.52
6.	मैनपुरी	1987-88	एटलस मोपेड	7.01	1.05
7.	मुगलसराय (वाराणसी)	1981-82 से 1987-88	जेनेरेटर सेट्स तथा विटामिन	5.20	0.91
8.	कानपुर	1986-87	डी0 जे0 सेट्स, केमिकल्स तथा गैस	6.17	0.97
		योग		135.46	20.58

लेखा परीक्षा में इसें इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1991 तथा नवम्बर 1992 के बीच) विभाग ने बताया कि उपरोक्त मामलों में 19.51 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी गयी है । उपरोक्त मामलों में वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995) ।

(ii) केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8(3) (बी) के साथ पठित केन्द्रीय (पंजीयन एवं टर्न ओवर) नियमावली, 1957 का नियम- 13, पंजीयन अधिकारी को व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में उन वस्तुओं की श्रेणियों का उल्लेख करने हेतु अधिकृत करता है, जो विक्रयार्थ माल के निर्माण, प्रसंस्करण, अथवा खनन या विद्युत उर्जा के प्रजनन एवं वितरण में प्रयुक्त होती है । न्यायिक * रूप से यह आँका गया है कि भवन निमार्ण सामग्री, कार्यालय संयत्र, लोहा एवं इस्पात, सीमेंट एवं अन्य ऐसे सामान जिनका किसी वस्तु के निमार्ण प्रकिया से सीधा तादात्म्य न हो, को निमार्ण में प्रयुक्त नहीं माना जा सकता है और ऐसी वस्तुओं का उल्लेख पंजीयन प्रमाण पत्र में नहीं किया जा सकता है । पुनः यदि कोई व्यक्ति पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओं का क्रय करता है अथवा किन्हीं वस्तुओं का उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के "बी" या "सी" या "डी" में उल्लिखित किन्ही उद्देश्य के लिए क्रय करने के पश्चात बिना पर्याप्त कारण के, ऐसे उद्देश्यों में प्रयोग करने में विफल रहता है तो विक्रय संबंध में अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 10 ए के अंतर्गत वह अर्थदण्ड के रूप में धारा 8(2) के अंतर्गत आरोपणीय कर के डेढ गुने से अनधिक धनराशि का दायी है।

बिक्रीकर मण्डल झाँसी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1991) कि एक व्यापारी ने, जो विद्युत के उत्पादन एवं वितरण से संबंद्ध था पंजीयन प्रमाण पत्र (नवम्बर 1979 से प्रभावी) के आधार पर 33.53 लाख रुपए का सीमेण्ट, लोहा तथा इस्पात, प्रसाधन संयत्र/विद्युत संयत्र वर्ष 1986-87 के दौरान प्रान्त बाहर से प्रपत्र "ग" में धोषणा के विरुद्ध रियायती दर पर क्रय किया तथा उसको भवन निर्माण में प्रयोग किया जिसके लिए वह विभाग द्वारा गलत ढंग से अनियमित पंजीयन प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने के कारण अधिकृत हो गया था । इस प्रकार व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में 5.03 लाख रुपए की धनराशि का दायी था जिसे आरोपित नहीं किया गया । पुनः विभाग ने उक्त वस्तुओं को निकालते हुये सितम्बर 1990 में पंजीयन प्रमाण पत्र संशोधित कर दिया ।

---

* (i) सर्व श्री ट्रैवेनकोर टी स्टेट्स कं0 लिमिटेड बनाम केरल राज्य यू0पी0टी0सी0 120 (सर्वोच्च न्यायालय)

(ii) उ0 प्र0 लखनऊ के कमिश्नर विक्रीकर के दिनांक 4 दिसम्बर 1992 की परिपत्र संख्या-17

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 1991) विभाग ने बताया (जनवरी 1993) कि 5.03 लाख रुपए का अर्थदण्ड लगा दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995)।

मामला शासन को फरवरी 1993 में तथा पुनः मार्च 1994 में प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

2.6 अनियमित छूट

(क) (i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर नियमावली, 1948 के अंतर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी विक्रेता व्यापारी को घोषणा प्रपत्र 3-ग (i) जारी करता है तो विक्रेता व्यापारी से इस प्रकार किए गए क्रय पर क्रय कर की देयता का दायित्व स्वीकार करता है । 7 सितम्बर 1981 से धान की प्रथम खरीद के बिन्दु पर चार प्रतिशत की दर से कर देय है ।

बिक्रीकर मण्डल इटावा की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 1993) कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान घोषणा प्रपत्र 3 ग (1) के विरुद्ध 74.74 लाख रुपए के धान की खरीद की जिस पर क्रय कर का दायित्व उनका था। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण के समय गलत अवधारणा के आधार पर कि व्यापारी उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 4- बी के अंतर्गत मान्यता प्रमाण पत्र धारक है , व्यापारी द्वारा किये गये क्रय को करमुक्त घोषित किया । इस प्रकार दी गयी छूट अनियमित थी । क्योंकि व्यापारियों के द्वारा घोषणा प्रपत्र 3 ग (1) जारी किया गया था न कि प्रपत्र 3-ख में (जैसा कि अधिनियम की धारा 4-ख में वांछित है) अतः क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से 2.98 लाख रुपए का कर देय था जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 1993) विभाग ने बताया (नवम्बर 1993) कि 2.98 लाख रुपए का कर आरोपित कर दिया गया । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995) ।

मामले को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1994); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

(ii) यह न्यायिक स्थापना * है कि टिम्बर से बने लकड़ी के पटरे मद "टिम्बर उत्पाद" के अन्तर्गत आते है उन पर 1 अक्टूबर 1983 से उत्पादक अथवा आयातकर्ता के हाथों में अतिरिक्त कर सहित कुल 6.6 प्रतिशत की दर से कर देय होता है ।

---

*सी0एस0टी0 बनाम अग्रवाल वुडेन प्राडक्टस मुजफ्फरनगर (एस0टी0आर0 संख्या - 501/1987) ।

बिक्रीकर मण्डल रायबरेली की सम्प्रेक्षा के दौरान (अगस्त 1992) एक व्यापारी के कर निर्धारण अभिलेखों में यह देखा गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 1987-88 के कर निर्धारण को अंतिम रुप देते समय 6.11 लाख रुपए मूल्य के लकड़ी के पटरों की बिक्री के टर्नओवर को गैर पंजीकृत व्यापारी से खरीदा गया टिम्बर, जिसपर कोई कर नहीं लगता, मानते हुए कर मुक्ति प्रदान कर दी । इसके परिणामस्वरुप 40354 रुपए के कर का अनारोपण हुआ ।

सम्प्रेक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 1992) विभाग ने बताया (अप्रैल 1993) कि कर निर्धारण आदेशों को संशोधित कर दिया गया है तथा 40354 रुपए की मांग सृजित कर दी गयी है वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 1995) ।

प्रकरण को दिसम्बर 1993 में शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था । उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

(ख) (i) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अनुसार, अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान जहां माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिगमन में उसकी बिक्री स्वामित्व के कागजातों के स्थानान्तरण द्वारा सम्पन्न होती है, तो अनुवर्ती कोई बिक्री कर मुक्त होगी यदि इस प्रकार की कर मुक्ति का दावा करने वाला व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी को उस पंजीकृत व्यापारी से जिससे कि माल खरीदा गया हो, प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रपत्र ई-। या ई-॥ में तथा उस व्यापारी से जिसे कि माल बेचा गया हो, एक घोषणा पत्र प्रपत्र "सी" अथवा "डी" प्रस्तुत करे । व्यापारी द्वारा स्वीकार किया गया देय कर यदि नियत तिथि तक अदा नहीं किया जाता तो अदा न की गयी राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगता है ।

बिक्रीकर मण्डल मथुरा में यह देखा गया (अगस्त 1992) कि 1988-89 में एक व्यापारी ने स्वामित्व के कागजातों के स्थानान्तरण के जरियें कुल 13.43 लाख रुपए मूल्य के रंजक एवं रसायनों की उत्तरवर्ती बिक्री की जिसमें से 8.38 लाख रुपए की बिक्री प्रपत्र ई-। या ई-॥ के प्रमाण पत्र से समर्थित नहीं थी, व्यापारी को फिर भी कर मुक्ति प्रदान की गयी जो कि अनियमित थी । परिणामस्वरुप 33518 रुपए के कर का अवनिर्धारण हुआ । इसके अतिरिक्त व्यापारी को इस राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी अदा करना था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 1992) विभाग ने 33518 रुपए का कर आरोपित किया । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 1995)।

प्रकरण नवम्बर 1992 तथा पुनः मई 1994 में शासन को प्रतिवेदित किया गयाः उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

(ii) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत कुछ (निश्चित) प्रतिबन्धों के अधीन

स्वामित्व के कागजातों के स्थानान्तरण द्वारा सम्पादित, माल के एक राज्य से दूसरे राज्य को उनके परिगमन के दौरान अन्तर्राज्यीय बिक्री के मामले में कोई कर आरोप्य नही होता । दूसरे राज्य में माल के पहुच जाने के बाद यदि माल में सम्पदा का स्थानान्तरण सम्पादित होता है तो इस प्रकार के सम्व्यवहारों में जिस राज्य को माल स्थानान्तरित किया जाता है उस राज्य में लागू होने वाली दरों से कर आरोप्य होता है । आगे उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधनियम 1948 की धारा-3 ई के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोप्य होता है ।

बिक्रीकर मण्डल कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1992) कि एक व्यापारी ने विशिष्ट कार्यस्थलों पर डीजल जेनरेटिंग सेट्स जिन्हें उसने 9.63 लाख रुपए में राज्य के बाहर से वर्ष 1987-88 में क्रय किया था, की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद की एक इकाई से अनुबन्ध किया तथा उन्हे उन विशिष्ट कार्यस्थलों पर 11.50 लाख रुपए में स्थापित किया । व्यापारी ने इस प्रकार जेनरेटिंग सेट्स की बिक्री को स्थापना एवं संचालन प्रभार सहित माल के स्वामित्व के कागजातों के स्थानान्तरण द्वारा उनके एक राज्य से दूसरे राज्य में परिगमन के दौरान सम्पादित हुआ दर्शाया और इस बिक्री को बाद की बिक्री मानकर धारा 6(2) के अन्तर्गत उसे कर-मुक्ति प्रदान कर दी गयी । चूकि जेनरेटिंग सेट्स की स्थापना की तिथि तक व्यापारी के पास उसका स्वामित्व था, अतः यह सम्व्यवहार माल के एक राज्य से दूसरे राज्य को परिगमन के दौरान स्वामित्व के कागजातों के स्थानान्तरण के जरिए बिक्री के अन्तर्गत नहीं आता। अतएव व्यापारी को बिक्री पर अतिरिक्त कर सहित कुल 1.52 लाख रुपए का कर अदा करना था जो कि उस पर आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 1 सितम्बर 1987 से अदा न किए गए कर पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्यापारी द्वारा ब्याज भी देय था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1993) विभाग ने मार्च 1994 में बताया कि कर निर्धारण आदेशों को संशोधित कर दिया गया है और 1.52 लाख रुपए की माँग सृजित कर दी गयी है । वसूली के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 1995) ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 1993 तथा पुनः जुलाई 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

2.7 क्रय कर का आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत ऐसी वस्तु जिन पर उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर कर देय होता है, यदि ऐसा कोई माल किसी व्यापारी को बेचा जाता है परन्तु अधिनियम के किसी प्रावधानो के अन्तर्गत् विक्रेता कोई बिक्री कर नहीं देता और क्रेता व्यापारी ऐसे माल को उसी रुप एवं अवस्था में, जिसमें उसने क्रय किया था राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री नहीं करता है तो क्रेता व्यापारी ऐसे क्रय पर उसी दर से कर का देनदार होगा जिस दर पर वह वस्तु उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर प्रान्त में कर देय होती है। कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोप्य है । इसके अतिरिक्त कर के जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होता है ।

दो बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1993 तथा मई 1993) कि पुरानी व निष्प्रयोज्य वस्तुओं पर 8.8 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से कुल 10.97 लाख रुपए का क्रय कर, व्यापारियों पर आरोपित नहीं किया गया । यद्यपि उन्होंने वस्तुओं को जिनका विवरण निम्नलिखित है, उसी रूप एवं अवस्था में नहीं बेचा जिसमें उनकी खरीद की गई थी । कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रय की गयी वस्तुओं का मूल्य	अनारोपित क्रय कर की धनराशि	टिप्पणी
			(लाख रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गोरखपुर	1987-88	6.33	0.56	विभाग ने 55694 रुपए का करारोपण किया (जून 1994)
2.	ऋषिकेश (देहरादून)	1989-90	4.64	0.41	मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1994); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।
	योग		10.97	0.97	

मामले शासन को अप्रैल 1993 में तथा पुनः सितम्बर 1993 में प्रतिवेदित किए गये । अगस्त 1994 एवं मई 1994 में अनुस्मारक भेजे गये; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।

2.8 गलत दर से कर का लगाना

(i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अंतर्गत 6 जून 1985 से सीमेंट की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनः डुप्लीकेटिंग मशीन की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर से तथा शीट एवं सर्किल्स जिनका प्रयोग पीतल के बर्तन बनाने में होता है, की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से दिनांक 7 सितम्बर

1981 से कर देय है । इसके अतिरिक्त 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है। पुनः स्वीकृत कर के समय से भुगतान न करने पर 2 प्रतिशत की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज भी देय है ।

4 बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1991 तथा मई 1993 के मध्य) कि 81.76 लाख रुपए मूल्य की वस्तुओं पर गलत दर से कर लगाये जाने के फलस्वरूप 2.33 लाख रुपए कर का कम आरोपण हुआ, विवरण निम्नवत है । चूंकि कर स्वीकृत रूप से देय था अतः जमा होने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आरोपणीय है ।

क्रम संख्या	मंडल का नाम	वस्तु का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर योग्य टर्नओवर (लाख रु0 में)	कर की सही दर अतिरिक्त कर सहित	अतिरिक्त कर सहित आरोपित करकी दर	कम आरोपित की गयी धनराशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	हरिद्वार	सीमेंट	1988-89	20.00	11%	6.6%	0.88	विभाग ने 88000 रुपए की मांग सृजित किया (मई 1993)
2.	प्रतापगढ़	-तदैव-	1986-87	30.00	11%	8.8%	0.66	विभाग ने 66000 रुपए की मांग सृजित किया है (जनवरी 1993)
3.	लखनऊ	हुप्ली-केटिंग मशीन	1987-88	7.50	13.2%	8.8%	0.33	प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित कर दिये गये थे (अगस्त 1994); उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (जनवरी 1995)
4.	मिर्जापुर	शीट तथा सर्किल्स	1982-83 तथा 1983-84	24.26	4%	2%	0.46	-- तदैव--
		योग		81.76			2.33	

मामले शासन को जून 1990 तथा अक्टूबर 1993 के मध्य तथा पुनः फरवरी 1994 तथा मई 1994 के मध्य प्रतिवेदित किए गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अनुसार ऐसे माल जो अन्यथा वर्गीकृत न हों, की बिक्री पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । अग्रेतर यदि स्वीकृत कर का भुगतान निर्धारित तिथि तक नही किया जाता तो जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होता है ।

4 बिक्रीकर मंडलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1991 तथा अगस्त 1993 के बीच) कि 1985-86 तथा 1988-89 की अवधि के बीच 4 व्यापारियों ने 568.64 लाख रुपए मूल्य की ऐसी वस्तुओं की बिक्री की जिस पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आरोपित कर के स्थान पर अतिरिक्त कर सहित 8.8 प्रतिशत की दर से कर देय था । इस प्रकार गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप 27.03 लाख रुपए के कर का कम आरोपण किया गया । विवरण निम्नवत् है ।

क्रम संख्या	मंडल का नाम	वस्तु का नाम	करनिर्धारण वर्ष	कर योग्य टर्नओवर (लाख रु० में)	अतिरिक्त कर सहित आरोपणीय कर की सही दर (प्रतिशत)	अतिरिक्त कर सहित आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर की धनराशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बड़ौत (मेरठ)	किराना	1986-87	19.00	8.8	6.6	0.42	विभाग ने 41800 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दिया है (मई 1992) ।
2.	गाजियाबाद	ताबे का तार छड़ और शीट	1988-89	104.97	8.8	2.2	6.11	विभाग को मामले जुलाई 1994 में प्रतिवेदित किये गये के उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3 (i)	अलीगढ़	पीतल शीट/ रौल (सर्किल्स)	1986-87 से 1988-89	67.84	8.8	2.2	4.48	-- तदैव--
(ii)	अलीगढ़	जानवरों के स्वास्थ्य उत्पाद		245.24	8.8	6.6	5.34	विभाग ने 5.34 लाख रुपए की मांग सृजित की जिसमें से 1.93 लाख रुपए वसूल हो गये थे (जुलाई 1993)।
4.	आगरा	इलेक्ट्रोलिटिक निकिल तथा कैथोड पत्तियां	1988-89 तथा 1989-90	131.59	8.8	2.2	8.68	विभाग को मामला जुलाई 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।
	योग			568.64			27.03	

चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था अतः 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कर जमा किए जाने की तिथि तक ब्याज भी प्रभारित किए जाने योग्य है ।

मामले शासन को अक्टूबर 1992 व नवम्बर 1993 के मध्य तथा पुनः मार्च 1994 व जुलाई 1994 के मध्य प्रतिवेदित किए गये ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

2.9 गलत वर्गीकरण के कारण कम कर आरोपित होना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत दिनांक 7 सितम्बर 1981 से पुराने, बेकार, निष्प्रयोज्य या अप्रयुक्त मशीनरी, स्टोर्स या वाहन अपशिष्ट उत्पाद सहित की बिक्री पर 8 प्रतिशत की दर से

कर देय है तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर कर की देयता 12 प्रतिशत है इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर 1985 तक कर के 5 प्रतिशत की दर से और दिनांक 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । अग्रेतर स्वीकृत रुप से देय कर पर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया गया है, तो जमा होने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

तीन बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1991 तथा अप्रैल 1993 के मध्य) कि 25.96 लाख रुपए के बिक्रीत माल के गलत वर्गीकरण के फलस्वरुप 1.98 लाख रुपए के कर का कम आरोपण किया गया, विवरण निम्नलिखित है चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था अतः 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कर भुगतान की तिथि तक ब्याज भी प्रभार्य था ।

क्रम संख्या	मंडल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	विक्रीत वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर लाख रुपए मे	कर की दर अति0 कर सहित	आरोपित की गई कर की दर अति0 कर सहित प्रतिशत मे	कम आरोपित कर की धनराशि लाख रुपए मे	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	लखनऊ	1988-89	अल्यूमिनियम तथा कापर वायर स्क्रैप	11.31	8.8	2.2	0.75	विभाग ने 74676 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी है (जनवरी 1994) ।
2.	बुलन्दशहर	1986-87 से 1988-89	तांबे तथा अल्यूतिनियम के जले तार	10.62	8.8	2.2	0.70	मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 1994) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	इलाहाबाद	1985-86 तथा 1986-87	इलेक्ट्रानिक सामान	4.03	13.2	0.0	0.53	विभाग ने 53200 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी है (मार्च 1993)।
		योग		25.96			1.98	

मामले शासन को मार्च 1992 तथा जुलाई 1993 के मध्य तथा पुनः मार्च 1994 तथा जुलाई 1994 के मध्य प्रतिवेदित किए गए ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

2.10 कच्चे माल का दुरुपयोग करने पर अर्थदण्ड का न लगाया जाना

सरकारी अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 1976 एवं 29 अगस्त 1987 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल के क्रय पर विक्रेताओं को कुछ शर्तों को पूर्ण करने पर विशेष छूट का प्रावधान है । यदि कच्चे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिये मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये किया गया हो, तो व्यापारी ऐसे मामले में न्यूनतम बचाये गये कर के बराबर की धनराशि के अर्थदण्ड के रूप में देनदार होगा परन्तु यह अर्थदण्ड बचाये गये कर के तीन गुने से अधिक नही होगा

निम्नलिखित 2 बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (सितम्बर 1991 से अक्टूबर 1993 के बीच) कि मान्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के निर्माण के कारण कम से कम 97000 रुपए का अर्थदण्ड आरोपणीय था लेकिन कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अंतिम कर निर्धारण करते समय आरोपित नहीं किया गया ।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	जारी मान्यता प्रमाण पत्र	निर्मित वस्तुये	कर निर्धारण वर्ष	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	फिरोजाबाद	ग्लासवेयर्स	सांइटिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स	1987-88	0.48	विभाग ने 1.35 लाख रुपए का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित किया (अगस्त 1993)।
2.	लखनऊ	रबर के सामान	स्कूटर के पुर्जे	1985-86 एवं 1986-87	0.49	विभाग ने 49221 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया (मार्च 1992)।
			योग		0.97	

मामले शासन को मार्च 1994 एवं मई 1994 में प्रतिवेदित किए गए थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

2.11 घोषणा पत्रों का दुरुपयोग

बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो मिथ्या अथवा गलत प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र जारी करता है और जिसके कारण क्रय अथवा विक्रय के संव्यवहार पर कर आरोपणीय नही रह जाता , अथवा रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो ऐसे संव्यवहार पर प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र न जारी करने की दशा में वह देय कर के समतुल्य की धनराशि का दायी हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह कर के कम से कम पचास प्रतिशत तथा अधिक से अधिक डेढ गुने तक अधिनियम की धारा 15-ए (i) (एल0) के अंतर्गत अर्थदण्ड का भी दायी होता है ।

बिक्रीकर मण्डल फिरोजाबाद में कांच के सामान एवं कांच की चूड़ियों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी को कर मुक्त कच्चा माल क्रय करने हेतु प्राधिकृत किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में 4.63 लाख रुपए का ब्लाक ग्लास, चिप एवं रंगीन कांच प्रपत्र 3-ख जारी करके कर मुक्त खरीदा, यद्यपि कि ये माल उसके मान्यता प्रमाण पत्र में वर्णित नहीं थे। अतः व्यापारी कर में प्राप्त छूट की धनरशि के समतुल्य 60686 रुपए के भुगतान का दायी था । इसके अतिरिक्त व्यापारी 30343 रुपए के न्यूनतम अर्थदण्ड के भी भुगतान का दायी था जिसे आरोपित नहीं किया गया था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (फरवरी 1992) 60686 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी । अतिरिक्त मांग वसूल किए जाने तथा अर्थदण्ड आरोपित करने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 1995)।

मामला शासन को अक्टूबर 1992 में तथा पुनः मार्च 1994 में प्रतिवेदित किया गया था उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995) ।

2.12 गणना की त्रुटि

(i) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा पत्र "सी" अथवा "डी" से अनाच्छादित अघोषित वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा उक्त वस्तु के प्रान्तीय विक्रय अथवा क्रय पर कर की दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल इलाहाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1992) कि एक व्यापारी द्वारा 1986-87 के दौरान निर्धारित घोषणा प्रपत्र से अनाच्छादित 8 लाख रुपए के बाध एवं मूंज की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 80000 रुपए के स्थान पर 8000 रुपए का कर आरोपित किया गया । इसके परिणाम स्वरुप 72000 रुपए के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 1992) विभाग ने मार्च 1993 में कर निर्धारण आदेश को परिवर्तित कर दिया और 72000 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी । वसूली से संबन्धित सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995)।

मामला शासन को जनवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत दिनांक 7 सितम्बर 1981 से चावल 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है ।

बिक्रीकर मण्डल, पलिया-कलां (लखीमपुर खीरी), की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक व्यापारी की वर्ष 1990-91 में चावल की कर योग्य बिक्री 48.53 लाख रुपए निर्धारित की गयी और त्रुटि के कारण 1.94 लाख रुपए के स्थान पर 1.19 लाख रुपए के कर की गणना की गयी। इसके फलस्वरुप 75000 रुपए का कम कर आरोपित हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 1993 में तथा पुनः मार्च 1994 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

2.13 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 8(3)(बी) सपठित केन्द्रीय बिक्रीकर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवंर) नियमावली 1957 के नियम 13 के अनुसार कर के रियायती दर का लाभ उठाने हेतु पंजीकृत व्यापारी को विक्रीत वस्तु का उल्लेख उसके पंजीयन प्रमाण पत्र में अवश्य होना चाहिए। पंजीकृत व्यापारी जिन वस्तुओं की खरीद रियायती दर पर करता है उनका उपयोग वह कच्चे माल प्रसंस्करण माल, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेन्ट, टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर पार्टस, एसेसरीज, ईधन स्नेहक की तरह विक्रयार्थ उत्पादन या वस्तुओं के प्रसंस्करण या खनन या उर्जा के जनन या वितरण करने के लिए करेगा। विभिन्न न्यायिक * निर्णयों तथा भारत सरकार के आर्थिक संव्यवहार विभाग के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 1958 तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 4 दिसम्बर 1992 के अनुसार भवन निमार्ण सामग्री, भवन निर्माण हेतु सीमेण्ट, मोटर गाड़ियों कार्यालयो का साज-सभान तथा अन्य वस्तुऐं जिनका सीधा सम्बन्ध उत्पादन से न हो, को विभागीय पंजीयन में रियायती दर से सुविधा पाने हेतु उल्लिखित नहीं किया जायेगा।

बिक्रीकर मण्डल, मिर्जापुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1992) कि राज्य विद्युत परिषद की एक इकाई ने वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में विभाग द्वारा जारी अपने केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रविष्टिओं के आधार पर घोषणा प्रपत्र "सी" जारी करके प्रान्त के बाहर से सीमेन्ट, बुल्डोजर, मोटर पार्टस, एअरकन्डीश्नर, अग्निशमन यन्त्र आदि जैसे सामानों की खरीद की। ऐसे अस्वीकार्य सामानों की कुल खरीद की धनराशि 8.17 लाख रुपए थी। इस प्रकार केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति एवं व्यापारी के द्वारा घोषणा प्रपत्र "सी" जारी करने के फलस्वरुप 4.90 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग एवं शासन को मई 1992 एवं पुनः मार्च 1994 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

---

* (i) मेसर्स जे0 के0 स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि0 बनाम सेल्स टैक्स आफिसर 1965 (16 एस0 टी0 सी0 - 563)

(ii) मेसर्स ट्रैवेन्कोर टी स्टेट कम्पनी लि0 बनाम स्टेट आफ केरल (1977 यू0पी0टी0सी0-120)

2.14 विक्रय धन का कर निर्धारण से छूट जाना

(i) न्यायिक रूप* से यह माना गया है कि माल की बिक्री पर व्यापारी द्वारा वसूल किया गया उत्पादन शुल्क टर्नओवर का एक भाग होता है तथा उस पर कर आरोपणीय है । उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत शीरे की बिक्री पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त दिनांक 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल रुड़की (हरिद्वार) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1992) कि वर्ष 1988-89 में एक व्यापारी ने 1,63,668.56 कुन्तल शीरे की बिक्री 20.49 लाख रुपए में करना घोषित किया, जिस पर विभाग ने कर आरोपित किया । यह देखा गया कि विक्रय मूल्य और उत्पाद शुल्क सहित शीरे का टर्नओवर वास्तव में कुल 30.12 लाख रुपए होता है । इस प्रकार 9.62 लाख रुपए का टर्नओवर कर निर्धारण से छूट गया, जिसके परिणामस्वरुप अतिरिक्त कर सहित 13.2 प्रतिशत की दर से 1.27 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को जुलाई 1993 एवं पुनः जुलाई 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 26 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था । इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 3-ई के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से एवं 1 अगस्त 1990 से 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । न्यायिक रूप** से यह माना गया है कि आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस, व्यापारिक खर्चे आदि भारत निर्मित विदेशी मदिरा के टर्नओवर केअंश होते हैं ।

बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1993) कि एक व्यापारी ने प्रान्त बाहर की आसवनी से वर्ष 1990-91 में 7000 क्रेट्स भारत निर्मित विदेशी मदिरा पारेषण पर 4.45 लाख रुपए में प्राप्त किया । व्यापारी द्वारा 17.14 लाख रुपए में विक्रय करना घोषित किया गया, जिस पर विभाग ने कर आरोपित किया । यह देखा गया कि राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्तियों के अनुसार आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस एवं आयात परमिट शुल्क की धनराशि 15.42 लाख रुपए होती है जिसे विक्रय धन निर्धारित करने में नही जोड़ा गया । भारत निर्मित विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य 4.45 लाख रुपए एवं न्यूनतम 5 प्रतिशत व्यापारिक खर्चे (19.87 लाख रुपए पर)को आगणित करते हुए व्यापारी का कुल विक्रय धन वर्ष में 20.86 लाख रुपए होता है । इस प्रकार 3.72 लाख रुपए का टर्नओवर कर निर्धारण से

---

* विनायक बीयर एण्ड वाइन्स स्टोर्स बनाम सी०टी०ओ० 1983-7 एस०टी०एल० (ए०पी०-22)

** (i) सर्व श्री धर्मदेवी, उमाशंकर बनाम सी०एस०टी० (1982 यू०पी०टी०सी०-434)

(ii) भगवान स्वरूप बंसल बनाम सी०एस०टी०(1970 यू०पी०टी०सी०- 375)

(iii) आयुक्त का परिपत्र दिनांक 11.7.1991

छूट गया, जिसके फलस्वरूप 1.20 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1993) विभाग ने मार्च 1994 में बताया कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है और 1.20 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । वसूली की सूचना प्राप्त नही हुई है (जनवरी 1995)।

मामला शासन को जुलाई 1994 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

(iii) भाड़े अथवा माल के सम्प्रदान के व्यय जब कि ऐसा व्यय पृथक रूप से लिया गया हो को छोड़कर उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 2 (I) के नीचे के स्पष्टीकरण -II के अनुच्छेद (I) अनुसार विक्रय धन में ऐसी रकमें सम्मिलित होगी जिन्हें बिके हुए माल के संबंध में माल देने के समय या उसके पूर्व व्यापारी द्वारा किये गये किसी काम के कारण लिया गया हो ।

बिक्रीकर मण्डल इलाहाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1987-88 में प्रान्त बाहर से 196.13 लाख रुपए का सीमेन्ट पारेषण (कन्साइनमेंट) पर प्राप्त होना घोषित किया, और उसे 199.17 लाख रुपए में बेच दिया । कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी के लेखे को स्वीकार किया गया और सीमेन्ट की बिक्री पर प्रचलित 11 प्रतिशत की दर से (अतिरिक्त कर सहित) 21.91 लाख रुपए का कर आरोपित किया गया । व्यापारी के कर निर्धारण अभिलेखों की जांच में पता चला (नवम्बर 1991) कि सम्प्रेषक तथा व्यापारी लिखित रूप से सहमत थे कि प्राप्तकर्ता निकासी व्यय में रेलवे से माल के उतारने , ट्रक में माल चढ़ाने, गोदाम तक परिवहन करने, गोदाम पर माल के उतारने एवं गोदाम में रखने तथा पुन: ट्रक में लादने के व्यय को वहन करेगा। व्यापारी ने ट्रान्सफर, स्टाक जारी करने , वैगन मेंमाल लादने एवं गोदाम किराया के मद में क्रमश: 2.49 लाख रुपए, 1.06 लाख रुपए , 66686 रुपए तथा 93000 रुपए खर्च करना घोषित किया, लेकिन कर निर्धारण के समय इन्हे टर्नओवर में नहीं जोड़ा गया । इसके अतिरिक्त व्यापारी ने सीमेन्ट का विक्रय मूल्य उसके खरीद मूल्य के विरुद्ध 65 पैसे प्रति बोरी कम प्रदर्शित किया जिसके परिणाम स्वरूप 384842 बोरी सीमेंट की बिक्री पर 2.50 लाख रुपए का टर्नओवर छिपाया गया । इस प्रकार कुल 7.64 लाख रुपए का टर्नओवर कर निर्धारण से छूट गया, जिसके फलस्वरूप 84056 रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (फारवरी 1992) विभाग ने सितम्बर 1993 में बताया कि अब कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है तथा 84056 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है। कर के वसूली के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995)।

मामला सरकार को मार्च 1994 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 1995)।

2.15 ब्याज का न/कम आरोपित किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यापारी से अपेक्षित है कि वह निर्धारित कालान्तरों में अपने व्यापार के परिलेख प्रस्तुत करे और निर्धारित समय के भीतर देय कर की धनराशि जमा कर दें । किसी व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर, यदि नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता तो भुगतान न की गयी धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आगणित होगा । स्वीकृत रूप से देय कर का अभिप्राय उस कर से है जो व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे में घोषित अथवा किसी परिलेख या अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाइयों में उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो, जो भी अधिक हो, अधिनियम के अन्तर्गत देय है ।

2 बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अप्रैल 1989 और मार्च 1993 के मध्य) कि 1.59 लाख रुपए का कर भुगतान की तिथि से 12 महीने से 52 महीने के विलम्ब से जमा किया गया । इस लिए कर के विलम्ब से भुगतान के लिए 91000 रुपए का ब्याज आरोपणीय था जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार आरोपित/वसूल नहीं किया गया ।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	विलम्ब से जमा किये गये कर की धनराशि (लाख रुपए में)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	आरोपित न किया गया/ वसूल न किया गया ब्याज (लाख रुपए में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बरेली	1.20	46	0.55	मामला विभाग को प्रतिवेदित हुआ था (अगस्त 1994)। उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (जनवरी 1995) ।
2.	वाराणसी	0.39	43 से 52	0.36	विभाग ने 36,396 रुपए का ब्याज आरोपित कर दिया है (मार्च 1993) ।
	योग	1.59		0.91	

मामले विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 और अप्रैल 1993 के मध्य तथा पुनः मार्च 1994 और अगस्त 1994 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

अध्याय - 3

राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा तथा प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जाँच परीक्षा से 141.12 लाख रुपए की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 170 मामले सामने आए, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं ।

		मामलों की संख्या	धनराशि लाख रुपए में
1.	अतिशय पारेषण/भंडारण छीजन	7	9.05
2.	पास फीस का कम आरोपण	1	1.41
3.	ब्याज का अनारोपण	23	15.61
4.	समझौता शुल्क/अर्थदण्डों का अनारोपण	16	1.35
5.	निर्यात शुल्क के गलत दर लगाये जाने से हानि	5	9.59
6.	अन्य अनियमिततायें	118	104.11
	योग	170	141.12

वर्ष 1993-94 की अवधि के दौरान संबंधित विभाग ने 83.94 लाख रुपए से संबंधित अवनिर्धारण आदि के 17 मामले स्वीकार किए, जिनमें से 20.41 लाख रुपए से संबंधित 16 मामले लेखा परीक्षा में वर्ष 1993-94 के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्व-वर्ती वर्षों में । उदाहरण के लिए कुछ मामले तथा "आसवनियों तथा यवासवनियों के कार्यकलाप में आंतरिक नियंत्रण" पर की गई समीक्षा जिनमें 4066.59 लाख रुपए सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये जा रहे हैं :-

3.2 आसवनियों एवं यवासवनियों के कार्य कलाप में आन्तरिक नियंत्रण

3.2.1 प्रस्तावना

आन्तरिक नियंत्रण का अभिप्राय अभिकर तथा कर के अपवंचन के विरुद्ध तत्पर एवं सफल सेवा तथा पर्याप्त सुरक्षा हेतु उचित आश्वासन को उपलब्ध कराना है । इसका तात्पर्य कानूनों, नियमों तथा विभागीय अनुदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने में सहायता करना है । यह विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबन्ध सूचना प्रणाली के सर्जन में भी सहायता करता है ।

आसवनियों में उत्पादित मदिरा पर आबकारी शुल्क आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्त्रोत है जो कि प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा राजस्व प्राप्ति का विभाग है । अतः यह विभाग का दायित्व है कि उसकी सार्थकता को बनाये रखने के लिए एक उचित आन्तरिक नियंत्रण ढाँचे की स्थापना, समीक्षा तथा अद्यतन संशोधन सुनिश्चित किया जाय ।

राज्य में अल्कोहल युक्त मदिरा के उत्पादन, निर्माण स्वामित्व, क्रय एवं विक्रय पर आबकारी अभिकर का आरोपण एवं संग्रह, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन समय समय पर यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत संचालित होता है ।

शीरे की आपूर्ति एवं वितरण शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 एवं समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली 1974 के अधीन संचालित होता है ।

आसवनियों में मदिरा का उत्पादन मुख्यतः शीरे से किया जाता है जो कि चीनी के निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त रवा विहीन चाशनी (सिरप) है । राज्य में 36 आसवनियाँ है जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 6,80,270 किलो लीटर है । इनमें से 9 आसवनियों पर सहकारी समितियों तथा 27 आसवनियों पर निजी पार्टियों का स्वामित्व है । 6 आसवनियाँ केवल पेय मदिरा एवं 15 आसवनियाँ अपेय मदिरा का उत्पादन तथा शेष 15 आसवनियाँ पेय तथा अपेय मदिरा दोनों का निर्माण करती हैं ।

राज्य में 4 यवासवनियाँ गाजियाबाद, लखनऊ, नबाबगंज (गोण्डा) एवं मेरठ में कार्यरत हैं।

3.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

आबकारी आयुक्त को, आबकारी विभाग का प्रमुख होने के नाते, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अन्तर्गत आसवनियों एवं यवासवनियों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तथा अर्ध-न्यायिक, अपीलीय एवं पुनरीक्षण कार्यों के साथ ही साथ विभिन्न राजस्व परिमाणों के प्रशासन का कार्य सौपा गया है । उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत वह पदेन शीरा नियंत्रक भी है । आबकारी आयुक्त के कार्यों के निर्वाह में सहायता हेतु, मुख्यालय इलाहाबाद में एक अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, 3 संयुक्त आबकारी

आयुक्त, 2 उप आबकारी आयुक्त एवं 9 सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं । प्रभावी, प्रशासन के उद्देश्य से राज्य को 4 परिक्षेत्रों तथा 13 प्रभारों (सर्किल्स), जिनमें प्रत्येक का प्रभार क्रमशः एक संयुक्त आबकारी आयुक्त तथा एक उप आबकारी आयुक्त के अंतर्गत है । इन अधिकारियों की सहायता, राज्य के प्रत्येक जिले में एक सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा की जाती है ।

प्रत्येक आसवनी/यवासवनी का कार्य कलाप वहाँ नियुक्त एक सहायक आबकारी आयुक्त एवं उसके अधीनस्थ निरीक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जाना अपेक्षित है । अधिकारियों की कमी के कारण 36 में से केवल 6 आसवनियों में सहायक आबकारी, आयुक्तों की नियुक्ति की गई है (जनवरी 1995) ।

वर्ष 1978 में विभाग में स्थापित एक आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन भी एक वित्त नियंत्रक तथा मुख्य लेखाधिकारी के सहयोग से आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहा है।

3.2.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

यह देखने के उद्देश्य से कि आसवनियों/यवासवनियों के कार्य कलापों के संबंध में विभाग द्वारा स्थापित आन्तरिक नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रहे है, आसवनियों एवं यवासवनियों से प्राप्त राजस्व का लगभग 72 प्रतिशत आच्छादित करते हुए (36 में से 15) आसवनियों तथा (4 में से 3) यवासवनियों एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यालय के वर्ष 1990-91 से 1993-94 के संगत अभिलेखों की मार्च/अप्रैल 1994 में नमूना जाँच की गयी ।

3.2.4 मुख्य अंश

(i) यद्यपि अनुज्ञापियों ने अपने अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिए प्रार्थनापत्र अनुज्ञापन शुल्क के साथ समय के अन्दर प्रस्तुत कर दिया, परंतु उनके अनुज्ञापन या तो नवीनीकृत नहीं किए गये या 1 से 35 माह के बाद नवीनींकृत किए गये ।

(प्रस्तर 3.2.5)

(ii) वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान, अल्कोहल का उत्पादन 1990-91 में 343.63 मिलियन लीटर से बढ़कर 1991-92 में 359.26 मिलियन लीटर हुआ लेकिन 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान घट गया । 1992-93 एवं 1993-94 में क्रमशः 46.2 एवं 63.7 प्रतिशत अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 3.2.6)

(iii) नियमों के अनुसार, चीनी मिलों से आसवनियों तक शीरे की मार्गस्थ हानि 1 प्रतिशत तक

अनुमन्य है तथा 1 प्रतिशत से अधिक हानि पर प्रत्येक मामले में 5000 रुपए तक का अर्थदण्ड आरोपित कर के प्रतिशमित किया जा सकता है । शीरे की मात्रा दोनों स्थानों पर आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा जाँची तथा प्रमाणित की जाती है । यह देखा गया कि 53 मामलों में अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड 2.65 लाख के विरुद्ध केवल 2500 रुपए की कुल धनराशि प्रशमित की गई । 400 मामले आयुक्त के पास आदेश के लिए लम्बित थे तथा 355 ऐसे मामलों में कार्यवाही ही प्रारंभ नहीं की गई । शीरे की अधिक मार्गस्थ हानि से शासन को 13. 25 लाख रुपए के अतिरिक्त आबकारी राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

(प्रस्तर 3.2.6(i)(क))

(iv) 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान शीरे से मदिरा के उत्पादन के लिए मानदण्ड को प्राप्त करने/लागू करने में असफलता के कारण 13 आसवनियों में आबकारी राजस्व के कुल 32.21 करोड़ रुपए से सरकार वंचित रह गयी ।

(प्रस्तर 3.2.6(ii)ख)

(v) बंध-पत्र के अधीन निर्यात की गयी परिशोधित स्प्रिट के मामले मे, जिसमें 112.53 लाख रुपए का आबकारी अभिकर निहित था, पारेषितियों द्वारा पावती स्वीकार नही की गयी ।

(प्रस्तर 3.2.8)

(vi) निर्यात अभिकर की गलत दर लगाये जाने के कारण 71.05 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 3.2.9)

(vii) वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (आई० एम० एफ० एल०) के वास्तविक तीव्रता को न अपनाये जाने के कारण 19.75 लाख रुपए के अभिकर का अवनिर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 3.2.11)

(viii) 1990-91 से 1993-94 के मध्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट आसवनियों/यवासवनियों का निरीक्षण विभागीय प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 3.2.13)

3.2.5 लाइसेंस का नवीनीकरण न किया जाना/विलम्ब से किया जाना

उत्तर प्रदेश में आसवनी स्थापित करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को, सरकार के स्वामित्व वाले परिसर की आसवनी के लिए पी0डी0-1 प्रारुप में तथा सरकार से अन्य किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले परिसर की आसवनी के लिए पी0डी0-2 प्रारुप में, आबकारी आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है । उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, लाइसेंस स्वीकृत किए जाने के पूर्व अभ्यर्थी को 50000 रुपए प्रतिभूति की धनराशि सरकारी प्रामिसरी नोट या अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में प्रस्तुत करना तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता पर 5 रुपए प्रति किलोलीटर (वर्ष 1991-92 से बढ़ाकर 10 रुपए किया गया) की दर से लाइसेंस फीस अग्रिम रुप में भुगतान करना आवश्यक है । लाइसेंस, आबकारी वर्ष (अप्रैल से मार्च) या उसके अंश के लिए स्वीकृत किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष उपरोक्त लाइसेंस फीस अग्रिम में भुगतान किए जाने पर नवीनीकरण योग्य होता है ।

आसवनियों के वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया (मार्च/ अप्रैल 1994) कि यद्यपि अनुज्ञापियों ने अपने अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिए प्रार्थनापत्र अनुज्ञापन शुल्क के साथ समय के अन्दर प्रस्तुत कर दिया, परंतु उनके अनुज्ञापन या तो नवीनीकृत नहीं किए गये या 1 से 35 माह के विलम्ब के बाद नवीनीकृत किए गये उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिए गये है ।

(i) सरैया (गोरखपुर) स्थित आसवनी का अनुज्ञापन वर्ष 1986-87 से नवीनीकृत नहीं किया गया था ।

(ii) मोदीनगर (गाजियाबाद) तथा मुजफ्फर नगर स्थित आसवनियों के 2 मामलों में अनुज्ञापन वर्ष 1991-92 से नवीनीकृत नहीं किए गये थे ।

(iii) मझोला (पीलीभीत) तथा गाजियाबाद की दो अन्य आसवनियों के अनुज्ञापन वर्ष 1993-94 से नवीनीकृत नहीं किए गये थे ।

(iv) 15 में से 10 आसवनियों के अनुज्ञापन 1 से 35 माह के विलम्ब से नवीनीकृत किये गये ।

3.2.6 उत्पादन की प्रवृत्ति

राज्य में 36 आसवनियाँ है जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 680.27 मिलियन लीटर अल्कोहल प्रतिवर्ष है। अल्कोहल उत्पादन के लिए , आसवनियों में मुख्य रूप से शीरा प्रयुक्त होता है जो 108 चीनी मिलों द्वारा उत्पादित, चीनी निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सह उत्पाद है ।

अल्कोहल वर्ष* 1990-91 से 1993-94 के दौरान अल्कोहल का उत्पादन 1990-91 में 343.3 मिलियन लीटर से बढ़कर 1991-92 में 359.26 मिलीयन लीटर हुआ लेकिन 1993-94 में घट कर 247.28 मिलीयन लीटर रह गया। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता	अल्कोहल का उत्पादन	अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग न किये गये की प्रतिशतता
	(मिलीयन लीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
1990-91	489.90	343.63	29.9
1991-92	489.90	359.26	26.7
1992-93	544.50	292.93	46.2
1993-94	680.27	247.28	63.7

आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 1994) कि विनियन्त्रित शीरे के मंहगे होने के कारण आसवकों ने अल्कोहल के मूल्य में वृद्धि कर दी थी फलतः माँग में कमी आई तथा इसका असर अल्कोहल के उत्पादन पर पड़ा। पूरी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का उपयोग न किए जाने के संबंध में तीन आसवनियों सरैया (गोरखपुर), मंसूरपुर (मुजफ्फर नगर) तथा मझोला (पीलीभीत) के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि इसका मुख्य कारण कुल खरीद (आफ टेक)की समस्या थी । अन्य आसवनियों ने ईंधन की कमी , शीरे का विनियन्त्रण, यांत्रिक खराबियाँ तथा प्लांट की मरम्मत जैसे कारण अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता को उपयोग न किए जाने के लिए, निर्दिष्ट किया ।

(i) शीरे की हानि

अगस्त 1993, में शीरा विनियंत्रण के पूर्व आसवनियों को शीरे का आवंटन चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे से, आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता था । चूंकि अल्कोहल के उत्पादन की मात्रा अन्य बातों के साथ साथ शीरे की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि चीनी मिलों से आसवनियों तक परिवहन में, आसवनियों में इसके भंडारण इत्यादि में शीरे की हानि को नियंत्रित किया जाय । जाँच परीक्षण में निम्नलिखित बातें प्रकाश में आयीं:-

---

* अल्कोहल वर्ष दिसम्बर से नवम्बर

(क) मार्गस्थ हानि

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत , चीनी मिलों से आसवनियों तक शीरे के लिए , 1 प्रतिशत तक मार्गस्थ हानि अनुमन्य है ।चीनी मिल पर नियुक्त आबकारी विभाग का प्रतिनिधि प्रेषित की गई मात्रा की जाँच करता है तथा आसवनी में नियुक्त आबकारी निरीक्षण पारेषण के प्राप्त होने पर प्राप्त की गई मात्रा को सत्यापित कर पास के प्रतिपृष्ठ पर अंकित करता है तथा सबंधित चीनी मिल के स्वामी को लौटा देता है । प्राप्तकर्ता इस संबंध में पर्याप्त सावधानी रखेगा कि शीरा के परिवहन में छीजन 1 प्रतिशत से अधिक न हो इसमें विफल होने पर प्रेषक प्रत्यके मामले में 5000 रुपए से अनधिक अर्थदण्ड का दायी होगा।

समीक्षा के अंतर्गत 15 आसवनियों की नमूना जांच में यह पाया गया कि शीरा वर्ष* 1990-91 से 1992-93 के दौरान 1,11,812 कुन्तल शीरा चीनी मिलों से आसवनियों को (808 पारेषणों में) भेजा गया जिसमें से आसवनियों में केवल 1,09,356 कुन्तल प्राप्त किया गया फलस्वरुप अनुमन्य मार्गस्थ हानि 1118 कुन्तल (1 प्रतिशत) का लाभ देने के बाद 1338 कुन्तल अधिक मार्गस्थ हानि हुई किन्तु यह देखा गया कि दौराला (मेरठ) स्थित एक आसवनी से संबंधित केवल 53 मामले अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड 2.65 लाख रुपए के विरुद्ध मात्र 2500 रुपए में ही प्रशमित किए गए । अतिशय मार्गस्थ हानि के 400 मामले आबकारी आयुक्त के कार्यालय में आदेश हेतु लम्बित थे तथा जांच परीक्षण की गई 15 आसवनियों में से 9 आसवनियों से संबंधित वर्ष 1990-91 से 1992-93 के 355 मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई । परिवहन में शीरे की हानि के मूल्य का भुगतान आसवकों द्वारा चीनी मिलों को किया गया । यदि मार्गस्थ हानि निर्धारित स्तर 1 प्रतिशत तक रखी गई होती तो विभाग को, निर्धारित सीमा से अधिक शीरे की हानि 1338 कुन्तल से उत्पादित किए जाने वाले 30,105 अल्कोहल लीटर स्प्रिट पर 13.25 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होता ।

(ख) भण्डारण में हानि

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत आसवक पर्याप्त सावधानी रखेगा कि शीरे के भण्डारण में हानि एक वर्ष में भण्डार की हुई शीरे की मात्रा के 2 प्रतिशत से अधिक न हो । यदि हानि 2 प्रतिशत से अधिक होती है तो आसवक अधिकतम 5000 रुपए तक के अर्थदण्ड का दायी होगा ।

15 आसवनियों में से 5 आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान 9 मामलों में (2 प्रतिशत भण्डारण हानि की अनुमति देते हुए) 54031 कुन्तल शीरे की भण्डारण हानि हुई । केवल 2 मामले 8500 रुपए धनराशि के लिए प्रशमित किए गए तथा एक मामलें में केवल

---

*शीरा वर्ष :- नवम्बर से अक्टूबर

चेतावनी दी गई । आबकारी आयुक्त को प्रतिवेदित 5 मामले आदेश के लिए लम्बित थे तथा वर्ष 1991-92 से संबंधित एक मामले को आबकारी आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही के लिए भी प्रतिवेदित नहीं किया गया । यदि भण्डारण में हानि निर्धारित स्तर 2 प्रतिशत तक रखी गई होती तो विभाग को निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण हानि में , 54031 कुन्तल शीरे से उत्पादित किए जाने वाले 1215.70 हज़ार अल्कोहलिक लीटर स्प्रिट से विभाग को 534.91 लाख रुपए अतिरिक्त राजस्व अर्जित होता ।

(ii) रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गये शीरे के मिश्रित नमूने

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्यकलाप (संशोधित) नियमावली 1978 में यह प्रावधान है कि शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से कम से कम 52.5 लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए । इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट, कार्यालय आबकारी आयुक्त को किण्वीय शर्करा के निर्धारण हेतु जाँच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है । विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रभारी अधिकारी आसवनी द्वारा लिए गए मिश्रित नमूने परीक्षण हेतु एक सप्ताह के अन्दर भेज दिए जाने चाहिए और नमूनों की जाँच रिपोर्ट उनके प्राप्ति के एक पक्ष के अन्दर वापस पहुंच जाना अपेक्षित हैं। उर्पयुक्त शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन आरोपणीय किसी अन्य अर्थदण्ड के अतिरिक्त संबंधित आसवक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और जमानत के रूप में जमा धनराशि जब्त की जा सकती है ।

(क) नमूनों के भेजने में विलम्ब तथा अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट से परीक्षण रिपोर्ट का विलम्ब से प्राप्त होना

वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि में 15 आसवनियों की लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि शीरे के मिश्रित नमूनें 2 दिनो से 75 दिनों के बिलम्ब से अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को परीक्षण हेतु भेजे गये । गाजियाबाद स्थित एक आसवनी में यह देखा गया कि इस संबंध में निर्धारित किए गए अभिलेखों का उचित प्रारूप में रखरखाव नही किया गया जिससे रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गये नमूनों मे हुए वास्तविक विलम्ब की गणना नही की जा सकी । इसी प्रकार अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट से नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में 15 दिन से 377 दिन का विलम्ब हुआ ।

अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट ने बताया (जून 1994) कि कार्याधिक्य के कारण कुछ नमूनों की जांच में विलम्ब हुआ क्योंकि 24 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्ष 1986 से वास्तव में केवल 11 ही कार्यरत थे ।

(ख) अव-मानक उत्पादन

संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच एवं वर्ष 1990-91 से 1993-94 के लिए 13 आसवनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से यह प्रकाश में आया कि अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की आख्या के आधार पर 813 मिश्रित नमूनों से अल्कोहल का उत्पादन 1384.15 लाख अल्कोहलिक लीटर होना चाहिए परन्तु 71.69

लाख अल्कोहलिक लीटर का कम उत्पादन हुआ । इस प्रकार यदि अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन लागू कर लिया गया होता तो सरकार को 32.21 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व अर्जित होता, विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	किण्वीय शर्करा की मात्रा (हजार कुन्तल में)	मानक के अनुसार उत्पादन (हजार अल्कोहलिक लीटर में)	वास्तविक उत्पादन (हजार अल्कोहलिक लीटर में)	उत्पादन में कमी (हजार अल्कोहलिक लीटर में)	अतिरिक्त राजस्व क्षति (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1990-91	528.10	27725.16	26538.31	1186.85	474.74
1991-92	821.06	43105.63	40699.52	2406.11	1058.69
1992-93	733.32	38499.32	36924.94	1574.38	787.19
1993-94	554.00	29085.22	27083.74	2001.48	900.66
योग	2636.48	138415.33	131246.51	7168.82	3221.28

इन आसवनियों में वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान शीरे में विद्यमान 2636.48 हजार कुन्तल किण्वीय शर्करा से निर्धारित 138415.33 हजार अल्कोहलिक लीटर उत्पादन के विरुद्ध कुल 131246.51 हजार अल्कोहलिक लीटर स्प्रिट का उत्पादन किया गया । यदि स्प्रिट के उत्पादन का मानदण्ड प्राप्त/लागू कर लिया गया होता तो सरकार को 7168.82 हजार अल्कोहलिक लीटर अतिरिक्त अल्कोहल के उत्पादन पर (40 रुपए से 50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से) 3221.28 लाख रुपए आबकारी राजस्व अर्जित होता ।

यह भी देखा गया कि अव-मानक उत्पादन के 813 प्रकरणों में से केवल 369 प्रकरणों को ही प्रशमित किया गया था तथा 124 प्रकरण आबकारी आयुक्त के यहाँ लम्बित थे । 320 प्रकरणों में कोई कार्यवाही नही की गयी थी ।

3.2.7 स्प्रिट के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश आसवनियों से स्प्रिट की निकासी सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली 1978 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अनतर्गत बन्ध पत्र के अधीन, लकड़ी के पीपों, धातु के पात्रों में परिवहित अथवा निर्यातित मदिरा पर 0.5 प्रतिशत तक की वास्तविक मार्गस्थ छीजन की छूट (रिसन, वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कराणों से) स्वीकार्य है । बन्द पाउचों में स्प्रिट के परिवहन में मार्गस्थ छीजन पर नियमों में कोई छूट अनुमन्य नही है । निर्धारित सीमा के बाहर छीजन के मामले में, नियमों में प्रावधान है कि आसवनी का प्रभारी अधिकारी आबकारी शुल्क आरोपित करने के लिए मामले को उप आबकारी आयुक्त को प्रतिवेदित करेगा ।

शामली (मुजफ्फर नगर), मझोला (पीलीभीत), रोजा (शाहजहांपुर) तथा सहारनपुर स्थित 4 आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च/अप्रैल 1994) में यह देखा गया कि 14.52 लाख अल्कोहलिक लीटर देशी मदिरा (आई० एम० एफ० एल०), बन्द बोतलो, पाउचों तथा टैंकरों में विभिन्न स्थानों को अप्रैल 1992 से मार्च 1994 के मध्य परिवहित की गयी थी । इन परिवहनों में स्वीकार्य सीमा से अधिक छीजन 35,930 अल्कोहलिक लीटर पर 12.93 लाख रुपए का आबकारी शुल्क आरोपणीय था जो आसवकों से वूसल नही किया गया। विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	आसवनियों की संख्या	पारेषणों की संख्या	स्प्रिट का प्रकार	परिवहित अल्कोहल की मात्रा (लाख अल्कोहलिक लीटर में)	मार्गस्थ हानि/ अधिक मार्गस्थ हानि (अल्कोहलिक लीटर में)	पैकिंग करने का ढंग	आरोपणीय अभिकर (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1992-93	3	16	देशी स्प्रिट (मसालेदार)	0.72	2012.9	टैन्कर	0.67
	3	253	देशी स्प्रिट (मसालेदार)	4.61	14090.7	पाउच	4.70
1993-94	1	1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	0.11	8225.1	टैंकर	3.70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3	368	देशी स्प्रिट (मसाले दार)	8.01	7126.5	पाउच	2.37
	3	26	देशी स्प्रिट (सादी)	1.07	4474.8	टैंकर	1.49
योग		664		14.52	35930.0		12.93

3.2.8 बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत , राज्य के बाहर परन्तु भारत के अन्दर निर्यात की गयी विदेशी मदिरा पर निर्यात अभिकर आरोपणीय है । उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बाटलिंग नियमावली 1969 के अनुसार अनुज्ञापी द्वारा एक बन्ध पत्र निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें वह मदिरा को गन्तव्य स्थान पर पहुचाने एवं इस आशय का प्रमाण पत्र 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेता है । यदि अनुज्ञापी उपरोक्त अवधि के भीतर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करता तो उसमें निहित अभिकर के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली की जावेगी ।

दौराला, (मेरठ), मझोला (पीलीभीत) एवं रामपुर स्थित 3 आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया (मार्च / अप्रैल 1994) कि 22 बार में 253998.1 अल्कोहलिक लीटर परिशोधित स्प्रिट का निर्यात 4 जनवरी 1989 तथा 10 जनवरी 1994 की अवधि के मध्य बन्ध पत्र के अधीन प्रान्त के बाहर किया गया । जिसमें अनुज्ञापी, मदिरा के गन्तव्य स्थान पर पहुचाने का वांछित प्रमाण पत्र मदिरा निर्यात के 4 से 64 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी प्रस्तुत करने में असफल रहे । उत्पादकों द्वारा निष्पादित बन्धपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार 112.53 लाख रुपए (अभिकर के समतुल्य) अर्थदण्ड की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी थी ।

3.2.9 निर्यात शुल्क की त्रुटिपूर्ण दर लगाए जाने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत आबकारी शुल्क लगाये जाने के उददेश्य से मदिरा को या तो देशी मदिरा या विदेशी मदिरा में वर्गीकृत किया जाता है । वह स्प्रिट जिसकी सान्द्रता 60 डिग्री ओवर प्रूफ (91.27 प्रतिशत आयतन से आयतन) से कम की है सादी स्प्रिट तथा वह स्प्रिट जिसमें 60 डिग्री ओवर प्रूफ और इससे अधिक की सान्द्रता हो रेक्टीफाइड स्प्रिट (विदेशी मदिरा) के

नाम से जानी जाती है । 60 डिग्री ओवरप्रूफ से कम सांद्रता की सादी स्प्रिट चाहे वह शीरा के आसवन अथवा अंगूर या माल्ट के आसवन से प्राप्त की गई हो विदेशी मदिरा नहीं है और आबकारी शुल्क लगाये जाने के उद्देश्य से देशी मदिरा की श्रेणी में आती है । वर्ष 1990-91 से 1993-94 के मध्य देशी मदिरा (ताड़ी और किण्वीय अल्कोहल को छोड़कर) के निर्यात पर 7 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर एवं विदेशी मदिरा के निर्यात पर 2.50 से 4.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर अभिकर की दर निर्धारित थी ।

6 आसवनियों की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मार्च/अप्रैल 1994) कि आसवनियों द्वारा 292 पारेषणों के माध्यम से 60 डिग्री ओवर प्रूफ से कम सान्द्रता (अल्कोहल की आयतनिक दृष्टि से मात्रा 53 प्रतिशत से 91.20 प्रतिशत के मध्य) की स्प्रिट की 2049.13 हजार अल्कोहलिक लीटर मात्रा, जो कि देशी मदिरा की श्रेणी में आती थी, का निर्यात 12 सितम्बर 1990 तथा 29 मार्च 1994 की अवधि के मध्य उत्तर प्रदेश से बाहर किया गया । उपर्युक्त स्प्रिट के निर्यात पर 7.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर के बजाय 2.50 रुपए से 4.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से निर्यात शुल्क वसूल किया गया । इसके परिणामस्वरुप 71.05 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	वर्ष	जिस आसवनी से निर्यात किया गया	निर्यात की गई मात्रा (हजार ए0एल0 में)	निर्यात शुल्क वसुली योग्य	वसूला गया	राजस्व हानि
				(लाख	रुपए	में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1990-91	गाजियाबाद	235.29	16.47	5.88	10.59
2.	"	शामली (मुजफ्फर नगर)	36.13	2.52	0.90	1.62
		योग	271.42	18.99	6.78	12.21
3.	1991-92	गाजियाबाद	452.89	31.70	13.59	18.11
4.	"	शामली	47.32	3.32	1.42	1.90
5.	"	नवाबगंज (गोण्डा)	55.75	3.90	1.67	2.23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	1992-93	गाजियाबाद	345.19	24.16	13.80	10.36
7.	"	लखनऊ	1.55	0.11	0.06	0.05
8.	"	रामपुर	253.46	17.74	10.14	7.60
9.	"	राजा का सहसपुर (मुरादाबाद)	56.42	3.95	2.26	1.69
10.	"	नबावगंज (गोण्डा)	87.97	6.16	3.52	2.64
		योग	744.59	52.12	29.78	22.34
11.	1993-94	गाजियाबाद	400.22	28.02	16.01	12.01
12.	"	लखनऊ	16.20	1.13	0.69	0.44
13.	"	नवाबगंज (गोंडा)	60.74	4.25	2.24	1.81
		योग	477.16	33.40	19.14	14.26
	महायोग		2049.13	143.43	72.38	71.05

3.2.10 लाइसेंस के बिना व्यापार

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर सहित) के निर्माता से अपेक्षित है कि वह अपने उत्पाद की थोक बिक्री के लिए फार्म एफ0 एल0-1 में लाइसेंस प्राप्त करे । यह लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फीस 5000 रुपए प्रति वर्ष जिसे अप्रैल 1989 से बढ़ा कर 50000 रुपए तथा अप्रैल 1992 से 1.00 लाख रुपए कर दिया गया, के भुगतान पर जारी किया जाता है ।

मेरठ स्थित एक यवासवनी फार्म एफ0एल0-1 में लाइसेंस प्राप्त किए बिना, उत्तर प्रदेश आबकारी नियमों के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए वर्ष 1976-77 से स्व-उत्पादित बीयर का व्यापार कर रही थी । शासन को इस प्रकार वर्ष 1976-77 से 1993-94 के लिए लाइसेंस फीस के रुप में 4.15 लाख रुपए के राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

लेखा परीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर (मार्च 1992) प्रभारी अधिकारी यवासवनी ने बताया (अप्रैल 1994) कि उचित लाइसेंस के न प्राप्त करने पर थोक बिक्री के लिए बीयर की निकासी नवम्बर 1993 से रोक दी गयी है । किन्तु लाइसेंस फीस की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी ।

3.2.11 भारत में बनी विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश बाटलिंग आफ फारेन लिकर नियमावली, 1969 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत व्हिस्की, ब्रान्डी, रम तथा जिन की विक्रय हेतु निर्धारित तीव्रता स्प्रिट की वह दृष्टिगत तीव्रता होती है जैसा कि उसमें रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित होती है । इस इंगित की गई तीव्रता का उल्लेख ढ़क्कनदार एवं मोहरबंद बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर होना चाहिए । व्हिस्की, ब्रान्डी तथा रम के निर्गमन हेतु न्यूनतम तीव्रता 25 डिग्री अंडर प्रूफ (42.8 प्रतिशत वाल्यूम/ वाल्यूम) तथा कम शक्ति वाली रम के लिए 47.4 डिग्री अंडर प्रूफ (30 प्रतिशत वाल्यूम/वाल्यूम) निर्धारित है । भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर शुल्क ढ़क्कनदार और मोहरबन्द बोतलों में भरी गई अल्कोहल की प्रति लीटर की मात्रा पर वसूल किया जाता है ।

रामपुर तथा उन्नाव स्थित 2 आसंवनियों में वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान 10397103.8 अल्कोहलिक लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा निर्मित तथा निर्गत की गयी थी । बोतलों पर लगाए गए लेबिलों पर व्हिस्की, ब्रान्डी तथा रम की तीव्रता 25 डिग्री अंडर प्रूफ (42.8 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम) तथा कम शक्ति वाली रम की तीव्रता 47.4 डिग्री अंडर फ्रूफ (30 प्रतिशत वाल्यूम/वाल्यूम) इंगित थी और आबकारी शुल्क इसी आधार पर आरोपित किया गया था । किन्तु मदिरा में रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद स्प्रिट की वास्तविक तीव्रता जैसा कि हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित की गयी थी, व्हिस्की, ब्रान्डी तथा रम के संबंध में 42.9/ 43.0 प्रतिशत वाल्यूम /वाल्यूम तथा कम शक्ति वाली रम के संबंध में 30.2 प्रतिशत वाल्यूम/वाल्यूम (आसवनी के अभिलेखों के अनुसार) थी, जो बोतलों पर लगाए गए लेबिलों पर इंगित तीव्रताओं से 0.1 से 0.2 प्रतिशत वाल्यूम/वाल्यूम अधिक थी । हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रताओं के बजाय निर्धारित न्यूनतम तीव्रताओं (जैसा की लेबिलों पर इंगित थे) के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण के फलस्वरुप उपर्युक्त अवधि में 19.75 लाख रुपए का कम आरोपण हुआ ।

3.2.12 आबकारी ताले

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन बने नियमों के अंतर्गत आसवनियों में मदिरा के

दुरुपयोग या रिसाव को रोकने के लिए सभी स्प्रिट पाइपों तथा बर्तनों आदि पर आबकारी ताले लगाने का प्रावधान है । ये ताले माह में एक बार अनियमित अन्तराल पर बदले जाने चाहिए जिससे कि विशेष बंधन पर वही ताला लगातार लगाए जाने की जानकारी न हो । आसवनियों के प्रभारी अधिकारियों को फार्म पी0 डी0 - 3 में लाक टिकट की पुस्तकें आबकारी तालों के साथ प्रयोग करने के लिए दी जायेगी ।

आबकारी निरीक्षक से अपेक्षित है कि वह लाक-टिकट पर अपना सदिनांक हस्ताक्षर (समय सहित) करें तब इसे फ्लैप वाले हिस्से के नीचे इस उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया जाता है और फ्लैप को ताले के सामने कस कर टिकट के ऊपरी हिस्से से मजबूती से बांध दिया जाता है । नियमों में यह भी प्रावधान है कि बिना टिकट ताले का प्रयोग अथवा टिकट या इसके प्रति पर्ण में उचित प्रविष्टियों में असफलता या टिकट के प्रयोग के लेखांकन में असफलता गंभीर अपराध माना जायेगा ।

15 आसवनियों की नमूना जांच में यह देखा गया कि कुल 387 तालों की आवश्यकता के विरुद्व केवल 280 ताले ही उपलब्ध कराए गए थे जिनमें से केवल 142 ताले ही चालू हालत में थे । मोहन नगर, मोदी नगर (गाजियाबाद) , नवाबगंज (गोण्डा), दौराला (मेरठ) तथा राजा-का-सहसपुर (मुरादाबाद) स्थित 5 आसवनियों में तालों के साथ लाक-टिकटों का प्रयोग नही किया जा रहा था । यह भी देखने में आया कि मझोला (पीलीभीत) स्थित एक आसवनी में आसवक द्वारा उपलब्ध कराये गये तालों का प्रयोग किया जा रहा था।

आबकारी तालों तथा लाक-टिकटों की अनुपस्थिति में मदिरा के दुरुपयोग या रिसाव तथा उसके फलस्वरुप होनें वाली आबकारी राजस्व की क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता ।

3.2.13 विभागीय अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों का निरीक्षण

आसवनियों तथा यवासवनियों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाना आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रभारी अधिकारी आसवनी/यवासवनी	प्रत्येक माह	आसवनी के प्रत्येक अनुभाग का निरीक्षण अलग अलग करना है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	जिला आबकारी अधिकारी	त्रैमासिक (दिसम्बर से फरवरी, जून से अगस्त तथा सितम्बर से नवम्बर)	प्रत्येक आसवनी का विस्तृत निरीक्षण
3.	उप आबकारी आयुक्त प्रभार	दिसम्बर से मई- एक बार जून से नवम्बर - एक बार	--तदैव-- --तदैव--

उपरोक्त के अलावा आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में समय समय पर जब भी उचित समझे आकस्मिक निरीक्षण करें ।

समीक्षा के अधीन 15 आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक की अवधि में अपेक्षित 300 निरीक्षणों के स्थान पर केवल 193 (64.33 प्रतिशत) निरीक्षण किये गये । उपरोक्त अवधि में कोई आकस्मिक निरीक्षण नही किया गया । इन निरीक्षणों की अनुपस्थिति में आसवनियों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं प्रमाणित किया जा सकता ।

3.2.14 आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन

राज्य आबकारी अभिकर एवं शुल्क आदि के आरोपण तथा वसूली में सुधार लाने के उद्देश्य से तथा राज्य आबकारी नियमों, प्रशासनिक आदेशों तथा अनुदेशों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न त्रुटियों को समाप्त करने के लिए विभाग में वर्ष 1978 में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में एक आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन का गठन किया गया ।

आंतरिक लेखापरीक्षा दलों से यह अपेक्षित है किआसवनियों तथा यवासवनियों सहित सभी इकाइयों का लेखा परीक्षण वार्षिक रूप से सम्पन्न करे । लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी मुख्यालय स्तर पर की जाती है । लेखा परीक्षा की समयावधि तथा आंतरिक लेखापरीक्षा योजना को प्रभावी बनाने केलिए प्रयोग में लाई जाने वाली जांच की प्रमात्रा के संबंध में कोई विस्तृत अनुदेश जारी नही किए गए ।

नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक की अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षण में कमी का प्रतिशत 100 से 44 के मध्य था जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	आसवनियों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा अपेक्षित थी	इकाईयों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा की गयी	लम्बित इकाईयों की संख्या	आपत्तियों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)	वसूली की गयी धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1990-91	34	शून्य	34	शून्य	शून्य	शून्य
1991-92	34	शून्य	34	शून्य	शून्य	शून्य
1992-93	36	10	26	34	2.48	शून्य
1993-94	36	20	16	98	4.32	शून्य

यह भी देखने में आया कि आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा उठाई गयी आपत्तियों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए कोई आपत्ति-पुस्तिका वर्ष 1993-94 के पहले नही रखी गयी ।

उपरोक्त बिंन्दुओं को विभाग एवं शासन को जून 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

3.3 नियमों का अनुपालन न करने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञापियों को बोली की रकम का 25 प्रतिशत जमानत के रूप में जमा करना आवश्यक है । बोली की रकम का आठवाँ भाग, बोली तोड़े जाने पर नकद रूप में नीलामी के दौरान ही अदा किया जाना होता है और बाद में दस दिनों के भीतर चौबीसवाँ भाग नगद रूप में और अवशेष बारहवाँ भाग या तो नकद या बैंक गारंटी/ सावधि जमा रसीद के रूप में लाइसेंसी को उसके बाद सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए लाइसेंस - शुल्क 12 मासिक किश्तोंमें प्रत्येक माह की 20 तारीख तक जमा करना होता है । अदा न की गई पूरी अथवा अधूरी मासिक किस्त की घटी हुई रकम जमानती जमा से समायोजित कर ली जाती है और यदि उसे दस दिन के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो लाइसेंस रद्द करके उसे नए सिरे से व्यवस्थापित करना पड़ता है और इससे यदि कोई नुकसान , दुकान (दुकानों) की दोबारा नीलामी के कारण होता है तो वह बची हुई जमानत तथा अवशेष से यदि हो, भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकता है । जमानती जमा, जब तक कि उसे जब्त न कर लिया गया हो, यदि लाइसेंसी द्वारा समस्त आबकारी बकायों का हिसाब साफ कर दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष (वित्तीय वर्ष) की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व वापस कर दिया जाता है ।

जिला आबकारी कार्यालय प्रतापगढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (मार्च 1993) कि वर्ष 1992-93 की देशी मदिरा की जनपद की सिटी ग्रुप की 35 दुकानों का अनुज्ञापत्र 2 मई 1992 को उच्चतम बोली के आधार पर कुल 2.36 करोड़ पर संयुक्त रूप से 12 अनुज्ञापियों के पक्ष में तय किया गया । अनुज्ञापियों द्वारा अग्रिम प्रतिभूति के रूप में बोली की राशि का छठवाँ भाग (1/6 भाग) 39.35 लाख रुपए जमा किया जाना था जिसके विरुद्ध 17 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट एवं 22.35 लाख रुपए चेक द्वारा भुगतान किए गए। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक को अनादृत कर दिया गया । बोली के बारहवें भाग के बराबर की धनरशि भी जमा नही की गयी । अनुज्ञापत्र शुल्क की मासिक किस्ते नियमित रुप से जमा नही की गई । माह मई 1992 एवं जुलाई 1992 की मासिक किस्त 21.45 लाख रुपए के विरुद्ध क्रमशः 14.54 लाख रुपए व 0.49 लाख रुपए ही जमा किये । तदोपरान्त 13 जुलाई 1992 को अनुज्ञापन निरस्त कर दिया गया। 14 जुलाई 1992 से 20 अक्टूबर 1992 तक दुकानें दैनिक व्यवस्था के आधार पर चलायी गयीं जिससे 53.15 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई । दुकानों को 21 अक्टूबर 1992 को 87.30 लाख रुपए की बोली पर पुनः नीलाम किया गया । इस प्रकार इन दुकानों से 2.36 करोड़ रुपए की बोली की धनराशि के विरुद्ध 1.72 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित हुआ । नियमों का अनुपालन न करने से 64 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

मामला विभाग /शासन को जून 1993 में तथा पुनः फरवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (जनवरी 1995) ।

3.4 परिशोधित स्प्रिट के निर्यात पर पास फीस का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 व उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार 60^{0} ओ0पी0 और उससे अधिक शक्ति वाली स्पिरिट (91.27 प्रतिशत वाली वाल्यूम/वाल्यूम) परिशोधित स्प्रिट (रेक्टीफाइड स्पिरिट) कहलाती है जो विदेशी मदिरा की श्रेणी मे आती हैं । यह स्पिरिट मानव उपयोग के योग्य नही होती है । मानव उपयोग योग्य परिशोधित स्प्रिट के निर्यात पर निर्यात पास फीस लगती है न कि निर्यात शुल्क । पीने के प्रयोग के लिए निर्यात किए गए परिशोधित स्प्रिट पर निर्यात पास फीस की दर 23 मार्च 1992 से 5 रुपए प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति बल्क लीटर की गयी थी ।

मंसूरपुर (मुजफ्फर नगर) स्थित एक आसवनी में देखा गया (जनवरी 1993) कि माह अगस्त 1992 में आयतन की दृष्टि से 91.4 प्रतिशत (वाल्यूम/वाल्यूम) 60000 बल्क लीटर * अथवा 54840 अल्कोहलिक लीटर ** सान्द्रता भारत निर्मित विदेशी मदिरा जो मानव उपयोग के योग्य नही थी, का निर्यात पीने के प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर किया गया । इस पर पीने के प्रयोग के लिए निर्यातित परिशोधित

---

* "बल्क लीटर" (बी0 एल0) का अर्थ है कि विषय वस्तु की मात्रा अथवा बल्क के सन्दर्भ में लीटर

** "अल्कोहलिक लीटर" (ए0 एल0) का अर्थ है कि स्प्रिट में अल्कोहलिक मात्रा के संदर्भ में लीटर

स्प्रिट पर निर्यात पास फीस की प्रभावी दर 6 रुपए प्रति बल्क लीटर के स्थान पर विदेशी मदिरा पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दर 4 रुपए प्रति अल्कोहल लीटर की दर से आरोपित एवं वसूली की गयी । निर्यात पास फीस के स्थान पर निर्यात शुल्क की गलत वसूली किए जाने के कारण 1.41 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

मामला विभाग एवं सरकार को सितम्बर 1993 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

3.5 अनुज्ञापन शुल्क की अधिक वापसी

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 व उसके अन्तर्गत बने नियमों (समय समय पर यथा संशोधित) के अनतर्गत जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि जनपद में लोक शान्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी दुकान को किसी भी समय अथवा किसी अवधि के लिए जैसा कि उचित समझे, बन्द करने का आदेश दे सकता है । ऐसे मामलों में दुकानों को बन्द करने के लिए अनुज्ञापी को मूल रुप से आबकारी में जमा की गयी अनुज्ञापन शुल्क की राशि को वापस कर क्षति पूर्ति की जा सकती है । शासन के आदेश दिनांक 23 फरवरी 1989 में इस उद्देश्य से एक दिन के अनुज्ञापन शुल्क के आंगणन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जब दुकान को पूरे दिन बन्द किए जाने का आदेश हो ।

(i) जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (सितम्बर 1992) कि शहर ग्रुप की देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकाने कर्फ्यू के कारण 2 नवम्बर 1990 से 4 नवम्बर 1990 तक पूर्ण रुप से बंद रही एवं 5 नवम्बर 1990 से 14 नवम्बर 1990 तक प्रत्येक दिन आंशिक रुप से भिन्न भिन्न अवधि में न्यूनतम दो घंटे से लेकर अधिकतम साढ़े सात घंटे तक बंद रही । क्षति पूर्ति हेतु दुकानों के बंद होने के दिनों की गणना करते समय दिनांक 2 नवम्बर 1990 से 4 नवम्बर 1990 तक के दिनों की पूर्ण दिवस बंद होने एव 5 नवम्बर 1990 से 14 नवम्बर 1990 तक आंशिक रुप से बंद(13 एवं 14 नवम्बर की बंदी छोड़कर) 73.5 घंटों को 6 दिनों में परिवर्तित कर दिया गया (प्रत्येक दुकान के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक) । 6 दिनों के अनुज्ञापन शुल्क 4.61 लाख रुपए की वापसी का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया गया जिसे आबकारी आयुक्त के आदेश से माह फरवरी 1992 में भुगतान किया गया । क्षतिपूर्ति के आगणन हेतु घंटों को दिनों में परिवर्तित किए जाने हेतु अधिनियम/नियमों/आदेशों में कोई प्रावधान नहीं है । शासनादेश दिनांक 23 फरवरी 1989 के अनुसार क्षतिपूर्ति का आगणन पूरे दिन के लिए किया जाना चाहिए, जब दुकान पूरे दिन बंद रही हो, न कि आंशिक बंदी हेतु । इस प्रकार, अनुज्ञापन शुल्क वापसी के आगणन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने से आंशिक रुप से बंदी की अवधि में 3 दिन की अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि 2.31 लाख रुपए की अधिक वापसी की गई ।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 1992 में एवं पुनः फरवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

(ii) जिला आबकारी अधिकारी रामपुर, के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (जुलाई 1992) कि शहर ग्रुप की देशी मदिरा की 9 दुकाने एवं विदेशी मदिरा की 4 दुकाने कर्फ्यू के कारण 29 अक्टूबर 1990 से 31 अक्टूबर 1990 तक एवं 2 नवम्बर 1990 को पूर्णत: बन्द रही तथा 3 नवम्बर 1990 से 17 नवम्बर 1990 तक प्रतिदिन विभिन्न अवधियों में 2 घंटे से लेकर 9 घंटे तक आंशिक रुप से बन्द रही । दुकानों के बन्द होनें की अवधि हेतु क्षतिपूर्ति की गणना करते समय प्रतिदिन के अनुज्ञापन शुल्क को प्रति घंटे में परिवर्तित कर दिया गया (दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक) 121 घंटे के अनुज्ञापन शुल्क 2,99,717 रुपए की वापसी का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा जुलाई 1991 में किया गया जिसे आबकारी आयुक्त के आदेश से भुगतान किया गया। क्षतिपूर्ति के आगणन हेतु अनुज्ञापन शुल्क को घंटों में परिवर्तित किए जाने हेतु अधिनियम / नियमों/ आदेशों में कोई प्रावधान नही है । शासनादेश दिनांक 23 फरवरी 1989 के अनुसार क्षति पूर्ति का आगणन पूरे दिन के लिए किया जाना चाहिए जब दुकान पूरे दिन बन्द रही हो न कि आंशिक बन्दी हेतु । इस प्रकार अनुज्ञापन शुल्क वापसी के आगणन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने से आंशिक रुप से बन्दी की अवधि में 73 घंटे (6 दिन एवं 1 घंटा) के अनुज्ञापन शुल्क की राशि 1.81 लाख रुपए की अधिक वाप्सी की गयी ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 1993 एवं पुन: शासन को जून 1994 में प्रतिवेदित किया गया था: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

3.6 अतिरिक्त अभिकर की वसूली न करना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन निर्मित तथा अप्रैल 1991 से यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत यदि कोई लाइसेंसधारी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मादक वस्तु उठाना एवं बिक्री करना चाहे, तो उसे ऐसी मादक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की बिक्री हेतु विशेषाधिकार दिए जाने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दर से अतिरिक्त प्रतिफल के रुप में और धनराशि का भुगतान करना होगा ।

जिला आबकारी कार्यालय इलाहाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (दिसम्बर 1993) कि माह मई 1993 में दो अनुज्ञापियों द्वारा 7132 बल्क लीटर देशी शराब न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक उठाई और बेचीं गई। अत: अनुज्ञापी देशी शराब के अधिक उठान एवं बिक्री हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित 11 रुपए प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त प्रतिभूत के रुप में 78452 रुपए और भुगतान के दायी थे किन्तु इसे वसूल नही किया गया ।

मामला विभाग एवं शासन को मार्च/अप्रैल 1994 में प्रतिवेदित किया गया था: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

3.7 विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अन्तर्गत जैसा कि उसे 29 मार्च 1985 से संशोधित किया

गया है, जहां किसी आवकारी राजस्व की अदायगी, देय तिथि से तीन माह के भीतर जमा नही की जाती , वहां उस पर उस तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। उस आबकारी राजस्व के संबंध में जो अधिनियम में किए गए संशोधन की तारीख से पूर्व देय हो गया था और संशोधन की तारीख से तीन माह के अन्दर अदा नही किया गया , ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 29 मार्च 1985 से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

5 जिला आबकारी कार्यालयों बरेली, मुरादाबाद, बहराइच, उन्नाव तथा फतेहपुर) तथा नारंग आसवनी, गोण्डा की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1993 से जनवरी 1994 तक के दौरान) कि अधिनियम की शुरुआत के बाद देय 6.37 लाख रुपए का आबकारी राजस्व 29 मार्च 1985 से गणना करने पर अपनी देय तिथि से 8 से 96 महीनों के विलम्ब से अदा किया गया । इस प्रकार आबकारी राजस्व के इन विलम्बित भुगतानों पर 6.43 लाख रुपए की धनराशि का ब्याज आरोपणीय था, जिसे निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार आरोपित और वसूल नही किया गया :-

क्रम संख्या	जिला आवकारी कार्यालय/आसवनी का नाम	देय आवकारी राजस्व (लाख रुपए में)	विलम्ब की अवधि (महीनो में)	ब्याज जो आरोपित/वसूल नही हुआ (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बरेली	0.93	88 से 94	1.25
2.	मुरादाबाद	0.25	84	0.32
3.	बहराइच	0.74	82 से 96	1.03
4.	नारंग आसवनी (गोण्डा)	1.90	8 से 31	1.06
5.	उन्नाव	1.22	90	1.66
6.	फतेहपुर	1.33	47 से 58	1.11
	योग	6.37		6.43

मामलों की सूचना विभाग/सरकार को सितम्बर 1993 और मार्च 1994 तथा पुनः दिसम्बर 1993 और अगस्त 1994 के मध्य दी गयी थीः उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

अध्याय - 4

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 1993-94 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जांच से 239 मामलों में , जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियां में आते हैं, 118.26 लाख रुपए की धनराशि के करो/शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना उद्घाटित हुआ :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	यात्री-कर/अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना या न लगाया जाना	91	83.72
2.	मार्ग-कर का अवनिर्धारण	49	14.85
3.	माल-कर का कम लगाया जाना	10	2.71
4.	एक मुश्त यात्रीकर का गलत संगणन	8	2.02
5.	अन्य अनियमिततायें	81	14.96
	योग	**239**	**118.26**

वर्ष 1993-94 के दौरान विभाग ने 65 मामलों में निहित 30.85 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया । इनमें से 0.73 लाख रुपए से संबंधित 4 मामले वर्ष 1993-94 की लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्व के वर्षों में । 23.51 लाख रुपए से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ एक निदर्शी मामलों को उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिया जा रहा है ।

4.2 सरकारी अधिसूचना के प्रसारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली 1962 के अधीन एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत ओमनी बस, जिसका प्रयोग ठेकागाड़ी में हो रहा है, तथा अन्तर्राज्यीय मार्ग, जिसका आंशिक भाग (उत्तर प्रदेश) में पड़ता है, पर अन्य राज्य के प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञापत्र पर संचालित है, के सम्बन्ध में

यात्रीकर का निर्धारण शासन द्वारा समय -समय पर निर्धारित दरों पर राज्य में की गई यात्रा के दिनों के आधार पर किया जाता है ।

राज्य सरकार ने 2 सितम्बर 1992 को जारी की गयी अपनी अधिसूचना द्वारा साधारण, डीलक्स तथा वातानुकूलित वाहनों के सम्बन्ध में एक मुश्त यात्रीकर की दरें 160 रुपए, 200 रुपए तथा 232 रुपए से बढ़ाकर क्रमशः 240, 300 तथा 348 रुपए प्रति वाहन प्रतिदिन कर दिया था ।

सैंया (आगरा), मोहन नगर (गाजियाबाद) तथा नौबतपुर(वाराणसी) स्थित तीन परिवहन जांच चौकियों की लेखापरीक्षा (जुलाई/अगस्त 1993) के दौरान देखा गया कि 2 सितम्बर 1992 को जारी अधिसूचना 127 से 161 दिनों के विलम्ब के पश्चात उपरोक्त जांच चौकियों पर प्राप्त होना बताया गया। इसके परिणामस्वरुप इन जांच चौकियों से होकर जाने वाले 2479 वाहनों के संबंध में एक मुश्त यात्रीकर की वसूली पुरानी दरों पर की जाती रही फलतः 7.52 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

मामला विभाग एवं शासन को अगस्त और अक्टूबर 1993 के मध्य में तथा पुनः दिसम्बर 1993 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995)।

4.3 प्रक्रम वाहन पर यात्री कर का न लगाया जाना

उ0 प्र0 मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत यात्रीकर (1 मई, 1979 से) प्रक्रम वाहन के संचालन को देय किराये के 16 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है ।

उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बुलन्दशहर की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1993) कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, मेरठ ने अप्रैल 1991 में बुलन्दशहर - जहांगीराबाद -दौलतपुर - अहर मार्ग पर एक प्रक्रम वाहन के संचालन हेतु अनुज्ञापत्र (6 अप्रैल 1991 से 5 अप्रैल 1996 की अवधि की वैधता के साथ) निर्गत किया था । परंतु विभाग संचालक पर कर लगाने तथा उसे वसूल करने में असफल रहा । इसके परिणाम स्वरुप 6 अप्रैल 1991 से 30 सितम्बर 1993 की अवधि के दौरान 85,827 रुपए की राजस्व क्षति हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

4.4 न्यूनतम किराये का न अपनाया जाना

दिनांक 10 जून 1992 की एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण/संम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को किराये की न्यूनतम दर 14.90, 16.30, तथा 19.00 पैसे प्रति

यात्री प्रति किलोमीटर क्रमशः स्पेशल एवं "ए" श्रेणी, "बी" श्रेणी तथा "सी" श्रेणी मार्गों पर संचालित प्रक्रम वाहनों के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया था ।

गाजियाबाद तथा गोरखपुर संभागों एवं देवरिया उप संभाग की लेखा परीक्षा के दौरान (जुलाई 1993 तथा अक्टूबर 1993 के मध्य) यह देखा गया कि छः मार्गों (गाजियाबाद में -1 गोरखपुर में -2 तथा देवरिया में - 3) के संबंध में न्यूनतम किराये की दरें नहीं लागू की गयी तथा यात्री-कर संशोधन पूर्व की दरों पर अथवा शासन द्वारा निर्धारित दरों से कम दर पर वसूला जाता रहा। परिणामतः जून 1992 से सितम्बर 1992 की अवधि में 1.49 लाख रुपए की यात्री-कर की हानि हुयी ।

प्रकरण नवम्बर 1993 तथा जनवरी 1994 बीच तथा पुनः फरवरी 1994 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित हुआ । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)

4.5 पंजीयन चिन्ह आवंटित न करने के कारण राजस्व हानि

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अन्तर्गत जब कोई मोटर यान, जो एक राज्य में पंजीकृत है, किसी अन्य राज्य में 12 माह से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है तब यान के स्वामी से अपेक्षित है कि वह नवीन पंजीकरण चिन्ह के समनुदेशन (असाइनमेन्ट) के लिए पंजीयन अधिकारी जिनके अधिकार क्षेत्र में वाहन है, को निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र दे । वाहन स्वामी द्वारा ऐसा करने में असफल रहने पर पंजीयन अधिकारी वाहन स्वामी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है

सम्भागीय परिवहन कार्यालय वाराणसी की लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 1993) कि अप्रैल 1990 और मार्च 1992 की अवधि के मध्य अन्य राज्यों के 363 भारी वाहन (69 यात्री वाहन तथा 294 माल वाहन) अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उत्तर प्रदेश में आये जिनका पंजीयन वाराणसी सम्भाग में किया गया । ऐसे वाहनों से अनवरत मार्ग-कर निर्धारित करके वसूला जा रहा था । यद्यपि वाहनों का संचालन राज्य में 12 माह से अधिक समय से हो रहा था, परंतु न तो उन वाहनों को उत्तर प्रदेश का पंजीकरण चिन्ह आवंटित किया गया और न ही इन वाहनों के किसी स्वामी द्वारा इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया । इसके परिणाम स्वरूप 1.09 लाख रुपए (निर्धारित समुदेशन फीस 300 रुपए प्रति वाहन के आधार पर आगणित) राजस्व की कम वसूली हुई।

लेखा परीक्षा (जून 1993) में इसके इंगित किए जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी ने बताया (फरवरी, 1994) कि 32 वाहनों के संबंध में उत्तर प्रदेश का पंजीकरण चिन्ह आवंटित किया जा चुका है तथा प्रवर्तन अधिकारियों को शेष वाहनों की सूची सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दे दी गयी है । इस संबंध में आगे की आख्या प्राप्त नहीं हुयी ।

मामला विभाग एवं शासन को क्रमशः नवम्बर 1993 में तथा पुनः फरवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

4.6 यात्रीकर का निर्धारण से छूट जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी प्रक्रम वाहन द्वारा ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री पर निर्धारित दर से कर आरोपित किया जाता है । महानगरीय सिटी बस सेवा के सम्बन्ध में अक्टूबर 1992 में लिए गए निर्णय के अनुसार मिनी बसों से यात्रीकर 1400 रुपए प्रति माह और बड़ी बसों से 2000 रुपए प्रति माह वसूला जाना अपेक्षित है । यदि किसी कारणवश उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी माह के सम्बन्ध में आरोपणीय कर अथवा उसका कोई अंश कर निर्धारण से छूट गया हो तो कर अधिकारी उस माह की समाप्ति से तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय छूटे हुए कर का निर्धारण कर सकता है ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय वाराणसी तथा गाजियाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून/जुलाई 1993) कि 20 प्रक्रम वाहनों (वाराणसी सम्भाग में 8 तथा गाजियाबाद सम्भाग में 12) को महानगरीय सिटी बस सेवा में संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई । दिसम्बर 1992 से जुलाई 1993 की अवधि में इन वाहनों से देय यात्रीकर निर्धारित एवं वसूल किए जाने से रह गया । फलस्वरूप 79,537 रुपए का यात्रीकर निर्धारित एवं वसूली होने से छूट गया ।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 1993 में तथा पुन: जनवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

4.7 (क) शुद्ध किराये की गलत गणना किये जाने से यात्रीकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के अंतर्गत, राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्रीकर उस दर से आरोपणीय है जो किसी प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किए गये अथवा अदा किए जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत के बराबर हो । इसके अतिरिक्त दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को बीमा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रम वाहन में ले जाये जा रहे प्रत्येक यात्री से यात्री कर के 5 प्रतिशत की दर से अधिकर की वसूली भी की जाती है । यात्रीकर तथा अधिकर को निकटतम पचास पैसे में पूर्णांकित किया जाता है ।

लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 1991 तथा सितम्बर 1991) कि उप-सम्भाग देवरिया के दो मार्गों एवं गाजीपुर के एक मार्ग पर किराये को पचास पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांक न किए जाने के फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 और 8 फरवरी 1991 के मध्य विभिन्न अवधियों में 57712.90 रुपए यात्रीकर कम आरोपित किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देवरिया ने 3208 रुपए वसूल कर लिया था (नवम्बर 1993) । शेष धनराशि की वसूली हेतु सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

मामले विभाग एवं शासन को अप्रैल 1991 और दिसम्बर 1991 के मध्य तथा पुनः दिसम्बर 1993 में प्रतिवेदित किये गये: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

4.7 (ख) बढ़े हुए किराये पर यात्रीकर की गणना न करने से हानि

उ0 प्र0 मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत, समय समय पर जारी अधिसूचना द्वारा यात्रियों द्वारा देय किराये के निर्धारित प्रतिशत पर यात्रीकर आरोपित होता है। किराये में किसी प्रकार की वृद्धि से यात्रीकर के आरोपण में वृद्धि होती है। 29 सितम्बर 1992 की एक अधिसूचना द्वारा सरकार ने अधिकतम किरायों की दर 4.20 रुपए से बढ़ाकर 8.40 रुपए प्रति कीलोमीटर अथवा उसके आंशिक भाग के लिए 41 या उससे कम सीट की ठेकागाड़ी के संबंध में, निर्धारित कर दिया। यात्रियों द्वारा देय किराये के 16 प्रतिशत की दर पर यात्रीकर आरोपणीय है।

उप संभागीय परिवहन कार्यालय सुल्तानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1993) कि 6 मिनी बसों (प्रत्येक में बैठने की क्षमता 21 यात्रीयों की) के संबंध में जो ठेकागाड़ी परमिट से आच्छादित थी, 29 सितम्बर 1992 और 26 दिसम्बर 1992 के बीच विभिन्न अवधियों में यात्रीकर बढ़े हुए किरायों पर नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरुप उपरोक्त अवधि में 42230 रुपए का यात्रीकर कम वसूल हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को अक्टूबर 1993 और पुनः मार्च 1994 में प्रतिवेदित किया गया: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (जनवरी 1995)।

4.7 (ग) विना अनुज्ञापत्र के संचालित वाहनों पर यात्रीकर का न लगाया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर गाड़ी का कोई वाहन स्वामी, अधिनियम के तहत गाड़ी का पंजीयन कराये बिना तथा क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान के पश्चात जारी परमिट के बिना किसी सार्वजनिक स्थान या अन्य किसी स्थान पर यात्रियों या माल को ले जाने के लिए, न प्रयोग करेगा और न तो प्रयोग करने की अनुमति देगा। पुनः उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत, राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्रीकर उस दर से आरोपणीय है जो किसी प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किए गए अथवा अदा किए जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत के बराबर हो। इसके अतिरिक्त दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को बीमा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रम वाहन में ले जाये जा रहे प्रत्येक यात्री से यात्री कर के 5 प्रतिशत की दर से अधिकर की वसूली भी की जाती है।

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गाजीपुर की लेखापरीक्षा (सितम्बर 1991) के दौरान देखा गया कि 15 मिनी बसें जनवरी 1991 से अप्रैल 1991 के दौरान विभिन्न अवधियों में बिना अनुज्ञापत्रों के परिचालित थी और किरायो पर यात्रियों को ले जाती थी। लेकिन विभाग द्वारा यात्रीकर का निर्धारण उन महीनों का भी नही किया गया था जिनमें वाहन बिना अनुज्ञापत्र के संचालित पाये गये थे। इसके फलस्वरूप जनवरी 1991

और अप्रैल 1991 के मध्य विभिन्न अवधियों में 39690 रुपए यात्रीकर की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1991) में इसके इंगित किये जाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) गाजीपुर ने आपत्ति स्वीकार की और बताया (फरवरी 1994) कि 6 मिनी बसों से 15,876 रुपए वसूल किये जा चुके थे शेष 9 मिनी बसों से संबंधित धनराशि वसूल होने की अंतिम सूचना प्राप्त नही हुई है (जनवरी 1995) ।

मामला विभाग / शासन को दिसम्बर 1991 में तथा पुनः अप्रैल 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (जनवरी 1995) ।

4.7 (घ) फेरो की कम संख्या के आधार पर गणना करने के कारण यात्रीकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मार्ग पर चलने वाली प्रक्रम वाहन के संबंध में देय एक मुश्त यात्री-कर अन्य बातो के साथ साथ, किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मार्ग पर प्रक्रम वाहन द्वारा लगाये जाने वाले एक तरफा फेरो की स्वीकृत संख्या अथवा प्रत्याशित संख्या पर निर्भर करता है । पुनः अधिशासी निर्देशों के अंतर्गत इन मार्गो पर संचालित वाहनो के फेरों की कुल संख्या का सत्यापन करने हेतु विभाग द्वारा मार्गो का नियतकालीन सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित हैं ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, फैजाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1993) कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) फैजाबाद की जुलाई 1993 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के बावजूद कि फैजाबाद-जलालपुर मार्ग पर 20 जुलाई 1993 से वाहन प्रतिदिन 16 फेरे (8 जाना + 8 आना) लगा रहे थे, मार्ग पर संचालित वाहनों के संबंध में एक मुश्त देय यात्रीकर की संगणना प्रतिदिन 8 फेरों (4 जाना+ 4 आना) के आधार पर जारी रही । इसके परिणाम स्वरुप 20 जुलाई 1993 से 19 दिसम्बर 1993 के मध्य 1.02 लाख रुपए का यात्रीकर कम आरोपित हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को मार्च 1994 तथा पुनः अप्रैल 1994 मे प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

4.7 (ड़) यात्रीकर का कम निर्धारण

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अंतर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रक्रम वाहन को अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय, जिस मार्ग हेतु अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाता है उस मार्ग पर वाहन द्वारा किये जाने वाले दैनिक फेरों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या सम्बन्धी शर्त जोड़ सकता है । अनुज्ञापत्र की शर्तों मे किसी प्रकार के परिवर्तन के लिये सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है ।

संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1993) कि

देहरादून- रायपुर - मालदेवता मार्ग पर 10 वाहनों के संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन 60 फेरे (देहरादून - रायपुर 54, देहरादून - मालदेवता 6) माह अगस्त 1978 में अनुमोदित किए गए थे । नवम्बर 1990 और सितम्बर 1992 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए मार्ग पर संचालित वाहनों की संख्या घट कर 5 हो गई । परिणामतः वाहन स्वामियों की प्रार्थना पर यात्रीकर के निर्धारण के लिए फेरो की संख्या घट कर 44 (देहरादून - रायपुर 38 एवं देहरादून - मालदेवता 6) कर दी गई । कर निर्धारण अधिकारी ने संभागीय परिवहन अधिकारी के बिना अनुमोदन के फेरों की संख्या को कम कर दिया । तत्पश्चात् मार्ग पर संचालित अक्टूबर 1992 से वाहनों की संख्या बढ़ा कर 9 से 11 कर दी गई, परंतु फेरों की संख्या को पुनरीक्षित नहीं किया गया । इसके फलस्वरुप अक्टूबर 1992 से अप्रैल 1993 के दौरान 36,404 रुपए का यात्रीकर कम आरोपित हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 1993 में तथा पुनः फरवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

4.7 (च) एक मुश्त यात्रीकर की गलत संगणना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) नियमावली 1962 के अन्तर्गत एक मुश्त अनुबन्ध के अधीन यात्रीकर का निर्धारण अन्य बातों के साथ साथ सम्पूर्ण मार्ग हेतु देय कुल किराया एवं प्रक्रम वाहन द्वारा जिस अवधि के लिये अनुबन्ध निष्पादित किया गया है उस अवधि के दौरान किये जाने वाले एक-तरफा फेरों की संख्या अथवा उनकी प्रत्याशित संख्या पर निर्भर करता है । परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 19 जून 1985 में सभी संबंध रखने वालों को, संपूर्ण राज्य में एक माह में 30 दिन के आधार पर यात्रीकर की परिगणना किए जाने के, निर्देश जारी किए है ।

संभागीय परिवहन कार्यालय , गोरखपुर की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अक्टूबर 1993) किं, 5 सितम्बर 1992 से 3 नवम्बर 1992 के मध्य सहजनवां - रुधौलीली मार्ग पर संचालित 10 प्रक्रम वाहनों के संबंध में एक मुश्त अनुबंध के अंतर्गत 8.50 रुपए के निर्धारित न्यूनतम किराये के आधार पर यात्रीकर का संगणन नहीं किया गया । 4 नवम्बर 1992 से 13 मई 1993 की अवधि में संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा स्वीकृत 60 एकल फेरे प्रतिमाह के स्थान पर 52 फेरे प्रतिमाह के आधार पर यात्रीकर संगणित नहीं किया गया । इसके फलस्वरुप 5 सितम्बर 1992 से 13 मई 1993 की अवधि हेतु 62,250 रुपए का यात्रीकर कम आरोपित किया गया।

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया तथा फरवरी 1994 में अनुस्मारक भेजा गया ; उनके उत्तर प्राप्त नही हुये है (जनवरी 1995) ।

4.8 शासन द्वारा मेला एवं अन्य विशेष प्रयोजनों हेतु निर्धारित न्यूनतम किराये का न अपनाया जाना

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत राज्य सरकार, समय समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकारी को प्रक्रम वाहनों के लिए किराये की (अधिकतम एवं न्यूनतम) दरें निर्धारित करने के निर्देश जारी कर सकती है । 9 जुलाई 1987 को जारी की गयी एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकारी को मेला तथा अन्य विशेष प्रयोजनों में संचालित प्रक्रम वाहनों के संबंध में किराये की न्यूनतम दर 12.73 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित करने के निर्देश जारी किये थे ।

इलाहाबाद सम्भाग की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 1990) कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकारण ने 3 फरवरी 1989 और 11 फरवरी 1989 के दौरान 2 दिनों से 9 दिनों की वैद्यता के साथ प्रक्रम वाहनों को 84 मेला परमिट (इलाहाबाद से वाराणसी 24 परमिट तथा इलाहाबाद से चित्रकूट 60 परमिट) जारी किए । ये अनुज्ञापत्र मेला यात्रियों को इलाहाबाद से वाराणसी / चित्रकूट ले जाने / वापस लाने के लिए निर्गत किये गये थे । वाहन जिन्हे मेला प्रयोजन हेतु अनुज्ञापत्र निर्गत किये गये थे, से यात्रीकर , 200 रुपए (2 दिन तक वैद्यता वाले परमिट से) तथा 500 रुपए (2 दिनों से अधिक वैधता वाले परमिट पर) निर्धारित न्यूनतम किराये के स्थान पर प्रतिदिन प्रति वाहन न्यूनतम एक वापसी फेरे के आधार पर संगणित किया गया । परिणाम स्वरूप 3 फरवरी 1989 से 11 फरवरी 1989 तक की अवधि के दौरान 1.71 लाख रुपए का यात्रीकर कम आरोपित किया गया

लेखा परीक्षा (फरवरी 1990) में इसे इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी इलाहाबाद ने बताया (जून 1993) कि 12 वाहनों से कर के अन्तर की वसूली की जा चुकी थी और शेष 72 वाहनों से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1995)।

यह मामला विभाग एवं शासन को अप्रैल 1990 में तथा पुन: नवम्बर 1993 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

4.9 फिटनेस प्रमाण पत्र का अनियमित रूप से जारी किया जाना

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 तथा उसके अधीन गठित केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियमावली 1989 के अन्तर्गत प्रावधान है कि किसी भी वाहन का पंजीकरण तब तक वैद्य नही माना जायेगा जब तक कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र परिवहन विभाग द्वारा या अधिकृत जांच स्टेशन द्वारा, वाहन स्वामी द्वारा कर अदायगी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, निर्गत न कर दिया गया हो ।

उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रायबरेली की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अप्रैल 1993) कि एक प्रक्रम वाहन पर 1 अप्रैल 1987 से 22 फरवरी 1991 की अवधि के दौरान यात्रीकर 62433 रुपए का

भुगतान अवशेष रहने पर भी विभाग ने दिनांक 22 अगस्त 1989 और 22 फरवरी 1991 को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया था । उक्त यात्रीकर की धनराशि की वसूली लम्बित होने पर भी राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वाहन को दिनांक 5 मार्च 1991 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए ठेका वाहन परमिट जारी कर दिया गया । इसके परिणाम स्वरुप न केवल वाहन स्वामी के हक में 62433 रुपए के राजस्व का बकाया पड़ा अपितु बकाएदार को परमिट भी अनियमित रुप से जारी किया गया ।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 1993 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

4.10 ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए परमिट फीस वसूल न किया जाना

मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत मोटर वाहन का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा अन्य स्थान पर यात्री या माल ले जाने के उद्देश्य से वाहन का न तो प्रयोग करेगा न ही प्रयोग करने की अनुमति देगा, जब तक कि अधिनियम के अनुसार वाहन पंजीकृत न किया गया हो और निर्धारित फीस के भुगतान पर किसी सम्भागीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए परमिट से आच्छादित न हो । अधिनियम में 3000 किलो ग्राम से अनधिक वाहन के सकल भार वाले (ग्रास व्हेकिलवेट) माल वाहन को परमिट प्राप्त करने से छूट दिए जाने का प्रावधान है ।

लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अक्टूबर 1993) कि देवरिया उप-सम्भाग में वर्ष 1992-93 के मध्य 3000 किलोग्राम से अधिक सकल वाहन भार वाले 22 ट्रैक्टर ट्रेलर (माल वाहन) पंजीकृत किये गये थे । इन ट्रेलर के स्वामियों को बिना परमिट प्राप्त किए ट्रैक्टर ट्रेलरों के चलाये जाने के लिए अनुमति दे दी गई, यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे ट्रेलरों को परमिट प्राप्त करने से छूट नही थी । इसके फलस्वरुप 44000 रुपए (चार महीनों की सीमित अवधि के लिए अस्थाई परमिट के लिये वसूली योग्य फीस के आधार पर आगणित) मार्च 1992 और मार्च 1993 के मध्य विभिन्न अवधियों में, की परमिट फीस वसूल किये जाने से रह गयी ।

मामले को विभाग एवं शासन को जनवरी 1994 में तथा पुनः फरवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995) ।

4.11 (क) मार्गकर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना

(i) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत, किसी भी मोटर वाहन का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नही किया जा सकता जब तक कि उसके स्वामी ने अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट उपयुक्त दर पर मार्ग-कर का भुगतान न कर दिया हो । उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1935 के नियम 33 के अन्तर्गत, जब किसी मोटर वाहन के स्वामी को अपने वाहन का तीन महीने, से अधिक की अवधि के लिये अपनी मोटर गाड़ी का उपयोग न करना हो तो वाहन के संबंध में जारी किया

गया, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा टैक्स टोकन कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर देना चाहिये ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अलीगढ़ की लेखा परीक्षा में देखा गया (मार्च 1993) कि चार प्रक्रम वाहनों के संबंध में जनवरी 1989 और मार्च 1993 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु मार्ग-कर निर्धारित और वसूल नही किये गये । इन वाहनों के उक्त अवधि में पंजीयन प्रमाण पत्र तथा टैक्स टोकन वाहन स्वामियों द्वारा अभ्यर्पित नही किये गये थे अतः उपरोक्त अवधि में पथ कर की धनराशि 51449 रुपए देय थी ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 1993) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़ ने बताया (मार्च 1994) कि आपत्ति में इंगित धनराशि को जमा करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, अलीगढ़ को पत्र भेजा गया है । धनराशि वसूली हेतु रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

मामला विभाग एवं शासन को जुलाई 1993 तथा पुनः अप्रैल 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995) ।

(ii) उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत किसी भी वाहन का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नही किया जा सकता, जब तक कि उसके स्वामी ने अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर मार्गकर का भुगतान न कर दिया हो । किसी मोटर वाहन के संबंध में देय मार्गकर अन्य बातों के साथ साथ मार्ग की श्रेणी पर अर्थात "स्पेशल" "ए" "बी" अथवा "सी" श्रेणी जिसपर वह चलता है, निर्भर करता है । अनुज्ञापत्र के बिना चलने वाले वाहन उच्चतम श्रेणी के मार्ग पर लगने वाला कर अर्थात स्पेशल श्रेणी के लिए लागू मार्ग कर आकर्षित करता है ।

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उन्नाव की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (सितम्बर 1993) कि जुलाई 1987 और सितम्बर 1993 की विभिन्न अवधियों में 5 वाहन "स्पेशल" श्रेणी के मार्गों पर संचालित थे तथा अवधि अप्रैल 1991 से जून 1993 में बिना अनुज्ञापत्र के एक वाहन मार्ग पर संचालित था । इन वाहनों पर उच्चतम श्रेणी(स्पेशल श्रेणी) के लिए लागू मार्गकर आरोपणीय था, किन्तु मार्गकर या तो निर्धारित और वसूल नही किया गया था अथवा निम्नतर श्रेणी के मार्गों के लिए लागू दरों पर निर्धारित और वसूल किया गया । फलस्वरुप जुलाई 1987 और सितम्बर 1993 के मध्य विभिन्न अवधियों हेतु 36781 रुपए का मार्गकर निर्धारित नही किया गया या कम निर्धारित किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 1993) विभाग ने कर की वसूली हेतु मांग पत्र भेजने की सहमति दी । कर वसूली के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 1993 में प्रतिवेदित किया गया तथा अनुवर्ती अनुस्मारक फरवरी 1994 में प्रेषित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995) ।

4.11 (ख) मार्गकर का कम लगाया जाना

राज्य सरकार की 24 जनवरी 1992 को जारी की गयी अधिसूचना के द्वारा परिवहन गाड़ियों से भिन्न अन्य समस्त वाहनों के संबंध में मार्गकर की दरें बढ़ा दी गई थी । तदन्तर 17 मार्च 1992 को जारी की गयी अपनी अधिसूचना (24 जनवरी 1992 से प्रभावी) द्वारा डीज़ल चालित वाहनों पर भी मार्गकर बढ़ा दिया गया ।

लेखा परीक्षा में देखा गया (फरवरी 1993 तथा मार्च 1993) कि 2 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (मैनपुरी एवं जौनपुर) में 60 वाहनों के संबंध में (अलीगढ़ में 6, मैनपुरी में 23 तथा जौनपुर में 31) एक मुश्त (वन टाइम) मार्गकर 24 जनवरी 1992 और 8 दिसम्बर 1992 के मध्य बढ़ी हुई दरों पर नही वसूला गया। इसके परिणामस्वरुप 2.14 लाख रुपए के मार्गकर की कम वसूली की गयी ।

मामले विभाग एवं शासन को जुलाई 1993 में तथा पुनः अक्टूबर 1993 में प्रतिवेदित किए गए; उनके उत्त्र प्राप्त नहीं हुये है (जनवरी 1995) ।

4.12 अनुबन्धित वाहनों पर यात्रीकर का कम लगाया जाना/न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनों पर (मोटर कैब को छोड़कर) एक मुश्त, अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्रीकर का निर्धारण अन्य बातों के साथ एक माह में देय किराया तथा यात्रा की अनुमानित दूरी पर निर्भर करता है । अस्थाई अनुज्ञापत्रों पर चल रहे अनुबन्धित वाहनों के संबंध में यात्रीकर की गणना करने के लिए वह किराया लिया जायेगा जो मोटर वाहन अधिनियम 1938 के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम दर के 75 प्रतिशत (85 प्रतिशत 2 सितम्बर 1992 से प्रभावी) से कम नही होगा तथा एक माह में की गयी यात्रा की अनुमानित दूरी 4000 किलोमीटर से कम नही होगी ।

(i) लेखा परीक्षा में देखा गया (जनवरी 1993) कि इलाहाबाद सम्भाग में निजी परिचालकों के 5 वाहन एक कम्पनी की सेवा में जनवरी 1992 से दिसम्बर 1992 की अवधि में अस्थाई अनुबन्ध वाहन परमिट पर कम्पनी के कर्मचारियों को फैक्टरी से उनके आवास के बीच लाने और ले जाने के लिए लगे थे । प्रत्येक बस द्वारा प्रति माह वास्तव में तय की गयी दूरी (किलोमीटर में) और प्रति किलोमीटर भुगतान की गयी धनराशि कम्पनी द्वारा सूचित नही की गयी थी । चूंकि ये वाहन अस्थाई अनुज्ञापत्र पर चल रहे थे अतः कम से कम 4000 किलोमीटर प्रति माह की दूरी हेतु और न्यूनतम किराये पर यात्रीकर क्रमश 2520 रुपए (2856 रुपए, 2 सितम्बर से 28 सितम्बर 1992 तक) तथा 5712 रुपए आगे की अवधि के लिए प्रति गाड़ी प्रति माह आता था किन्तु परिचालकों से यात्रीकर कम दर पर वसूला गया था । इसके फलस्वरुप जनवरी 1992 से दिसम्बर 1992 की विभिन्न अवधि के दौरान 62471 रुपए यात्रीकर कम वसूल हुये ।

इसके अतिरिक्त मार्च 1992 से दिसम्बर 1992 की विभिन्न अवधियों के मध्य उन्ही वाहनों को कतिपय निर्गत अस्थाई परमिटों पर यात्रीकर निर्धारित ही नही किया गया जिसके कारण 57624 रुपए यात्रीकर

संचालकों द्वारा न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गयी ।

मामला विभाग और शासन को जुलाई 1993 में तथा पुनः अक्टूबर 1993 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995) ।

(ii) मुजफ्फरनगर उप-सम्भाग की लेखा परीक्षा में देखा गया (फरवरी 1993) कि तीन वाहन जो राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ठेकाबस अनुज्ञापत्रों से आच्छादित थे, इस सम्भाग के अधिकार क्षेत्र में चल रहे थे । वाहन स्वामियों द्वारा ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में 17 फरवरी 1992 और 16 फरवरी 1993 के बीच विभिन्न अवधियों का न तो कर का भुगतान ही किया गया और न ही विभाग द्वारा उसकी मांग की गई । 4000 किलोमीटर प्रतिमाह की न्यूनतम दूरी और सरकार द्वारा निर्धारित किराये की दर के आधार पर देय कर 1.36 लाख रुपए बनता था ।

मामला विभाग और शासन को जुलाई 1993 तथा पुनः अक्टूबर 1993 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 1995) ।

स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान जिला निबन्धकों तथा उपनिबन्धकों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जाँच परीक्षण में 314 मामलों में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के 182.80 लाख रुपए कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का अवनिर्धारण	276	160.05
2.	गलत वर्गीकरण के कारण कम कराधान	20	6.30
3.	अन्य अनियमिततायें	18	16.45
	योग	314	182.80

वर्ष 1993-94 के दौरान संबंधित विभाग द्वारा 18 मामलों में 5.45 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया गया, जिनमें से 6 मामलों में से 3.91 लाख रुपए की धनराशि वर्ष 1993-94 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित की गई थी । उदाहरण स्वरुप कुछ मामले जिनमें 15.82 लाख रुपए की धनराशि सन्निहित है, निम्न प्रस्तरों में वर्णित है :

5.2 सम्पत्तियों के अवमूल्यन के फलस्वरुप स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का अवनिर्धारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है । उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 1942 के अनुसार किसी एक जिले में स्थित विभिन्न वर्गों की भूमि की बाजार दरें निबन्धन प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है।

जिला निबंन्धक, नैनीताल तथा उप-निबंधक- प्रथम, मेरठ के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1993 एवं जुलाई 1993) कि कृषि भूखण्ड के विक्रय सम्बन्धी 3 हस्तान्तरण विलेख 8.06 लाख रुपए में निबन्धित किये गये जबकि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भूखण्डों का मूल्यांकन 22.58 लाख रुपए होता था । निम्न दर अपनाने के परिणामस्वरुप 1.90 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ । विवरण नीचे तालिका में दिये गये है ।

क्रम संख्यां	पंजीकरण कार्यालय का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर पर मूल्यांकन	विलेख में प्रदर्शित मूल्यांकन	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
			(लाख	रुपए	में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला निबंधक नैनिताल	कृषि भूमि	4.58	1.96	0.33
2.(i)	उप निबंधक प्रथम, मेरठ	-तदैव-	8.43	4.00	0.64
(ii)	-तदैव-	-तदैव-	9.57	2.10	0.93
	योग		22.58	8.06	1.90

मामले विभाय एवं शासन को अप्रैल 1994 में प्रतिवेदित किये गये थे और जून 1994 में अनुस्मारक भेजे गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

5.3 कृषि इतर भूमि का अवमूल्यन के परिणामस्वरुप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्मित उत्तर प्रदेश मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे कृषि इतर भूखण्ड जो किसी नगर क्षेत्र, नगर पालिका या नगर महा पालिका की नगर सीमा के अन्तर्गत आते है के स्थानान्तरण से संबंधित हस्तान्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में निर्धारित, विलेख के निष्पादन की तिथि को, उस क्षेत्र में प्रचलित औसत मूल्य प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आरोपणीय होता है ।

11 उप-निबंधक कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान (मई 1992 से अगस्त 1993 के मध्य) यह देखा गया कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से भूमि का मूल्यांकन न करने के कारण निम्न विवरण के अनुसार 13.90 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क कम लगाए गए :

क्रम संख्या	निबन्धन कार्यालय का नाम	सम्पत्ति का प्रकार कृषि एवं कृषि इतर	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तथा बाजर दर पर मूल्यांकन	विलेख में प्रदर्शित मूल्य	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
			(लाख	रुपए	में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उप निबंधक-द्वितीय बरेली	कृषि इतर भूमि	2.85 लाख रुपए (1896.7 वर्ग मीटर x 150 रुपए)	0.30	0.37
2. (i)	उप निबंधक फरीदपुर (बरेली)	-तदैव-	19.06 लाख रुपए (1770.3 वर्ग मीटर x 1076.55 रुपए)	0.10	2.37
(ii)	-तदैव-	आवासीय भूमि	2.57 लाख रुपए (716.28 वर्ग मीटर x 385.85 रुपए)	0.10	0.31
(iii)	-तैदव-	-तदैव-	7.33 लाख रुपए (1750 वर्ग मीटर X 418.66 रुपए)	0.27	0.88
(iv)	-तैदव-	-तदैव-	4.92 लाख रुपए (1643.78 वर्गमीटर X 980 रुपए)	0.11	0.60
3.	उप निबंधक नजीबाबाद (बिजनौर)	-तदैव-	3.19 लाख रुपए (1680 वर्गमीटर x 190 रुपए)	0.27	0.37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	उप निबंधक चन्दौली (वाराणसी)	कृषि इतर भूमि	9.04 लाख रुपए (6028.54 वर्ग मीटर x 150 रुपए)	0.67	1.05
5.	उप निबंधक प्रथम इलाहाबाद	आवासीय भूमि	3.65 लाख रुपए (663.86 वर्ग मीटर x 550 रुपए)	0.30	0.49
6.	उप निबंधक प्रथम वाराणसी	कृषि इतर भूमि	9.29 लाख रुपए (3913 वर्ग मीटर x 237.50 रुपए)	6.50	0.41
7.	उप निबंधक मंसूरी देहरादून	-तदैव-	40.45 लाख रुपए (20230 वर्ग मीटर x 200 रुपए)	12.50	4.05
8.	उप निबंधक जौनपुर	आवासीय भूमि	4.80 लाख रुपए (1280 वर्ग मीटर x 375 रुपए)	0.86	0.56
9.	उप निबंधक शाहगंज (जौनपुर)	-तदैव-	15.68 लाख रुपए (1600 वर्ग मीटर x 980 रुपए)	1.60	1.76
10	उप निबंधक आंवला (बरेली)	-तदैव-	2.84 लाख रुपए (948 वर्ग मीटर x 300 रुपए)	0.23	0.33
11.	उप निबंधक बांसगाँव (गोरखपुर)	-तदैव-	2.95 लाख रुपए (540 वर्ग मीटर x 545 रुपए)	0.13	0.35
		योग			13.90

इसके अतिरिक्त 4 मामलों में (क्रमांक 1,2(i),2(ii), तथा 2(iv)) 2000 रुपए निबंधन फीस भी आरोपित नहीं की गई ।

मामले विभाग एवं शासन को सितम्बर 1992 तथा अप्रैल 1994 के मध्य प्रतिवेदित किये गये, अक्टूबर 1993 तथा जून 1994 के मध्य तथा पुनः दिसम्बर 1994 में अनुस्मारक भेजे गए उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995)।

अध्याय - 6

भू-राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 की अवधि में लेखा परीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखों तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जाँच परीक्षा से 247 मामलों में 307.04 लाख रुपए के भू-राजस्व का न/कम लगाया जाना तथा संग्रह प्रभारों की कम वसूली आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	भू-राजस्व का न लगाया जाना/ कम लगाया जाना	88	33.46
2.	संग्रह प्रभारों की कम वसूली	54	265.18
3.	अन्य अनियमिततायें	105	8.40
	योग	247	307.04

वर्ष 1993-94 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 49 मामलों में निहित धनराशि 4.33 लाख रुपए में से 4 मामलों की निहित धनराशि 0.76 लाख रुपए वर्ष 1993-94 की लेखा परीक्षा में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । उदाहरणार्थ एक मामला जिसमें 17.26 लाख रुपए सन्निहित है, नीचे दिया गया है :

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम 1972 के अनुसार राजस्व प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे निगमों या बैंकिंग कम्पनियों या स्थानीय निकायों से वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसमें निर्दिष्ट धनराशि के साथ, कार्यवाही पर होने वाले व्यय (संग्रह प्रभारों) की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रुप में करेंगे । राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किये गये देयों के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार वसूली योग्य हो जाते है ।

4 जनपदों की 4 तहसीलों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त वर्ष 1991-92 से

1993-94 के दौरान वसूल की गयी 172.55 लाख रुपए की धनराशि पर 17.26 लाख रुपए संग्रह प्रभार की वसूली नहीं की गयी ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1993 तथा अक्टूबर 1993 के मध्य) संबंधित तहसीलदारों ने बताया कि संग्रह प्रभार की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है । पुनः सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त मामले नवम्बर 1993 से जनवरी 1994 के मध्य तथा पुनः जनवरी 1994 एवं फरवरी 1994 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995)।

अध्याय - 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

क - विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक विद्युत सुरक्षा निदेशकों/नियुक्त प्राधिकारियों के कार्यालयों के लेखों के जाँच परीक्षण से 30 मामलों में 14.63 लाख रुपए के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	16	12.71
2.	निरीक्षण फीस की वसूली न किया जाना	14	1.92
	योग	30	14.63

वर्ष 1993-94 की लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 6 मामलों में 7.37 लाख रुपए का कम आंकलन स्वीकार किया जिनमें से वर्ष 1993-94 के 4 मामलों में 1.34 लाख रुपए की धनराशि सन्निहित है तथा शेष विगत वर्षों के है । निम्नलिखित प्रस्तरों में अंकित उदाहरण स्वरुप 11.13 लाख रुपए के वित्तीय प्रभाव का एक मामला दिया गया है ।

7.2 विद्युत शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 1952 तथा उसके अधीन बने नियमावली के अन्तर्गत लाइसेंन्स धारी (अनुज्ञापी) से अपेक्षित है कि वह देय विद्युत शुल्क, मीटर गणना किए जाने के माह की समाप्ति के बाद दो कलेन्डर माह के अन्दर सरकारी कोष में जमा करें । यदि विद्युत शुल्क का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर राज्य सरकार को नही किया जाता है तो भुगतान न की गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुज्ञापी द्वारा देय होगा ।

सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) मिर्जापुर के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1992) कि सोनभद्र जनपद के दो अनुज्ञापियों द्वारा माह फरवरी 1991 से अगस्त 1991 की अवधि में

उपभुक्त ऊर्जा पर 11.13 लाख रुपए विद्युत शुल्क का भुगतान, नही किया गया। भुगतान न किये विद्युत शुल्क पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की भी मांग नहीं की गई।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1992) विभाग ने बताया (सितम्बर 1993) कि 5.74 लाख रुपए विद्युत शुल्क की धनराशि जनवरी 1993 में जमा की जा चुकी है और विद्युत शुल्क की वसूली हो जाने के पश्चात् ब्याज आरोपित किया जायेगा। अवशेष विद्युत शुल्क एवं ब्याज के भुगतान के बारे में सूचना प्राप्त नही हुई है (जनवरी 1995)।

मामला सरकार को जनवरी 1993 एवं पुनः जुलाई 1993 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995)।

ख. गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क

7.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा में किये गये चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखों तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों के नमूने जाँच से 202.75 लाख रुपए के गन्ने के क्रय पर देय क्रय कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर देय प्रशासनिक शुल्क के आरोपण न किये जाने/कम किये जाने के 31 मामले प्रकाश में आये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

	गन्ना पर क्रय कर	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	चीनी पर क्रय कर का स्थगन	4	189.36
2.	नियमों का अनुपालन न करने के कारण कर का कम निर्धारण	10	3.81
3.	निजी फार्म के गन्ने पर क्रयकर का भुगतान न किया जाना	3	1.80
4.	बिना क्रय कर का भुगतान किये चीनी की निकासी	2	0.66
5.	अन्य अनियमिततायें	12	7.12
	योग	31	202.75

वर्ष 1993-94 के दौरान संबंधित विभाग ने 18 मामलों में 2.44 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया । इनमें 0.08 लाख रुपए का एक मामला वर्ष 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा में इंगित किया गया था । 51.23 लाख रुपए के वित्तीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण मामला नीचे प्रस्तर में दिया गया है ।

7.4 गन्ने की खरीद पर क्रय कर के स्थगन की शर्तों को लागू न करना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी भी मिल का मालिक उसके मिल में उत्पादित चीनी की तब तक निकासी न करेगा/न करवायेगा जब तक कि उसके द्वारा चीनी के उत्पादन हेतु क्रय किये गये गन्ने पर देय कर का भुगतान न कर दिया जाये ।

30 सितम्बर 1988 के आदेश द्वारा सरकार एवं सहकारी क्षेत्र की नयी चीनी मिलों को प्रथम पांच वर्ष के लिए गन्ने की खरीद पर देय क्रय कर का भुगतान स्थगित रखने हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी । इस आदेश के अनुसार चीनी मिल की प्रबन्ध समिति को इन 5 वर्षों के अन्त में सरकार की मिल की वित्तीय स्थिति सूचित करना था तथा स्थिति सुदृढ़ होने की स्थिति में चीनी मिल के एकत्रित देय कर का भुगतान अगले पांच वर्षों में समान किस्तों में करना था । एक निधि भी स्थापित किया जाना अपेक्षित था जिसमें चीनी उद्योग विभाग, वित्त विभाग एवं स्वयं चीनी मिल द्वारा निश्चित की गयी धनराशि को नियमित रुप से जमा किया जाना था, जिससे देय कर के एकत्रित बकाये का भुगतान सुचारु रूप से किया जा सके ।

मुजफ्फरनगर जनपद की एक चीनी मिल की लेखा परीक्षा के दौरान (नवम्बर 1992) देखा गया कि सहकारी क्षेत्र की मिल जिसमें पेराई सत्र 1984-85 से चीनी का उत्पादन प्रारंभ किया तथा इसे पेराई सत्र 1984-85 से 1988-89 तक की अवधि के लिए गन्ना क्रयकर का भुगतान स्थगित रखने हेतु अनुमति प्रदान की गयी । मिल द्वारा इन पांच वर्षों में उत्पादित चीनी के भंडार में से 1992-93 तक बिना क्रय कर का भुगतान किये चीनी की निकासी की गयी । उपर्युक्त अवधि में चीनी मिल द्वारा 68.31 लाख कुंतल गन्ने की खरीद की गई जिस पर 1.25 रुपए प्रति कुंतल की दर से गन्ने पर देय कर कुल 85.38 लाख रुपए हुआ । राज्य सरकार की मिल की वित्तीय स्थिति 29 अगस्त 1990 को सूचित की गयी थी, लेकिन देय क्रय कर को आगे भी स्थगित रखने अथवा वसूल किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नही किया गया । मिल में स्थगित कर की देनदारी को समाप्त करने हेतु एक निधि की स्थापना की गयी, परन्तु उस निधि में कोई भी धनराशि जमा नही की गयी एवं स्थगित क्रय कर की 51.23 लाख रुपए की तीन किस्तों का भुगतान उत्पादन के प्रथम पांच वर्ष पूरा होने के बाद भी नहीं किया गया । जिन शर्तों के अधीन 51.23 लाख रूपए के कर का स्थगन सरकार द्वारा किया गया था उन शर्तों का न तो प्रतिपालन किया गया और न ही चीनी मिलों से कर की ही वसूली की गयी ।

मामला विभाग एवं सरकार को अप्रैल 1994, में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995) ।

अध्याय - 8

वन प्राप्तियां

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान मोटे तौर पर निम्नलिखित अनियमिततायें थीं :-

	वर्ग	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	लीसा निकालने में अनियमिततायें	12	195.17
2.	रायल्टी का गलत निर्धारण	28	152.29
3.	आरा मशीनों का पंजीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि	28	62.15
4.	स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि	5	2.22
5.	अर्थदण्डों का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	16	43.57
6.	तेंदू पत्तों के संग्रह एवं निस्तारण में अनियमितता	7	66.47
7.	पट्टा किराए का वसूल न किया जाना	43	905.23
8.	विविध अनियमिततायें	191	3046.54
	योग	330	4473.64

वर्ष 1993-94 की अवधि के दौरान संबंधित विभाग ने 147 मामलों में निहित 1438.09 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिनमें से 1427.10 लाख रुपए के सरोकार वाले 139 मामलों को

लेखापरीक्षा में, वर्ष 1993-94 के दौरान और शेष को पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किया गया कुछ निदर्शी मामले जिनमें 708.23 लाख रुपए सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये जा रहे है ।

8.2 वन भूमि का पट्टा

कुछ शर्तो के अधीन वन भूमि को विशेष प्रयोजन हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए प्रयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है और उस अवधि के समाप्त होने पर वह भूमि स्वतः वन विभाग को वापस हो जाती है इसे वन भूमि के पट्टे के नाम से जाना जाता है । वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रभावी होने और तत्पश्चात उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों जैसे वन (संरक्षण) नियम 1981 के अनुसार यदि वन भूमि का प्रयोग वन कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु किया जाता है तो भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है

वर्ष 1951-52 से 1980-81 के मध्य 245036 हेक्टेयर तथा 1981-82 से 1991-92 तक की अवधि में 5253.52 हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न प्रयोजन हेतु निजी व्यक्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी विभाग को पट्टे पर दी गयी ।

वन विभाग के 40 क्षेत्रीय प्रभागों मे से 20 के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न तथ्य उद्घाटित हुये:-

(I) बकाया पट्टों के किराये

निम्नलिखित प्रकरणों में वन भूमि के पट्टेदारों पट्टों के किराये के रुप में 438.19 लाख रुपए की वसूली नहीं की गयी :-

क्रम सं0	प्रभाग का नाम	पट्टा धारकों की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रयोजन	पट्टे की देय राशि (लाख रुपए में)	वसूली न किए जाने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उत्तर पीलीभीत प्रभाग पीलीभीत	40	34.413	इमारती लकड़ी के डिपो एवं आरा मिलों की स्थापना हेतु	32.43	प्रभाग द्वारा मांग सृजित नही की गयी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	दक्षिण खीरी प्रभाग लखीमपुर	1	29.56	चीनी मिलों से नित्सर्जित गंदे एवं व्यर्थ पानी के संग्रह हेतु	6.33	प्रभाग द्वारा भूमि के पट्टे के नवीनीकरण में विलम्ब से निर्णय लिए जाने के कारण
3.	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	1	11.43	व्यक्तिगत उपयोग	0.70	1981 से अंतरिम पट्टे के किराये की वसूली न किया जाना
4.	तराई पूर्वी, तराई केन्द्रीय एवं तराई पश्चिमी वन प्रभाग	1 (यू0पी0एफ0सी0)	7334.35	कृषि हेतु	367.80	सरकार द्वारा अभी तक पट्टे के किराये का अनुमोदन न किया जाना
5.(क)	पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी	2	नदी तल	खान के पट्टे	17.86	मांग सृजित नहीं की गयी
(ख)	देहरादून वन प्रभाग देहरादून	11	-तदैव-	-तदैव-	10.73	--तदैव--
(ग)	टेहरी वन प्रभाग नई टेहरी	1	-तदैव-	-तदैव-	2.34	--तदैव--
	योग				438.19	

(ii) हस्तांतरित/पट्टे की भूमि के पेड़ों के मूल्यों की वसूली न किए जाने से हानि

जहां कहीं वन भूमि वन कार्य से इतर प्रयोजन हेतु व्यक्ति अथवा संस्था को पट्टे पर दी जाती है, वहां भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने पर उसका मूल्य पट्टे धारकों को विभाग को देना पड़ता है ।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि207.77 लाख रुपए मूल्य के पेड़ों (जिसकी गणना विभाग द्वारा की गयी) की राशि पट्टे धारियों से नहीं वसूल की गयी । विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र का नाम जिनके पास भूमि है	काटे गए पेड़ों की कीमत (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रेणुकूट वन प्रभाग रेणुकूट	उ0 प्र0 रा0 वि0 प0	6.55
2.	--तदैव--	नार्दन कोल इण्डिया लि0	4.66
3.	लैंस डाउन वन प्रभाग लैंस डाउन	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2.20
4.	उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा	सिंचाई विभाग	194.36
		योग	207.77

उपर्युक्त तथ्य विभाग तथा शासन के संज्ञान में जुलाई 1994 में लाये गए थे जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

8.3 लीसा के कम एकत्रीकरण से राजस्व की अनुमानित हानि

वन नियमावली में दिये निदेशों के अनुसार लीसा के एकत्रीकरण के लिए एक समयावधि निश्चित है, एकत्रीकरण का कार्य मार्च के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ होकर नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक जारी रहना चाहिए

अत: टिन तथा संयत्रों की व्यवस्था पूर्व वर्ष के 15 सितम्बर तक कर लेना चाहिए। लीसा के एकत्रीकरण के भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य का निर्धारण प्रति वर्ष प्रत्येक प्रभाग में पौधों की उपलब्धता और दो तीन वर्षों के प्रति एक सौ चैनल के औसत लीसा उत्पादन के आधार पर विभाग द्वारा किया जाता है ।

उत्तरकाशी वन प्रभाग (मई 1993) एवं नैनीताल वन प्रभाग (अप्रैल 1993) की नमूना जांच में पाया गया कि इन प्रभागों में वर्ष 1992 फसल में लीसा के अनुमानित उत्पादन 13,086 क्विंटल (उत्तरकाशी 7,809 एवं नैनीताल 5,277 क्विटंल) के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन मात्र 10,032.98 क्विंटल (उत्तरकाशी 5,986.34 एवं नैनीताल 4,046.02 क्विटंल) हुआ परिणामस्वरूप 3,053.02 क्विटंल कम उत्पादन हुआ । प्रभागों द्वारा विलम्ब से खाली टिन क्रय किये जाने एवं लीसा मेटों को एकत्रीकरण अवधि के निर्धारित समय (माह अप्रैल से जून) बीत जाने के बाद उनकी आपूर्ति करने के कारण एकत्रीकरण कम हुआ । इस कम उत्पादन के कारण इन्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रेसिन कम्पनी को लीसा आपूर्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर एवं आल इन कास्ट की दर के अंतर के आधार पर 31.14 लाख रुपए (3053 X (1715 - 695) की राजस्व हानि हुई। विभाग ने बताया कि टिनों के क्रय मे विलम्ब ने लीसा उत्पादन को कुप्रभावित किया ।

इस प्रकार खाली टिनों की विलम्ब से व्यवस्था व आपूर्ति के कारण 31.14 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 1994) उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995) ।

8.4 वृक्षों का अवैध कटान

उत्तर प्रदेश वन नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, वन रक्षक एवं अन्य अधीनस्थ वन अधिकारियों द्वारा वन अधिनियम के उल्लंघन के किसी अपराध को, उसके प्रकाश में आने से 24 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट वन राजि अधिकारी को कर दी जानी चाहिए । वन राजि अधिकारी ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को तीन दिनों के भीतर कृत कार्यवाही आख्या के साथ प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित कर देगा ।

वन संरक्षक पूर्वी वृत्त के निर्देश पर प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण गोरखपुर उप प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर .ण्डा तथा निचलौल (उत्तर गोरखपुर) द्वारा फरवरी 1987 से नवम्बर 1987 के दौरान की गयी कम्बिंग कार्यवाही में पूर्वी बहराइच वन प्रभाग की पांच बीटों में वर्ष 1987-88 में 27.26 लाख रुपए मूल्य के विभिन्न प्रजातियों के 3467 वृक्ष अवैध रुप से काटे गये पाये गए । कम्बिंग कार्यवाही की रिपोर्ट नवम्बर 1987 में प्रस्तुत की गयी ।

पूर्वी बहराइच वन प्रभाग बहराइच के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अवैध रुप सें काटे गए 3467 वृक्षों में प्रभाग द्वारा 495 वृक्षों के प्रकाष्ठ जिसकी कीमत 10.43 लाख रुपए थी, की ही वसूली की जा सकी । शेष वृक्षों के प्रकाष्ठ का अनुमानित मूल्य 16.83 लाख रुपए वसूल नहीं किया जा सका । विभाग

ने प्रकरण को प्रारम्भ करने तथा दायित्व निर्धारण में लगभग पांच वर्ष का समय व्यतीत किया ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1992) प्रभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रकरण उच्च अधिकारियों की जांच में है तथा दो वन रेंज अधिकारियों को चार्जशीट दी जा चुकी है । 16.83 लाख रुपए की हानि की वसूली हेतु अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

प्रकरण की सूचना शासन को जून 1994 में दी जा चुकी है, उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

8.5 अवधि विस्तार शुल्क की वसूली न किया जाना

प्रकाष्ठ एवं गौण वन उपज की नीलामी द्वारा विक्रय में ठेकेदार को नियत अवधि में लाटों पर कार्य पूर्ण कर लेना होता है और यदि वह अवधि विस्तार चाहता है तो उसे नियत दर पर अवधि विस्तार शुल्क का भुगतान करना होता है । माह फरवरी 1957 में निर्गत एवं माह सितम्बर 1978 से वन-निगम पर भी लागू मुख्य वन संरक्षक के आदेशानुसार क्रेता से कार्य अवधि विस्तार हेतु लाट के विक्रय मूल्य को एक प्रतिशत प्रति माह की दर से उस अवधि हेतु अवधि विस्तार शुल्क की अग्रिम वसूली की जानी होती है, जिसके लिए कार्य अवधि में अवधि विस्तार स्वीकार किया गया हो ।

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 1993) में देखा गया कि वन निगम को वर्ष 1988-89 एवं 1990-91 में आवंटित लाटों में से 38 लाटें नियत अवधि में विदोहित नहीं की जा सकी थी । माह नवम्बर 1991 एवं माह फरवरी 1992 में प्रभाग द्वारा अवधि विस्तार शुल्क के रूप में देय 9.99 लाख रुपए की वसूली किए बिना ही 5 से 150 दिनों तक की कार्य अवधि का विस्तार स्वीकृत कर दिया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा (फरवरी 1993) इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवधि विस्तार शुल्क की वसूली हेतु 9.99 लाख रुपए की मांग सृजित की गयी (अप्रैल 1993) परन्तु इसकी वसूली अभी तक नहीं हुई है (जून 1994) ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 1994); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

8.6 रायल्टी की कम वसूली

रायल्टी कमेटी के निर्णय (नवम्बर 1984) के अनुसार वाराणसी वृत्त-11 के अंतर्गत आने वाले वन प्रभागों के वन क्षेत्रों में उत्पादित बांसों की रायल्टी की वसूली 15.52 रुपए प्रति कोड़ी की दर से की जानी थी ।

ओबरा एवं रेनूकूट वन प्रभागों की लेखापरीक्षा (जुलाई 1992) में देखा गया कि प्रभागीय आउटटर्न रजिस्टर के अनुसार वन निगम को वर्ष 1991-92 में 61812.75 कोड़ी बांस जिनका मूल्य 9.59 लाख रुपए था, उठाने दिया गया । इसके विरुद्ध वन निगम ने मात्र 34044.20 कोड़ी के उत्पादन के आधार पर 5.28 लाख रुपए की रायल्टी का भुगतान किया । अवशेष 27768.10 कोड़ी बांसों की रायल्टी 4.31 लाख रुपए का भुगतान वन निगम द्वारा उत्पादन के प्रभागीय आंकलन एवं निगम के आंकलन में साम्य न होने के आधार पर नहीं किया गया। प्रभागों द्वारा न तो 4.31 लाख रुपए की अवशेष रायल्टी की मांग की गई और न ही उत्पादन के आंकड़ों में अंतर के समाशोधन की कार्यवाही की गई ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई 1992) विभाग ने कहा (जुलाई 1992) कि रायल्टी की मांग करने की कार्यवाही की जाएगी तथापि इसकी पुष्टि की जा चुकी है (फरवरी 1995) कि संबंधित प्रभागों द्वारा इसकी मांग प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

शासन को प्रकरण से जून 1994 में अवगत करवाया गया: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995) ।

अध्याय - 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

क - सिंचाई विभाग

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा में की गई सिंचाई विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों की जाँच परीक्षा में 216.07 लाख रुपए की अनियमितताओं के 36 मामले सामने आए जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	4	26.10
2.	संशोधित दरों पर निविदा शुल्क की वसूली न किया जाना	3	1.22
3.	नहर के पानी का अनधिकृत प्रयोग	1	108.67
4.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न करने के कारण हानि	11	7.11
5.	आराजी भूमि के पट्टे पर न दिये जाने के कारण हानि	2	3.60
6.	अन्य अनियमिततायें	15	69.37
	योग	36	216.07

वर्ष 1993-94 के दौरान, संबंधित विभाग ने 0.21 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि के 3 मामले स्वीकार किए , जो लेखा परीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे । 17.47 लाख रुपए के कुछ एक निदर्शी मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है :-

9.2 स्टाम्प शुल्क की वसूली न/कम किया जाना

जनवरी 1982 में, शासन ने राजकीय निर्माण कार्यों के लिए निष्पादित अनुबन्धों/ठेका बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण से छूट वापस ले ली। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में उसे संशोधित किया गया) कि अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद 5 (ग) के अनुसार किसी साधारण अनुबन्ध (बिना प्रतिभूति) जिसमें कार्यादेश भी सम्मिलित है, के विलेख पर 5 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाया जाना होता है जिसे बढ़ाकर 15 जून 1982 से 6 रुपए और 1 नवम्बर 1991 से 100 रुपए कर दिया गया ।

5 सिंचाई प्रखण्डों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1993 और जनवरी 1994 के मध्य) कि सितम्बर 1986 और दिसम्बर 1993 के मध्य निष्पादित निविदाओं के साथ अनुबन्धों और कार्यादेशों के संबंध में 7.28 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क , जिसका विवरण नीचे दिया गया है , कम लगाया गया :-

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	अवधि	निविदाओं/ कार्यादेशों की संख्या	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क की धनराशि	आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि
				(लाख रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लोअर डिवीजन नहर, आगरा	सितम्बर 1986 से जून 1993	12,150	3.17	0.09	3.08
2.	नलकूप प्रखण्ड, आगरा	दिसम्बर 1990 से दिसम्बर 1993	1,000	0.86	0.06	0.80
3.	सिंचाई प्रखण्ड, उत्तरकाशी	नवम्बर 1991 से मार्च 1993	804	0.80	0.03	0.77
4.	देवकली पम्प नहर प्रखण्ड, (प्रथम) गाजीपुर	नवम्बर 1991 से अप्रैल 1993	1,419	1.42	0.14	1.28

5.	रुहेलखण्ड प्रखण्ड बरेली	नवम्बर 1991 से मई 1993	1,500	1.50	0.15	1.35
	योग					7.28

मामलों को विभाग / शासन को जून 1993 और मार्च 1994 के मध्य प्रतिवेदित किया गया तथा मई 1994 व पुनः सितम्बर 1994 में अनुस्मारक भी भेजे गए ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

9.3 विभागीय प्राप्तियों का अनियमित लेखांकन

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI के प्रावधानों के अनुसार भंडार विक्रय से प्राप्त शुद्ध धनराशि को शासन के राजस्व में जमा कर देना चाहिये ।

नलकूप खण्ड हरदोई की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1993) कि अगस्त 1990 से नवम्बर 1990 के मध्य तांबें के जले तारों की नीलामी से वसूले गये 4.13 लाख रुपए विभागीय राजस्व में जमा नही किये गये बल्कि जिस कार्य के लिये इन तांबें के तारों को निर्गत किया गया था उस के खर्च में से घटा दिया गया । परिणामस्वरुप "अनुदान" के अन्तर्गत विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय में अनियमित उपयोगिता हुई ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, (जुलाई 1993) खंडीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त चूक नियमों की जानकारी न होने के कारण हुई ।

मामले की सूचना विभाग और शासन को सितम्बर 1993 व पुनः मार्च 1994 में दी गई, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (जनवरी 1995)।

9.4 नहर के पानी के अनधिकृत प्रयोग के लिए दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना

सिंचाई विभाग के आदेशों के मैनुअल के साथ पठित उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम 1873 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार नहर के पानी की बर्बादी अथवा दुरुपयोग के लिए दण्डात्मक प्रभार आरोपणीय है । फिर भी किसी मामले में दण्डात्मक प्रभार के आरोपण का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रखण्डीय अधिकारी को आश्वस्त होना होता है कि मामले की छान-बीन जिलेदार से अन्यून स्तर के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कर ली गई है । इस प्रकार आरोपित दण्डात्मक प्रभारों को दखलदार के दर के निर्धारण के समान माना जाना और राजस्व विभाग द्वारा भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली हेतु मांग विवरणी (जमाबन्दी) में शामिल किया जाना होता है ।

ओरई (जालौन) और बरेली स्थित 2 सिचाई प्रखण्डों की लेखा परीक्षा में यह देखा गया ; (जनवरी 1994) कि फसली वर्ष 1399 तथा 1400 (1992 एवं 1993) के दौरान 14783 एकड़ भूमि की अनधिकृत सिंचाई के 377 मामले नहर के पानी के दुरुपयोग से सम्बन्धित थे, मई, 1991 से फरवरी 1993 के बीच प्रतिवेदित किए गए । लेखापरीक्षा की तिथि तक मामलों की न तो जांच की गई और न ही उनका निस्तारण किया गया ।

मामले विभाग तथा शासन को फरवरी 1994 तथा पुनः मार्च 1994 में प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

9.5 विभागीय प्राप्तियों का अनियमित उपयोग

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- VI के नियमों के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र नजदीक के कोषागार में जमा कर देना चाहिए । यदि कोई खण्डीय/उपखण्डीय अधिकारी नगद प्राप्ति का अस्थायी रुप से तुरन्त के खर्चों में उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, किन्तु माह की समाप्ति से पहले उसे इस प्रकार से उपयोग में लाए गए धन का चेक बनाकर शासकीय लेखों में अन्तरण हेतु कोषागार में जमा करना होता है ।

सिंचाई प्रखण्ड आगरा की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1993) कि वर्ष 1991-92 में खण्डीय/उपखण्डीय अधिकारियों द्वारा 68,486 रुपए की नगद प्राप्तियों को कोषागार में जमा नही किया गया । समय समय पर होने वाले विभागीय खर्चों पर इन प्राप्तियों का उपयोग कर लिया गया । नियमानुसार इस प्रकार उपयोग किए गए धन का कोई चेक कोषागार में जमा हेतु नहीं भेजा गया ।

मामले की सूचना विभाग और शासन को फरवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1995)।

ख - लोक निर्माण विभाग

9.6 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा में किए गए लोक निर्माण विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों के जांच परीक्षण में 40.77 लाख रुपए की अनियमितताओं के 52 मामले सामने आये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	2	1.65
2.	ठेकेदारों से बिक्रीकर की वसूली न किया जाना	1	0.57
3.	निविदा प्रपत्रों की पूर्व पुनरीक्षित दरों पर बिक्री के कारण हानि	7	1.79
4.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न करना/ कम करना	25	23.40
5.	परसेन्टेज प्रभारों का कम आरोपण	1	2.16
6.	अन्य अनियमिततायें	16	11.20
	योग	52	40.77

वर्ष 1993-94 के दौरान संबंधित विभाग ने 32.98 लाख रुपए से संबंधित अव-निर्धारण आदि के 20 मामलों को स्वीकार किया जो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा वर्षों में इंगित किये गये थे । 12.09 लाख रुपए से संबंधित कुछ एक निदर्शी मामलों का उल्लेख निम्न प्रस्तरों में किया गया है :-

9.7 अंशदान कार्यों पर परसेन्टज प्रभारों का न लगाया जाना

वित्तीय मामलों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड V तथा VI के प्रावधानों के अन्तर्गत , राज्य के वाणिज्यिक विभागों, स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र निकायों की ओर से लोक निर्माण तथा सिंचाई विभाग द्वारा संभाले गए सभी वर्गों के अंशदान कार्यों के संबंध में, निर्माण पर आने वाले वास्तविक परिव्यय के 15 प्रतिशत की समान दर पर परसेन्टेज प्रभार आरोपित करके उन्हें राजकीय खाते में जमा किया जाना होता है ।

अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई , लोक निर्माण विभाग , देवरिया की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1993) कि विभाग द्वारा नगरपालिका देवरिया के लिए 1986-87 से 1991-92 की अवधि में 47.47 लाख रुपए लागत पर किये गये अंशदान (निक्षेप) कार्यों (सड़क निर्माण कार्य) पर 7.12 लाख रुपए का परसेन्टेज प्रभार (निर्धारित दरो से) न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को मई 1993 तथा पुनः मई 1994 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995)।

9.8 पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू होने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची- 1- (ख) के अनुच्छेद 35 - (ख) के प्रावधानों तथा अक्टूबर 1953 में राजस्व परिषद द्वारा निर्गत तथा पुनः दिसम्बर 1990 और अक्टूबर 1991 में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नौका सेनाओं और पथकर (टोल टैक्स) संग्रह के लिए पट्टों की सम्पूर्ण धनराशि जिसके लिए पट्टा दिया गया है (जिसका कुछ भाग अग्रिम में अदा किया गया हो तथा शेष का भुगतान किस्तों में किया जाना स्वीकृत हो) को प्रीमियम मानते हुये स्टाम्प शुल्क लगाया जाना चाहिये क्योंकि कोई किराया आरक्षित नहीं है ।

विभागीय निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग हरिद्वार की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जून 1993) कि 1990-91 से 1993-94 तक के लिए पट्टाधारियों के साथ कार्य अधीक्षक द्वारा एक पुल पर टोल टैक्स के संग्रहण हेतु निष्पादित एक पट्टा अनुबन्ध के सम्बन्ध में निर्धारित किस्तों को प्रीमियम के बजाय निश्चित किराया मानते हुये स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया । प्रीमियम हेतु दिये गये पट्टा के आधार पर स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के कारण 87500 रुपए के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई ।

मामला बिभाग एवं शासन को अक्टूबर 1993 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी1995)।

9.9 पूर्व संशोधित दरों पर निविदा प्रपत्रों की बिक्री

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश दिनांक 31 मार्च 1989 द्वारा निविदा शुल्क की निम्नतम तथा उच्चतम दरें उनके मूल्य के अनुसार क्रमशः 15 रुपए तथा 100 रुपए के स्थान पर 50 रुपए तथा 200 रुपए पुनरीक्षित किया। ये आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों पर तुरन्त प्रभावी थे। परन्तु लोक निमार्ण विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों में इस आदेश को अति विलम्ब से 5 मार्च 1991 को प्रसारित किया ।

3 लोक निर्माण प्रखण्डों (आजमगढ़ के - 2 तथा बलिया के - 1) की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (सितम्बर/अक्टूबर 1993) कि संबंधित प्रखण्डों द्वारा अप्रैल 1989 और फरवरी 1991 के मध्य 4135 निविदा प्रपत्र पूर्व संशोधित दरों पर बेचे गये जिसके फलस्वरुप 1.16 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुयी ।

मामले विभाग/शासन को जनवरी./ फरवरी 1994 मे एवं पुनः मार्च 1994 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुये हैं (जनवरी 1995)।

9.10 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना

जनवरी 1982 में शासन ने राजकीय निर्माण कार्य के लिए निष्पादित अनुबन्धों / ठेका बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण से छूट वापस ले ली । भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के संबंध में उसे संशोधित किया गया है) की अनुसूची 1 - ख के अनुच्छेद 5 (ग) के अनुसार कार्यादेशों सहित किसी साधारण अनुबन्ध (बिना प्रतिभूति) के विलेख पर 5 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाना होता है जिसे बढ़ाकर 15 जून 1982 से 6 रुपए और 1 नवम्बर 1991 से 100 रुपए कर दिया गया ।

आजमगढ़ के 2 लोक निर्माण प्रखण्डों की लेखा परीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1993) कि जनवरी 1992 तथा अक्टूबर 1992 के मध्य निष्पादित किये गये 6750 अनुबन्धों (कार्यादेशों) पर 6 रुपए की दर से तथा 490 अनुबन्धों / कार्यादेशों पर 100 रुपए की दर से 89500 रुपए स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गयी ।

मामले विभाग तथा शासन को जुलाई 1993 तथा मार्च 1994 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995)।

9.11 **पट्टा किराये के भुगतान में विलम्ब के प्रतिकर की वसूली न किये जाने और पथकर की किस्तों की कम वसूली किये जाने के कारण हानि**

जनवरी 1980 के शासनादेश के अनुसार विभाग के नियंत्रण में स्थित प्रत्येक पक्के सेतु की पथकर वसूली हेतु नीलामी किया जाना चाहिए, और संबंधित ठेकेदारों के साथ पट्टा अनुबन्ध किया जाना चाहिए । पट्टा अनुबन्ध की शर्त 11(i) के अनुसार यदि ठेकेदार वार्षिक भाड़े की मासिक किस्तों (जैसा कि पट्टा अनुबन्ध में तय हो) को पट्टा अनुबन्ध में निर्दिष्ट तिथि या 7 दिनों की छूट की अवधि के अन्दर जमा करने में विफल रहता है तो इस विफलता के लिये उसे विभाग को वार्षिक किराये के एक प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक की धनराशि जैसा कि अधिशासी अभियन्ता निश्चित करे, प्रतिकर (कम्पन्सेशन) के रुप में भुगतान करना पड़ेगा ।

लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ की लेखा परीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1993) कि ठेकेदार ने वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि में वार्षिक भाड़े की विभिन्न मासिक किस्तों को 7 दिनों की छूट की अवधि के उपरान्त 3 से लेकर 235 दिनों के विलम्ब से जमा किया, लेकिन उससे विलम्बित भुगतान के प्रतिकर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी , इससे 44.444 रुपए की राजस्व क्षति हुई जैसा कि विभाग द्वारा सितम्बर 1994 में पुष्टि की गई । इसके अतिरिक्त ठेकेदार ने उसके द्वारा 22 अगस्त 1990 से 16 सितम्बर 1992 के दौरान पथकर वसूल किए जाने योग्य किस्तों की कुल देय धनराशि 7.06 लाख रुपए के विरुद्ध केवल 5.47 लाख रुपए ही जमा किया। परिणामत: 1.59 लाख रुपए की और राजस्व हानि हुई । राजकीय देयों के बकाया धनराशि एवं देयों के विलम्ब से भुगतान करने पर "प्रतिकर" वसूल करने की कोई कार्यवाही नही की गई । इससे 2.03 लाख रुपए के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

मामला विभाग/ शासन को जनवरी 1994 तथा पुन: मार्च 1994 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1995) ।

ग - सहकारिता विभाग

9.12 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा में की गयी सहायक निबन्धकों के कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की जाँच परीक्षा में 10.85 लाख रुपए की अनियमितताओं के 7 मामले सामने आये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं ।

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना	4	6.17
2. अन्य अनियमततायें	3	4.68
योग	7	10.85

वर्ष 1993-94 के दौरान संबंधित विभाग ने 0.67 लाख रुपए के अवनिर्धारण का एक मामला स्वीकार किया जो लेखा परीक्षा में उसी वर्ष इंगित किया गया था । 5.31 लाख रुपए के एक निदर्शी मामले का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तर में किया गया है :-

9.13 संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना/कम किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ नियमावली 1968 के नियम 363 के अनुसार निबंधक सहकारी समिति के द्वारा किसी भी शुल्क अथवा अन्य किसी भाँति प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि निबंधक सहकारी समितियाँ तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कोषागार में पूर्ण रुप से जमा की जानी चाहिए ।

जून 1993 तथा जनवरी 1994 में 2 सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के कार्यालयों (हरिद्वार तथा बरेली) की लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 1993 तथा जनवरी 1994) कि 1989-90 से 1993-94 की

अवधि में विभिन्न सहकारी समितियों के लिए बकाया धनराशि की वसूली हेतु प्राप्त 56.25 लाख रुपए के संग्रह प्रभारों के 10 प्रतिशत 5.63 लाख रुपए के विरुद्ध केवल 31883 रुपए राजकीय लेखे में जमा किये गये। शेष धनराशि 5.31 लाख रुपए राजकीय लेखों से बाहर रखी गयी जो कि अनियमित है ।

मामले को विभाग तथा शासन को जुलाई 1993 तथा मई 1994 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1995) ।

जय नारायण

लखनऊ
दिनांक
28 अप्रैल 1995

(जय नारायण गुप्ता)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली
दिनांक
5 मई 1995

(सि0 जि0 सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

पी० एस० यू० पी०–2 महालेखाकार–17—4—95—सं० 1800 पुस्तक (आफसेट)